भारत का राजपत्र,
असाधारण,
भाग III, खंड 4 में प्रकाशन हेतु
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ
इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन)
विनियम, 2026
(2026 का 1)

नई दिल्ली, 5/2/2026

फा. सं. **आर.जी.- 1/1/ (1) / 2025-बी एंड सीएस (2)** - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 सपठित धारा 11 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) के उप-अनुच्छेद (ii), (iii) और (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सपठित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 39,--

(क) जिसे उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) और धारा 2 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ट) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, और

(ख) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 में अधिसूचना संखया एस.ओ.44 (ई) और 45 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुई है,-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (2017 का 1) में आगे संशोधन करने के लिए, एतद द्वारा निम्न विनियमों का निर्माण करता हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 1) कहा जाएगा।

   (2) ये विनियम भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होंगे।

   (3) ये विनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (इसके बाद “मूल विनियम” कहा जाएगा) के विनियम 15 में, --

   (क) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक वितरक को अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के एड्रेसेबल सिस्टम जैसे कि सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स का प्रति वर्ष एक बार किसी ऑडिटर से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट कराना होगा ताकि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों में निहित सूचना का सत्यापन किया जा सके और वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित ऑडिट रिपोर्ट, सभी एनेक्सचर सहित, हर साल 30 सितंबर तक हर उस प्रसारकों के साथ साझा करेगा जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडिट के उद्देश्य के लिए ऑडिटरों का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत ऐसे पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से ऑडिट कराए।

बशर्ते यह कि वितरक उस प्रसारक को, जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है, ऑडिट का शेड्यूल और ऑडिटर का नाम कम से कम तीस दिन पूर्व सूचित करेगा।

बशर्ते यह भी कि प्रसारक ऑडिट में सम्मिलित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है जो ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर सकता हैं और वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण : संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो तो, के सीमित उद्देश्य के लिए होगी और इसका आशय किसी भी प्रकार से ऑडिट के विधिवत संचालन का निर्देश देने या उस पर प्रभाव डालने का कोई अधिकार प्रदान करना नहीं है।

बशर्ते यह भी कि उन टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के लिए, जिनके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, सक्रिय ग्राहकों की संख्या तीस हजार से अधिक नहीं है, उनके लिए इस विनियम के अंतर्गत ऑडिट कराना वैकल्पिक होगा।

स्पष्टीकरण: संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग या जॉइंट वेंचर के मामले में, उपर्युक्त उपबंध की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी वितरकों के संयुक्त ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाएगा।

बशर्ते यह भी कि पैनल में शामिल कोई भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो एड्रेसेबल सिस्टम्स का ऑडिट कर रहा है, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिट की गई इकाई (ऑडिटी) से स्वतंत्र है और ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और ऑडिटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह भी कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व का कोई भी अनऑडिटेड अवधि यदि हो, तो उसे भी ऑडिट में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के कार्यान्वयन के पश्चात् प्रथम ऑडिट के मामले में, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है उससे पूर्व की कोई भी अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, ऑडिट में सम्मिलित की जाएगी; तथा वर्ष 2025 में जिस किसी ओवरलैपिंग अवधि के लिए ऑडिट पहले ही किया जा चुका है, उसे ऑडिट से बाहर रखा जाएगा।

बशर्ते यह कि ऑडिट के कारण आने वाला अंतर यदि बिल की गई राशि का शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत से कम हो, तो पहले से जारी तथा भुगतान किए गए चालानों में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।"

(ख) उप-विनियम (1क) में, "अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स को एक कैलेंडर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर "निर्धारित समय के भीतर एक वर्ष में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के एड्रेसेबल सिस्टम का" शब्द रखे जाएँगे।

(ग) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) ऐसे मामले में, जहाँ कोई प्रसारक, उप-विनियम (1) के अंतर्गत 30 सितम्बर तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करता है और उस ऑडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अपर्याप्तताएँ या विसंगतियाँ पाता है, वहाँ वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर, लिखित रूप में, अपनी विशिष्ट टिप्पणियों तथा सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, उस टेलीविज़न चैनल के वितरक को, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अवगत करा सकता है:

बशर्ते कि वितरक, प्रसारक से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राप्ति की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर, उन टिप्पणियों की जाँच एवं निवारण हेतु संबंधित ऑडिटर को प्रेषित करेगा और ऑडिटर, प्रसारक की टिप्पणियों का निवारण करने के पश्चात, तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर वितरक को अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसे वितरक उसकी प्राप्ति की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेषित करेगा।

बशर्ते यह कि यदि प्रसारक को यह प्रतीत होता है कि उसकी टिप्पणियों का पूर्ण रूप से निवारण नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, अपनी विशिष्ट टिप्पणियों तथा सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण, प्रसारक के अभ्यावेदन की जाँच, ऐसे शुल्क और व्यय पर करेगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे शुल्क एवं व्यय का वहन प्रसारक द्वारा किया जाएगा; तथा ऐसी जाँच के उपरांत, प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा इंगित की गई अपर्याप्तताओं/विसंगतियों का सत्यापन करने के लिए, प्रसारक को प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से ऑडिट कराने की अनुमति दे सकता है, और ऐसे ऑडिट की लागत का वहन भी प्रसारक द्वारा किया जाएगा।

(घ) इस प्रकार प्रतिस्थापित किए गए उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:–

(2क) ऐसे मामले में, जहाँ किसी प्रसारक को टेलीविज़न चैनल के वितरक, जो कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत अपने एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए बाध्य है, से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर तक प्राप्त नहीं होती है, वहाँ प्रसारकों को, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, तथा वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से, ऐसे टेलीविज़न चैनल के वितरक के एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट अपने व्यय पर कराने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि जहाँ किसी टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए उप-विनियम (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से, एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट अपने व्यय पर कराने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ऑडिट करवाया जा सकता है, और ऐसा ऑडिट उस वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर से पाँच माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

(2ख) ऐसे मामले में, जहाँ उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) या उप-विनियम (2क) के अंतर्गत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि–

(क) ग्राहकों की संख्या में कोई विसंगति है, तो भुगतान राशि का निपटान, प्रसारक और वितरक के बीच हुए इंटरकनेक्शन समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है;
(ख) वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रेसेबल सिस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं *को पूरा नहीं करता है, तो वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देने के पश्चात, प्रसारक को टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति होगी।*

3. मूल विनियमों की अनुसूची III में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर, *निम्नलिखित* आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) शेड्यूलिंग: विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियम में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।";

(ख) आइटम (ङ) के बाद, निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(च) **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -**

1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में इस अनुसूची में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इकाई-वार मिलान करना संभव हो सके।

2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ़ एनकोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने की जरुरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।"

4. मूल विनियमों की अनुसूची X में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित आइटम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियमन में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।

(ख) आइटम (च) के बाद, निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(छ) **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -**

1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में इस अनुसूची में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./डी.आर.एम. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और डी.आर.एम. के बीच इकाई-वार मिलान करना संभव हो सके।

2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ़ एनकोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने की जरुरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।"

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

टिप्पणी 1---- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 21-4/2016-बी. एंड सी.एस. दिनांक 3 मार्च, 2017 (2017 का 1) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2---- मूल विनियमों को अधिसूचना सं. 21-6/2019-बी. एंड सी.एस. दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 (2019 का 7) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी। 3---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 (2020 का 1) के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी 4---- मूल विनियमों में पुनः संशोधन अधिसूचना सं. आर.जी.-1/2/(3)/2021-बी. एंड सी.एस. (2) दिनांक 11 जून, 2021 (2021 का 1) के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी 5---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.जी.-1/2/(2)/2022-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 22 नवम्बर, 2022 (2022 का 2) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 6---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. सी-1/2/(1)/2021-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 14 सितम्बर, 2023 (2023 का 4) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 7---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.जी.-8/1/(9)/2021-बी. एंड सी.एस.(1 एंड 3) दिनांक 8 जुलाई, 2024 (2024 का 4) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 8---- व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 1) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. 3 मार्च 2017 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 अधिसूचित किया। उक्त विनियमों में 30 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020, 11 जून 2021, 22 नवंबर 2022, 14 सितंबर 2023 तथा 8 जुलाई 2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पुनः संशोधन किए गए (मूल विनियम तथा इसके संशोधनों को आगे "इंटरकनेक्शन विनियम 2017" कहा जाएगा)।

2. सेक्टर के आकार एवं संरचना तथा प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक मॉडलों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए, हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु समय के साथ विनियमों का विकसित होना आवश्यक है। हितधारक इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में निहित ऑडिट-संबंधी प्रावधानों की समीक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे उठाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिसे इसके बाद "एम.आई.बी." कहा जाएगा) द्वारा जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों–एम.एस.ओ. के लिए 29 दिसंबर 2021, एच.आई.टी.एस. के लिए 6 नवंबर 2020, तथा डी.टी.एच. के लिए 16 सितंबर 2022 में निहित प्रावधानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों एवं संबंधित अनुसूचियों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु 9 अगस्त 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधान तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल' पर एक परामर्श पत्र (जिसे इसके बाद "परामर्श पत्र" कहा जाएगा) जारी किया । हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ तथा प्रत्युत्तर टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाली गईं। इसके उपरांत 5 दिसंबर 2024 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

3. परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों तथा प्रत्युत्तर-टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने एवं अपने स्वयं के विश्लेषण के पश्चात, प्राधिकरण ने हितधारकों से आगे की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया (जिसे आगे "मसौदा विनियम 2025" कहा जाएगा)। मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गईं।

4. परामर्श पत्र तथा मसौदा विनियम 2025 के प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (जिसे इसके बाद "सातवाँ संशोधन विनियम" कहा जाएगा) को अंतिम रूप दिया है । मसौदा विनियम 2025 में निहित विभिन्न प्रावधानों पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तार से बताया गया है। आगामी पैराग्राफ सातवें संशोधन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करते हैं।

<u>इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में ऑडिट से संबंधित प्रावधान</u>

5. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 का विनियम 15, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार उद्धृत किया जाता है:

"15. अंकेक्षण - (1) प्रत्येक टेलीविज़न चैनलों का वितरक, यह सत्यापित करने के लिए कि वितरक द्वारा प्रसारक को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही है, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार किसी अंकेक्षक से अपने उपभोक्ता प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और इस संबंध में प्रत्येक प्रसारक को एक अंकेक्षक रिपोर्ट जारी करेगा जिनके साथ उसने अंतःसंयोजन करार किया है:

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षको का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा ऐसे पैनल में रखे गये अंकेक्षकों में से किसी से, अंकेक्षण कराए:

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण के कारण कोई भिन्नता, जिसेक परिणामस्वरूप, बिल में दी गई धनराशि के 0.5 प्रतिशत से कम हो, में, पहले ही जारी कर दिए गए भुगतान कर दिए गए इनवॉयसों को कोई संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

(1 ए) यदि वितरक अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और अन्य संबंधित प्रणालियों की उप-विनियम (1) की अपेक्षानुसार, वर्ष वर्ष में एक बार अंकेक्षण कराने में विफल रहता है तो उन्हें इसके लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण के नियम एवं शर्तों या अधिनियम या नियमावली या आदेश या इनके तहत निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाग डाले बिना, प्राधिकरण के आदेश, निर्देशानुसार, वित्तीय निरूत्साहन के रूप में देय तिथि के बाद, तीस दिनों तक एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और देय तिथि के बाद तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने पर, दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा लगाए गए वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय हतोत्साहन के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण देखे गए विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ वितरक को अपना पक्ष रखने का प्रयाप्त अवसर न दिया गया हो।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँ कोई प्रसारक उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, या किसी प्रसारक की राय में वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती तो वितरक को लिखित में असंतुष्टि के कारण संसूचित करने के पश्चात वह प्रसारक, अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में एक बार टेलीविजन चैनलों के वितरक की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण करेगा,

परंतु यह कि प्राधिकरण इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि प्रसारक को अतिरिक्त धनराशि भुगतान योग्य है तो वितरक 10 दिन के अंदर, अंतःसंयोजन करार से प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान संबंधी ब्याज के साथ-साथ उन धनराशियों का भुगतान करेगा और यदि किसी अवधि के लिए देय ब्याज सहित वह धनराशि, उस अवधि के लिए देय देय होने के लिए, वितरक द्वारा सूचित धनराशि से 2 प्रतिशत अधिक या इससे अधिक हो जाती है तो वितरक अंकेक्षण व्यय वहन करेगा और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

पुनः परंतु यह कि प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व-नोटिस देने के पश्चात टेलीविजन चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रेसेबल प्रणाली, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती।

(3) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक, अंकेक्षकों को लेखा परीक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि अंकेक्षण कार्य एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।"

6. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत, सभी टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के लिए अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार ऑडिट कराना अनिवार्य है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई डी.पी.ओ. अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट कराने में विफल रहता है, तो ऐसे डी.पी.ओ. पर वित्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशियल डिसइन्सेंटिव) लगाया जाएगा (जिस पर प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित है)।

7. तथापि, वित्तीय हतोत्साहन का प्रावधान विद्यमान होने तथा भादूविप्रा और एम.आई.बी. द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बावजूद, यह देखा गया कि कई वितरक अभी भी अपने सिस्टम का ऑडिट समयबद्ध तरीके से नहीं करवा रहे हैं। भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों तथा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) से प्राप्त ऑडिट संबंधी आँकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कराए गए डी.पी.ओ. कॉज़्ड ऑडिट की संख्या, उन डी.पी.ओ. की संख्या की तुलना में कम रही जिन्हें ऑडिट कराना आवश्यक था।

8. डी.पी.ओ. जिनका ग्राहक आधार बहुत कम हैं उन्होंने विभिन्न बैठकों में भादूविप्रा को सूचित किया है कि उन्हें प्रत्येक वर्ष अपने सिस्टम का ऑडिट कराने में कठिनाई होती है, क्योंकि मैनपावर तथा वित्तीय संसाधनों दोनों की क्षमता सीमित है। ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के कारण ऑडिट से छूट प्रदान किए जाने के अनुरोधों सहित कुछ छोटे डी.पी.ओ. से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। कम ग्राहक आधार वाले कई एम.एस.ओ. ने भी वित्तीय बाधाओं के कारण ऑडिट की अनिवार्यता से छूट प्रदान किए जाने के लिए एम.आई.बी. से भी अनुरोध किया था।

9. इसके अतिरिक्त, एम.आई.बी. द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के ऑडिट-संबंधी प्रावधानों तथा संबंधित अनुसूचियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया।

10. इस संदर्भ में, परामर्श पत्र में विचार-विमर्श हेतु उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:

प्रश्न 1. क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में विनियम 15(1) के प्रावधान को यथावत रखा जाना चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए?

i) यदि आपका यह मत है कि विनियम 15(1) के प्रावधानों को यथावत रखा जाना चाहिए, तो-

(क) क्या इसे अपने वर्तमान रूप में जारी रखा जाना चाहिए या इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है?

(ख) यदि आपका यह मत है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15(1) में संशोधन आवश्यक हैं, तो कृपया संशोधित विनियमों का सुझाव विस्तृत औचित्य सहित प्रस्तुत करें।

ii) यदि यह निर्णय लिया जाता है कि विनियम 15(1) के प्रावधानों को हटा दिया जाए, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए जिससे कि वितरकों द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हों?

प्रश्न 2. क्या छोटे डी.पी.ओ. को इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 15(1) के अंतर्गत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट दी जानी चाहिए?

क. यदि हाँ, तो,

1. क्या इस उद्देश्य के लिए छोटे डी.पी.ओ. को परिभाषित करने हेतु 'ग्राहक आधार' को एक मानदंड के रूप में अपनाया जाना चाहिए?

i. यदि हाँ, तो,

क. छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट देने के उद्देश्य से, ग्राहक आधार की क्या सीमा अपनाई जानी चाहिए?

ख. वर्ष की किस तिथि को डी.पी.ओ. के ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाए ताकि यह वर्गीकृत किया जा सके कि डी.पी.ओ. छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?

ग. यदि कोई वितरक एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म, जैसे एम.एस.ओ. का वितरण नेटवर्क, आई.पी.टी.वी. आदि, के माध्यम से सेवाएँ प्रदान कर रहा है, तो क्या ऐसे वितरक का संयुक्त ग्राहक आधार यह वर्गीकृत करने हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वितरक छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?

ii. यदि 'ग्राहक आधार' को मानदंड के रूप में नहीं अपनाया जाना है, तो छोटे डी.पी.ओ. को परिभाषित करने के लिए कौन-सा मानदंड चुना जाना चाहिए?

2. यदि यह निर्णय लिया जाता है कि छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट दी जा सकती है, तो क्या प्रसारकों को यह स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए कि वे ऐसे डी.पी.ओ. के सिस्टम का सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा अनुपालन

ऑडिट करा सकें, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं?

i. यदि हाँ, तो विभिन्न प्रसारकों द्वारा किए जाने वाले कई ऑडिट के कारण छोटे डी.पी.ओ. पर पड़ने वाले बोझ को कम करने हेतु क्या मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए?

ii. यदि नहीं, तो यह सत्यापित करने के लिए कौन-सा मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए कि छोटे डी.पी.ओ. द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं?

ख. यदि आपका यह मत है कि छोटे डी.पी.ओ. को अनिवार्य ऑडिट से छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो-

i. छोटे डी.पी.ओ. के अनुपालन बोझ को किस प्रकार कम किया जाना चाहिए?

ii. क्या ऐसे छोटे डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य ऑडिट की आवृत्ति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार से घटाकर कम किया जाना चाहिए, जैसे कि, प्रत्येक तीन कैलेंडर वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए?

iii. वैकल्पिक रूप से, क्या छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत, बी.ई.सी.आई.एल. या भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल किसी ऑडिटर के ऑडिट के बजाय स्व-ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

प्रश्न 3. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, टेलीविज़न चैनलों के सभी वितरकों के लिए अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार ऑडिट कराना अनिवार्य है। क्या "कैलेंडर वर्ष" के मौजूदा प्रावधान को जारी रखा जाए, या कैलेंडर वर्ष के स्थान पर "वित्तीय वर्ष" निर्दिष्ट किया जाना चाहिए? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

प्रश्न 4. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, विनियम 15(1) के अंतर्गत डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाले वार्षिक ऑडिट की समय-सारणी इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिट के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिट के बीच 18 माह से अधिक का अंतर न हो। इसके स्थान पर, क्या वार्षिक ऑडिट के लिए निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए?

i. डी.पी.ओ. को यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वे प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट पूर्ण करें।

ii. जिन मामलों में प्रसारक विनियम 15(1) के अंतर्गत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, वहाँ प्रसारक विनियम 15(2) के तहत डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकता है और ऐसा ऑडिट अधिकतम 31 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाएगा।

iii. यदि किसी वर्ष डी.पी.ओ. 30 सितम्बर तक अपनी प्रणालियों का अनिवार्य वार्षिक ऑडिट पूर्ण नहीं करता है, तो प्रसारक 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक विनियम 15(2) के अंतर्गत डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकता है। यह व्यवस्था डी.पी.ओ. को उस वर्ष 30 सितम्बर तक अनिवार्य ऑडिट कराने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी और क्या इससे नॉन-कम्प्लायंट डी.पी.ओ. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार भादूविप्रा द्वारा कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा?

कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

प्रश्न 5. यदि आप प्रश्न 4 में उल्लिखित समय-सारणी से सहमत नहीं हैं, तो परामर्श हेतु निम्नलिखित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करें:

i. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, विनियम 15(1) के अंतर्गत डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक ऑडिट की समय-सारणी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच 18 माह से अधिक का अंतर न हो। क्या उपर्युक्त निर्धारित ऑडिट समय-सारणी में किसी संशोधन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया ऑडिट की समय-सारणी के निर्धारण में प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख करें। कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

ii. क्या डी.पी.ओ. से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट (विनियम 15(1) के अंतर्गत) के संबंध में, प्रसारकों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे विनियम 15(2) के अंतर्गत, उस रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित अवधि (जैसे 3 माह) के भीतर, उस कैलेंडर वर्ष के लिए डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकें, जिसमें ऐसी अवधि का कुछ हिस्सा अगले वर्ष में भी जा सकता हो?

- *यदि हाँ, तो वह निश्चित अवधि क्या होनी चाहिए जिसके भीतर प्रसारक ऐसा ऑडिट करा सके? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।*
- *यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।*

iii. यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) में निर्दिष्ट अनुसार किसी कैलेंडर वर्ष में अपनी प्रणालियों का ऑडिट नहीं कराता है, तो क्या प्रसारकों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे उस कैलेंडर वर्ष के लिए, उस वर्ष की समाप्ति के बाद एक निश्चित अवधि (जैसे 3 माह) के भीतर, ऐसे डी.पी.ओ. का सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा कंप्लायंस ऑडिट करा सकें?

- *यदि हाँ, तो (कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद) वह निश्चित अवधि क्या होनी चाहिए जिसके भीतर प्रसारक को उस कैलेंडर वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा कंप्लायंस ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।*
- *यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें?*

प्रश्न 6. डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 1 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

11. प्रश्न 1 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। विनियम 15(1) को जारी रखने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- विनियम 15(1) में कोई दोष नहीं है और इसे यथावत बनाए रखा जाना चाहिए; तथापि, इसके कार्यान्वयन के उद्देश्य और प्रभावशीलता की गंभीर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके।

- चैलेंज ऑडिट से संबंधित विनियम 15(2) को हटाया जाना चाहिए। प्रसारकों को ऑडिट को चुनौती देने का द्वितीय विकल्प देना अनावश्यक है, इससे अनुपालन लागत बढ़ती है और यह प्रसारकों को विनियामक के द्वारा निर्धारित ऑडिट प्रक्रिया से अतिरिक्त ऑडिट की मांग करने का अवसर प्रदान करता है।
- यदि किसी डी.पी.ओ. ने भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों से अपना वार्षिक ऑडिट पूर्ण करा लिया है, तो वैध औचित्य और पुष्ट आँकड़ों के अभाव में प्रसारकों को ऐसे ऑडिट को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- वर्तमान में प्रसारक द्वारा ऑडिट शुरू करने से संबंधित क्लॉज ओपन-एंडेड है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रसारक केवल तभी ऑडिट शुरू कर सके जब ग्राहक संख्या में 2 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो। तथापि, इससे किसी भी स्थिति में सेवाओं में व्यवधान नहीं होना चाहिए।
- जिन प्रसारकों का ग्राहक आधार किसी डी.पी.ओ. के कुल ग्राहक आधार के 10 प्रतिशत से कम है, उन्हें किसी भी डी.पी.ओ. का ऑडिट शुरू करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए।
- विनियम 15(1) को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु अनिवार्य रूप में नहीं।
- छोटे एम.एस.ओ. पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के उद्देश्य से ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को प्रत्येक 2/3/4/5 वर्षों में एक बार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- डी.पी.ओ. को पैनल में शामिल ऑडिटरों से वार्षिक तकनीकी ऑडिट की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; साथ ही, ऑडिटरों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क अत्यधिक अधिक हैं, जिन्हें वे वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
- विनियम 15(1) के अंतर्गत प्रावधान अत्यंत आवश्यक है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए; तथापि, उपयुक्त स्व-ऑडिट व्यवस्था जोड़ी जानी चाहिए, ताकि छोटे डी.पी.ओ. पर ऑडिट शुल्क का अतिरिक्त बोझ न पड़े।

12. विनियम 15(1) को जारी रखने का विरोध करने वाले हितधारकों ने संक्षेप में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- विनियम 15(1) को हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारकों को डी.पी.ओ. के सिस्टम का ऑडिट कराने का अबाधित प्रथम अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टीवी चैनलों के स्वामी होने के नाते प्रसारक, अपने राजस्व का आधार बनने वाली मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्टों (एम.एस.आर.) का समयबद्ध रूप से सत्यापन कर सकें।
- वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, यद्यपि डी.पी.ओ. को ऑडिट कराना अनिवार्य है, तथापि अनेक डी.पी.ओ. या तो ऑडिट नहीं कराते हैं अथवा अत्यधिक विलंब से एवं प्रसारकों के बार-बार अनुरोधों के पश्चात ही ऑडिट कराते हैं। डी.पी.ओ., प्रसारकों द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट का विरोध करते हुए, अपनी ऑडिट रिपोर्टों में पाई गई विसंगतियों के कठोर प्रमाण की मांग करते हैं तथा विभिन्न बहानों से ऐसे ऑडिट में विलंब करते हैं।
- पिछले कई मामलों में, प्रसारकों द्वारा ऑडिट कराने के लिए समय की माँग की गई, किंतु डी.पी.ओ. द्वारा ऐसे अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए। यह भी देखा गया कि डी.पी.ओ. की ऑडिट रिपोर्टों में हेरफेर किया गया, वे अपूर्ण एवं असत्य थीं तथा उनके सबमिशन में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, वैधानिक डेटा रिटेंशन अवधि समाप्त हो गई, जिससे उस अवधि के अभिलेखों का सत्यापन संभव नहीं हो सका।

13. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों में से एक टिप्पणी ऑडिटरों की फीस निर्धारित किए जाने के संबंध में भी प्राप्त हुई।

14. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के आगामी अनुभाग में मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट, 30,000 से कम ग्राहकों वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऐसे ऑडिट को वैकल्पिक बनाना तथा आवश्यकता होने पर प्रसारकों को वर्ष में एक बार ऑडिट कराने की अनुमति देना, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं और प्रक्रिया को परिभाषित करना, तथा वे परिस्थितियाँ और स्थितियाँ निर्धारित करना सम्मिलित हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक ऑडिट करा सकता है और प्रसारक द्वारा किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच का प्रावधान किया गया है।

परामर्श पत्र के प्रश्न 2 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

15. प्रश्न 2 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। विनियम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ. को छूट दिए जाने के पक्ष में रहे हितधारकों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- छोटे एम.एस.ओ. के लिए ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए अतिरिक्त बोझ है और वे ऑडिट की लागत वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, यदि ऑडिट आवश्यक है, तो इसे बिना किसी शुल्क के किया जाना चाहिए।
- छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में डी.पी.ओ. की संख्या पहले ही सीमित रह गई है।
- सब्सक्राइबर बेस के आधार पर छूट की सीमा निर्धारित करने हेतु सुझाए गए मानदंडों में पर्याप्त भिन्नता पाई गई, जो 5,000 से 50,000 ग्राहकों के बीच थी।
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट कराना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। अतः 5,000 से कम ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए तथा 5,000 से 10,000 ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को तीन वर्ष में एक बार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- जिला स्तर पर कार्यरत डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अनुपालन से छूट दी जानी चाहिए।
- विनियम 15(1) को इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारकों को ऑडिट कराने का निर्बाध प्रथम अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, यदि विनियम 15(1) को किसी न किसी रूप में बनाए रखा जाता है, तो 30,000 से कम ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंध में, प्रसारक को अपने स्वविवेक से कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, ऐसी छूट 30,000 से कम ग्राहकों वाले किसी डी.पी.ओ. पर लागू नहीं होनी चाहिए, यदि वह जॉइंट वेंचर (जे.वी.) का भाग है अथवा किसी और तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा कर रहा है, जब तक कि जे.वी. या इंफ्रास्टक्चर सेयरिंग व्यवस्था में शामिल पार्टियों के पास कुल मिलाकर 30000 से कम सब्सक्राइबर न हो।

16. विनियम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ. को छूट दिए जाने का विरोध करने वाले हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- विनियमन सभी डी.पी.ओ. पर समान रूप से लागू होना चाहिए और छोटे अथवा बड़े डी.पी.ओ. के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे डी.पी.ओ. को दी गई कोई भी छूट असमानता को बढ़ाएगी तथा विनियमन के गैर-अनुपालन को प्रोत्साहित करेगी।
- देश का कानून कभी भी जाति, क्रीड, आर्थिक स्थिति अथवा प्रभाव के आधार पर भेद नहीं करता है और यही सिद्धांत कंपनी अधिनियम 2013 पर भी लागू होता है। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों के टर्नओवर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता; अतः आकार अथवा टर्नओवर के आधार पर डी.पी.ओ. को छूट प्रदान करना उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
- विनियम 15(1) को केबल टीवी एवं प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए विनियम में शामिल किया गया था ताकि इस क्षेत्र में हो रही अंडर-रिपोर्टिंग को कम किया जा सके। विनियम 15(1) में दी गई कोई भी छूट अंडर-रिपोर्टिंग एवं अनधिकृत वितरण को और बढ़ाएगी, जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति होगी।
- प्रत्येक डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा; तथापि, 1,000 से कम ग्राहक आधार वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट शुल्क को विनियमित किया जा सकता है।

17. छोटे डी.पी.ओ. के लिए अनिवार्य ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कम किए जाने के प्रश्न पर हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

- ऑडिट की फ्रीक्वेंसी में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए और इसे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अनिवार्य बनाए रखा जाना चाहिए।
- छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को बदलकर प्रत्येक दो, तीन या पाँच साल में एक बार कर देना चाहिए।
- कंप्लायंस के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को प्रत्येक दो वित्तीय वर्षों में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार ऑडिट किया जाना चाहिए।
- ऑडिट के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे डी.पी.ओ. वर्तमान में उच्च ऑडिट शुल्क के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सभी प्रसारण कंपनियों द्वारा एक साथ, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर के माध्यम से ऑडिट कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्व-ऑडिट के लिए शुल्क केवल ₹15,000/- निर्धारित किया जाना चाहिए, अथवा वैकल्पिक रूप से ऑडिट को प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- संपूर्ण लाइसेंस अवधि में केवल एक बार ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।

18. किसी वर्ष में डी.पी.ओ. के सब्सक्राइबर बेस के आधार पर विचार करते हुए छूट की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तिथि की पहचान के विषय पर हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:–

- पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक के ग्राहक आधार पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि डी.पी.ओ. का सब्सक्राइबर बेस दिन -प्रतिदिन घटता जा रहा है।
- एक समान तिथि पर विचार किया जाना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक वर्ष के अंत में, अथवा भादूविप्रा द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार।

19. विनियम 15(1) के अंतर्गत छूट की स्थिति निर्धारित करने के लिए, वितरकों के कुल सब्सक्राइबर बेस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ कोई वितरक एम.एस.ओ. नेटवर्क या आईपीटीवी जैसे एकाधिक प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालन करता है, इस संबंध में हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए:–

- सभी वितरण प्लेटफार्मों के सामूहिक/संयुक्त ग्राहक आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डी.पी.ओ. प्रत्येक वितरण प्लेटफॉर्म के लिए प्रसारकों के साथ पृथक-पृथक इंटरकनेक्शन समझौते निष्पादित करता है।
- संयुक्त ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

20. इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या विनियम 15(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त छोटे डी.पी.ओ. की सिस्टम्स का ऑडिट कराने के लिए प्रसारकों को स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, हितधारकों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:–

- 30,000 से कम ग्राहकों वाले किसी भी डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अनिवार्य ऑडिट से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंध में, प्रसारक को अपने विवेक से कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि सब्सक्राइबर बेस के आधार पर डी.पी.ओ. के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किए जाने की आवश्यकता हो, तो प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सब्स्क्रिप्शन ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.आर. की पूर्णता, शुद्धता अथवा सत्यता के संबंध में संदेह हो।

21. इस प्रश्न के संदर्भ में कि जिन मामलों में छोटे डी.पी.ओ. को छूट प्रदान नहीं की गई है, वहाँ उनके अनुपालन के बोझ को किस प्रकार कम किया जा सकता है, हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:–

- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में केवल एक ऑडिट कराए जाने के अतिरिक्त छोटे डी.पी.ओ. पर कोई विशेष कंप्लायंस बोझ नहीं है। यह भी कहा गया कि छोटे डी.पी.ओ. के लिए यह एकमात्र ऑडिट प्रक्रिया सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जाती है, जबकि सात से आठ हेडएंड वाले बड़े डी.पी.ओ. के लिए इसमें तीन से चार सप्ताह का समय लगता है; अतः इस आधार पर डी.पी.ओ. पर कंप्लायंस बोझ नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ऑडिट शुल्क के लिए एक सामान्य रेट कार्ड प्रकाशित कर सकता है, जो सी.ए.एस. की संख्या, एस.एम.एस. की संख्या, ग्राहकों की संख्या, ऑडिट पूर्ण करने में अपेक्षित समय आदि पर आधारित होगा; इससे छोटे एम.एस.ओ. पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।
- डी.पी.ओ. की कुछ श्रेणियों (उनके ग्राहक आधार के अनुसार) के कंप्लायंस बोझ को कम करने का निर्णय लिया जाता है, तो समानता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि को अपनाया जा सकता है:–

  विधि 1:

  i) विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम्स का ऑडिट कराने का विकल्प डी.पी.ओ. के पास ही रहना चाहिए।

ii) डी.पी.ओ. (बड़े या छोटे) को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में, तथा उस कैलेंडर वर्ष के प्रथम तीन महीनों के भीतर, भादूविप्रा को आधिकारिक रूप से सूचित/रिपोर्ट करने का विकल्प दिया जा सकता है कि वे उस कैलेंडर वर्ष में विनियम 15(1) के अनुसार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना चाहते हैं या नहीं।

iii) यदि कोई डी.पी.ओ. ऑडिट कराने के लिए अनिच्छुक हो या निर्धारित अवधि में प्रतिक्रिया न दे, तो प्राधिकरण प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे सिस्टम्स का ऑडिट कराने तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्त रिपोर्टें भादूविप्रा को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

iv) वे डी.पी.ओ. जो वर्ष के प्रारंभ में भादूविप्रा को ऑडिट कराने की अपनी इच्छा सूचित करते हैं, किंतु उस कैलेंडर वर्ष के भीतर डी.ए.एस. ऑडिट पूर्ण करने में विफल रहते हैं, उनके विरुद्ध प्राधिकरण उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

विधि 2:

- सभी डी.पी.ओ. (बड़े या छोटे) को विनियम 15(1) के अनुसार अपने सिस्टम्स का कंप्लायंस ऑडिट अनिवार्य रूप से कराना होगा तथा वार्षिक कंप्लायंस रिपोर्ट भादूविप्रा को प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि सब्सक्राइबर बेस के आधार पर डी.पी.ओ. के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किए जाने की आवश्यकता हो, तो प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सब्स्क्रिप्शन ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.आर. की पूर्णता, शुद्धता अथवा सत्यता के संबंध में संदेह हो।

22. इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "बेसिल" कहा जाएगा) द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट के स्थान पर स्व-ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:–

- कुछ हितधारकों का मत था कि "स्व-ऑडिट" शब्द सेल्फ-कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि ऑडिट का तात्पर्य स्वयं में किसी प्रमाणित एवं स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा डेटा अथवा सिस्टम की जाँच से है, जो अनिवार्य रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए।
- कुछ अन्य हितधारकों ने स्व-ऑडिट सिस्टम का समर्थन किया, ताकि छोटे डी.पी.ओ. पर भारी ऑडिट शुल्क का बोझ न पड़े।

23. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट, 30,000 से कम ग्राहकों वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऐसे ऑडिट को वैकल्पिक बनाना तथा आवश्यकता होने पर प्रसारकों को वर्ष में एक बार ऑडिट कराने की अनुमति देना, जॉइंट वेंचर अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर सेयरिंग के मामलों में ऐसी छूट के लिए कुल ग्राहक आधार पर विचार किया जाना, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं एवं प्रक्रिया को परिभाषित करना, तथा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक द्वारा ऑडिट कराए जाने और किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच से संबंधित विषय सम्मिलित हैं।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 3 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

24. प्रश्न 3 के प्रत्युत्तर में हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। 'कैलेंडर वर्ष' के स्थान पर 'वित्तीय वर्ष' को प्रतिस्थापित किए जाने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- यह मत व्यक्त किया गया कि ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी लेखांकन प्रावधान एवं ऑडिट वित्तीय वर्ष के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष प्रसारकों के साथ किए गए वार्षिक वित्तीय वर्ष-आधारित अनुबंधों एवं वित्तीय समझौतों के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन में नहीं है।
- ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के साथ अलाइन करने से अन्य वित्तीय रिपोर्टिंग एवं अनुपालन आवश्यकताओं के साथ निरंतरता सुनिश्चित होती है। जिससे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट प्रक्रिया को अपने वार्षिक वित्तीय ऑडिट के साथ एकीकृत करना सरल हो जाता है। यह भी इंगित किया गया कि रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आर.आई.ओ.) का नवीनीकरण जनवरी एवं फरवरी माह के दौरान होता है, ऐसे में कैलेंडर वर्ष के आधार पर ऑडिट करने की पूर्व प्रथा व्यावहारिक नहीं है।
- ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के साथ अलाइन करने से कई व्यवहारिक और विनियामक लाभ होंगे, जिससे ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ेगी। इससे ऑडिट प्रक्रिया आसान होगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा कि ऑडिट में एक तय रिपोर्टिंग पीरियड में डी.पी.ओ. के ऑपरेशंस की पूर्ण और सही जानकारी मिले। इसके अलावा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का एक मुख्य हिस्सा है, और ऑडिट पीरियड को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करने से यह सुनिश्चित होगा कि सब्सक्रिप्शन और कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट किए गए फाइनेंशियल डेटा के साथ मेल खाते हैं।

25. कैलेंडर वर्ष को जारी रखने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित मत व्यक्त किए:–

- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15(1) को समाप्त किया जाना चाहिए; तथापि, यदि इसे बनाए रखा जाता है, तो डी.पी.ओ. एक कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट करा सकते हैं, बशर्ते कि इस आवश्यकता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- एक कैलेंडर वर्ष में वार्षिक ऑडिट तथा दो क्रमागत ऑडिटों के मध्य निर्दिष्ट न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि से संबंधित वर्तमान प्रावधान उपयुक्त हैं और इनमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा विनियमों के अंतर्गत निर्धारित ऑडिट अवधि और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी कंपनी पर लागू वित्तीय वर्ष आधारित रिपोर्टिंग दायित्वों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
- डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाले वार्षिक ऑडिट सिस्टम के तकनीकी कंप्लायंस एवं तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। वित्तीय वर्ष आधारित ऑडिट को डी.ए.एस. ऑडिट के लिए बेंचमार्क नहीं बनाया जाना चाहिए।

26. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक सब्सक्राइबर वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और मौजूदा रेगुलेशन में कैलेंडर वर्ष के बजाय ऑडिट की अवधि को एक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 4 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

27. प्रश्न 4 के प्रत्युत्तर में, जिसमें कैलेंडर वर्ष के भीतर वार्षिक ऑडिट की वर्तमान व्यवस्था, साथ ही दो क्रमागत ऑडिटों के बीच निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, को हटाकर ऑडिट के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित करने के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं–हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। डी.पी.ओ. द्वारा 30 सितंबर तक ऑडिट पूर्ण किए जाने तथा प्रसारक द्वारा आरंभ किए जाने वाले ऑडिट 31 दिसंबर तक किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमाओं के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:–

- निर्धारित समय-सीमाएँ कम्प्लायंस सुनिश्चित करती हैं तथा अनावश्यक टकरावों एवं विवादों को कम करती हैं।
- हितधारकों ने प्रस्तावित समय-सीमाओं के प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त की, क्योंकि ये समयबद्ध, प्रासंगिक हैं और समयबद्ध डी.ए.एस. ऑडिट तथा उससे संबंधित रिपोर्टिंग के लिए दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी निर्धारित करती हैं। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी तथा प्रसारकों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट साझा किए जाने के कई माह बाद उठाए जाने वाले दीर्घकालिक प्रश्नों में भी कमी आएगी, जो अनेक मामलों में छह माह तक खिंच जाते हैं।
- डी.पी.ओ. द्वारा 30 सितंबर तक अनिवार्य वार्षिक ऑडिट पूर्ण करने की आवश्यकता अत्यंत प्रासंगिक है और इन समय-सीमाओं का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अनिवार्य वार्षिक ऑडिट के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा एक महत्वपूर्ण विनियामक आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी डी.पी.ओ. का मूल्यांकन एक समान समय-सीमा में किया जाए। यह संपूर्ण इंडस्ट्री में एकरूपता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इस डेडलाइन का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी संस्थाओं पर एक जैसे स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस लागू हों। इससे अनावश्यक मुकदमेबाज़ी से भी बचा जा सकेगा।
- यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर ऑडिट की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रसारकों को ऐसे डी.पी.ओ. को प्रसारण सिग्नल उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि विनियम 15(2) को फिशिंग इन्क्वायरी अथवा प्रसारकों द्वारा डी.पी.ओ. पर दबाव बनाने के उपकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- इन समय-सीमाओं का पालन ऑडिट प्रक्रिया में गंभीरता और अनुशासन लाएगा। इससे डी.पी.ओ. और प्रसारकों के बीच विवादों एवं टकरावों में कमी आएगी, क्योंकि प्रसारक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने बाद भी प्रश्न उठाते रहते हैं, जिसमें पिछले साल के ऑडिट से जुड़े सवाल भी शामिल होते हैं।

28. प्रस्तावित समय-सीमाओं से असहमत रहे हितधारकों से प्राप्त मतों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है:–

- डी.पी.ओ. पर प्रसारक द्वारा आरंभ किए जाने वाले ऑडिट का प्रावधान हटाया जाना चाहिए। प्रसारक सामान्यतः पूरे वर्ष ऑडिट रिपोर्टों पर कोई आपत्ति नहीं उठाते, किंतु वर्ष के अंत में, जब वाणिज्यिक शर्तों पर सहमति नहीं बन पाती, तब वे अस्पष्ट प्रश्न उठाकर ऑडिट की आवश्यकता का हवाला देते हैं, जिससे डी.पी.ओ. पर दबाव बनाया जाता है। यह भी कहा गया कि प्रसारकों को प्रदान की गई यह असीमित शक्ति ईकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न करती है और इसे हटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह इंगित किया गया कि भाद्विप्रा द्वारा अनिवार्य ऑडिट पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा कराए जाते हैं, जिन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाना चाहिए, अतः प्रसारक-प्रेरित ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है।
- डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट पूर्ण करने की अवधि को वर्तमान 12 महीनों से घटाकर नौ महीने करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

- मौजूदा प्रावधान जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट करना ज़रूरी है, साथ ही दो लगातार ऑडिट के बीच तय की गई न्यूनतम और अधिकतम अवधि भी उपयुक्त है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विनियम 15(2) के अंतर्गत प्रसारक द्वारा ऑडिट कराने की सीमा "एक कैलेंडर वर्ष में एक से अधिक नहीं" को इस प्रकार विस्तारित किया जाना चाहिए कि यदि किसी एक प्रसारक ने ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ऑडिट आरंभ कर दिया है, तो उसी कैलेंडर वर्ष में किसी अन्य प्रसारक को ऑडिट कराने की अनुमति न दी जाए।
- वार्षिक ऑडिट पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर, अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक पूर्ण किया जाना चाहिए। चूँकि ऑडिट मैनुअल के अंतर्गत ऑडिटरों के साथ साझा किए जाने वाले डेटा की मात्रा अत्यधिक है, विशेष रूप से अधिक डेटा वाले डी.पी.ओ. के मामलों में, इसलिए ऑडिट पूर्ण करने हेतु पर्याप्त समय आवश्यक है। साथ ही, तीन महीनों की रियायती अवधि (अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष के मार्च तक) प्रदान किए जाने का भी सुझाव दिया गया, ताकि किसी अप्रत्याशित विलंब की स्थिति में डी.पी.ओ. को अतिरिक्त समय मिल सके। विनियम 15(2) के अंतर्गत करवाए जाने वाले ऑडिट या चैलेंज ऑडिट के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि, यदि डी.पी.ओ. तय समय सीमा के अंदर (यानी ग्रेस पीरियड के बाद भी मौजूदा फाइनेंशियल साल के मार्च तक) ऑडिट पूर्ण नहीं करता है, तो प्रसारकों को केवल अगले छह महीनों के भीतर ही डी.पी.ओ. की सिस्टम्स का ऑडिट आरंभ करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि विनियम 15(1) को किसी भी रूप में बनाए रखा जाता है, तो डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट पूर्ण करने और कैलेंडर वर्ष के 30 जून तक प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट (जिसमें प्रसारक द्वारा बताए गए गायब एनेक्सर और/या सपोर्टिंग डेटा/दस्तावेज़ जमा करना और/या अन्य ऑडिट सवालों का जवाब देना शामिल है) को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे प्रसारकों को अपने विवेक से विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत किसी भी समय (अर्थात् 30 जून से पूर्व भी) ऑडिट कराने का अधिकार बना रहना चाहिए।

29. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रसारकों द्वारा ब्रॉडकास्टर-प्रेरित ऑडिट कराने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली कथित दबावकारी अथवा अन्य अनुचित प्रथाओं से संबंधित मुद्दे, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं तथा प्रक्रिया को परिभाषित करना, वे मामले और परिस्थितियाँ निर्धारित करना जिनमें ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक ऑडिट करा सकता है, तथा प्रसारक द्वारा किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच, जैसे विषय सम्मिलित हैं।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 5 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

30. प्रश्न 5 के प्रत्युत्तर में, जिसमें यह पूछा गया था कि यदि हितधारक प्रश्न 4 में प्रस्तावित समय-सीमाओं से सहमत नहीं हैं, तो वैकल्पिक समय-सीमाओं के संबंध में उनके सुझाव क्या हैं, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए, जिनका व्यापक सारांश निम्नानुसार है:-

- भादूविप्रा द्वारा अनिवार्य किए गए ऑडिट को अंतिम माना जाना चाहिए, और प्रसारकों को डी.पी.ओ. का ऑडिट कराने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य की पुनरावृत्ति है, जिससे डी.पी.ओ. पर अतिरिक्त लागत और कंप्लायंस बोझ बढ़ता है। भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा चिन्हित की गई किसी भी कमी को सुधारात्मक उपायों हेतु चिह्नित किया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति, उस कैलेंडर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से एक निश्चित अवधि के भीतर दी जानी चाहिए, जिसमें अगले वर्ष में जाने वाली किसी भी शेष अवधि (स्पिल-ओवर) को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि, प्रसारकों को विनियमों/ऑडिट मैनुअल के अनुसार उन विशिष्ट मुद्दों की पहचान करनी चाहिए, जिन पर वे ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तथा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक ऑडिट प्रारंभ करने में विफल रहता है, तो प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे डी.पी.ओ. का डी.ए.एस. ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जहाँ कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर डी.पी.ओ. अनिवार्य डी.ए.एस. ऑडिट प्रारंभ करने की सूचना नहीं देता तो प्रसारकों को डी.पी.ओ. से इस बारे में स्पष्टीकरण माँगना चाहिए। यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. ऑडिट प्रारंभ करने का कोई कार्यक्रम साझा नहीं करता, तो प्रसारक को विनियम 15(2) के अंतर्गत डी.पी.ओ. के सिस्टम का ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच छह माह का न्यूनतम अंतराल तथा अठारह माह का अधिकतम अंतराल निर्धारित करने की वर्तमान शेड्यूलिंग व्यवस्था उपयुक्त एवं प्रभावी है। यह नियमित और समयबद्ध ऑडिट सुनिश्चित करती है तथा संगठनों को अपने ऑडिट कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। अतः वर्तमान समय-सीमा में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- यदि विनियम 15(2) को उचित आधार पर बनाए रखा जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड एवं समयबद्ध ऑडिट प्रक्रिया बनाए रखने हेतु, प्रसारकों को भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाने की अनुमति, डी.पी.ओ. से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही दी जानी चाहिए। इससे किसी भी विसंगति अथवा मुद्दे का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। इस अवधि के पश्चात, प्रसारकों को किसी भी अतिरिक्त प्रश्न को आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विनियम 15(1) की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने हेतु एक निश्चित समय-सीमा से बाँधने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। यह तर्क दिया गया कि डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ऑडिट रिपोर्टों में महत्वपूर्ण अनुलग्नक तथा डेटा/दस्तावेज़ अनुपस्थित रहते हैं, जिन्हें उपलब्ध कराने तथा प्रसारकों के प्रश्नों का उत्तर देने में डी.पी.ओ. को कई माह लग जाते हैं। कुछ डी.पी.ओ. डेटा माइग्रेशन, सिस्टम क्रैश, सर्वर संबंधी समस्याओं अथवा सी.ए.एस./एस.एम.एस. तकनीकी सहायता की अनुपलब्धता का हवाला भी देते हैं।
- इसके अलावा, प्रसारक को विनियम 15 (2) के तहत कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात, एक निश्चित समय-सीमा के अंदर ऑडिट करने के लिए बाध्य करने के संबंध में, उन मामलों में जहाँ डी.पी.ओ. ने विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट नहीं कराया है, प्रसारकों को किसी निश्चित समय-सीमा से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहार में ज्यादातर समय डी.पी.ओ. को प्रसारक द्वारा शुरु किए गए ऑडिट के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

31. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत

किया गया है, जिनमें ब्रॉडकास्टर-प्रेरित ऑडिट को प्रतिबंधित करना, प्रसारकों द्वारा ऑडिट आरंभ किए जाने की समय-सीमा को सीमित करना तथा इसके लिए विशिष्ट कारणों के साथ, ऐसे मामलों में प्रसारकों को ऑडिट कराने की अनुमति देना जहाँ डी.पी.ओ. तय समय-सीमा के भीतर ऑडिट कराने में विफल रहता है, तथा सभी अनुलग्नकों सहित पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जैसे विषय सम्मिलित हैं।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 6 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

32. प्रश्न 6 के प्रत्युत्तर, में हितधारकों से प्राप्त विभिन्न मतों का मोटे तौर पर सारांश निम्नानुसार है:

- डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट समय पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु डी.पी.ओ. पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए, जिनमें गैर-अनुपालन की स्थिति में संबंधित वितरण प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु लाइसेंस रद्द करना तथा किसी भी प्रकार के वितरण प्लेटफॉर्म के संचालन से तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टिंग सम्मिलित हों। साथ ही, डी.पी.ओ. को 10-14 दिनों के भीतर ऑडिट पूर्ण करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तय तिथि के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी होने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को ऑडिट प्रारंभ होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व, पैनल में शामिल ऑडिटर अथवा संबंधित डी.पी.ओ. को ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम (टी.एस.) तथा ऑडिट-संबंधी सभी प्रश्न, यदि कोई हों, उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि ऑडिटर/डी.पी.ओ. को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो प्रसारकों पर भी वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना चाहिए।
- भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत आवश्यक है, ताकि ऑडिट सटीकता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता के साथ किए जा सकें। इस हेतु भादूविप्रा को बेसिल के सहयोग से, नए विनियमों, तकनीकी प्रगति तथा उभरती उद्योग प्रथाओं के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अनुसार 30 जून तक स्व-ऑडिट पूर्ण करना अनिवार्य किया जाए तथा 30 जून तक ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में दंड लगाया जाए। यदि प्रसारक स्वयं ऑडिट कराते हैं, तो डी.पी.ओ. के लिए सभी प्रसारकों के ऑडिट का प्रबंधन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
- डिफॉल्टरों के विरुद्ध भादूविप्रा द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें प्रथम डिफॉल्ट पर पाँच लाख रुपये, द्वितीय डिफॉल्ट पर दस लाख रुपये, तथा निरंतर डिफॉल्ट की स्थिति में एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाए। यदि भादूविप्रा द्वारा जारी स्मरण-पत्रों एवं नोटिसों के बावजूद डिफॉल्ट जारी रहता है, तो लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे प्रसारकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऑडिट प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद डिफॉल्ट करने वाले डी.पी.ओ. को सिग्नल प्रदान करना जारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह माना गया कि प्रसारक भी डिफॉल्ट में सहायक हैं, अतः उनके विरुद्ध भी वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना चाहिए।
- वर्तमान में त्रुटिपूर्ण डी.पी.ओ. को "गैर-अनुपालन" के रूप में चिह्नित करने का प्रावधान पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रसारक नए आर.आई.ओ. समझौते निष्पादित नहीं करेंगे।
- ऑडिट का समयबद्ध समापन डी.पी.ओ. के परिसरों में ऑडिट के दौरान डी.पी.ओ. विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग पर निर्भर करता है। अतः प्राधिकरण सभी डी.पी.ओ. के एस.एम.एस., सी.ए.एस. तथा एस.टी.बी. विक्रेताओं को निर्देश दे सकता है कि वे ऑडिट के दौरान पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करें,

भले ही पक्षकारों के बीच कोई मौजूदा वाणिज्यिक संबंध न हों, क्योंकि तैनात प्रणालियाँ विनियमों के दायरे में आती हैं और विक्रेताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

33. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें ऑडिट के लिए समय-सीमाओं एवं प्रक्रिया का निर्धारण, ऑडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, तथा डिफॉल्टर डी.पी.ओ. के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई जैसे विषय सम्मिलित हैं।

34. परामर्श पत्र पर प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों, प्रत्युत्तर टिप्पणियों तथा ओ.एच.डी. के दौरान प्राप्त सुझावों का विश्लेषण करने के पश्चात, प्राधिकरण ने हितधारकों से आगे के इनपुट प्राप्त करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 को मसौदा विनियम 2025 जारी किए। मसौदा विनियमों का मुख्य भाग निम्नानुसार है:–

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इसके बाद "मूल विनियम" कहा जाएगा) के विनियमन 15 में,–

(क) उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक को अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म के एड्रेसेबल सिस्टम्स जिनमें सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.), कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.), डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम (डी.आर.एम.) तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स सम्मिलित हैं, का प्रतिवर्ष एक बार, किसी ऑडिटर से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए, ऑडिट कराना होगा, ताकि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्टों में निहित सूचना का सत्यापन किया जा सके और वितरक यह सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम रूप से सभी आवश्यक उपाय करेगा कि पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक उन प्रसारकों के साथ साझा करे जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ हैं।

बशर्ते कि प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडिट के उद्देश्य के लिए ऑडिटरों का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा ऐसे पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर से ऑडिट कराए।

बशर्ते यह कि वितरक उस प्रसारक को, जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है, ऑडिट का शेड्यूल और ऑडिटर का नाम कम से कम तीस दिन पूर्व सूचित करेगा।

बशर्ते यह भी कि प्रसारक ऑडिट में सम्मिलित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है और जो ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर सकता हैं और वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण : संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो तो, के सीमित उद्देश्य के लिए है और यह उसे ऑडिट के संचालन को किसी भी प्रकार से निर्देशित या प्रभावित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

बशर्ते यह भी कि उन टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के लिए, जिनके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, सक्रिय ग्राहकों की संख्या तीस हजार से अधिक नहीं है, उनके लिए इस विनियम के अंतर्गत ऑडिट कराना वैकल्पिक होगा।

बशर्ते यह भी कि पैनल में शामिल कोई भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो एड्रेसेबल सिस्टम्स का ऑडिट कर रहा है, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जिसमें पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिट की गई इकाई (ऑडिटी) से स्वतंत्र है और ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और ऑडिटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह भी कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व का कोई भी अनऑडिटेड अवधि यदि हो, तो उसे भी ऑडिट में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) उप-विनियमन (1A) में, "कैलेंडर" शब्द के स्थान पर "वित्तीय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

उप-विनियमन (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) (क) यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के अंतर्गत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो हुआ है और वह ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में कोई विसंगति पाता है, तो वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, ऑडिट रिपोर्ट के विरुद्ध साक्ष्यों सहित विशिष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीविज़न चैनल के वितरक को, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, लिखित रूप में अवगत करा सकता है तथा साक्ष्यों सहित टिप्पणियों की एक प्रति संबंधित ऑडिटर को भी प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि वितरक, प्रसारक से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर, उन टिप्पणियों की जाँच एवं निवारण हेतु संबंधित ऑडिटर को प्रेषित करेगा और ऑडिटर, प्रसारक की टिप्पणियों का निवारण करेगा और तीस दिनों की अवधि के भीतर वितरक को अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसे वितरक उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेषित करेगा।

बशर्ते यह कि, यदि प्रसारक यह पाता है कि उसकी टिप्पणियों का पूर्णतः निराकरण नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों सहित अपनी विशिष्ट टिप्पणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की जाने वाली फीस एवं लागत पर, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, मामले की गुण-दोष के आधार पर जाँच करेगा और, यदि आवश्यक पाया जाए, तो प्रसारक द्वारा इंगित विसंगतियों का पता लगाने हेतु, प्रसारक की लागत पर विशेष ऑडिट कराने की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते यह कि प्रसारक द्वारा कराए जाने वाले विशेष ऑडिट के मामले में, प्रसारक मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिलऑडिटरों में से तीन ऑडिटरों के नाम वितरक को उपलब्ध कराएगा और वितरक पंद्रह दिनों के भीतर विशेष ऑडिट हेतु एक ऑडिटर का चयन करेगा; ऐसा न करने की स्थिति में, प्रसारक ऑडिटर के चयन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा।"

(2) (ख) यदि किसी प्रसारक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होती है,–

(i) अगर कोई टेलीविज़न चैनल का वितरक, उप-विनियमन (1) के अंतर्गत, पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उस वर्ष के 30 सितंबर तक जिस साल ऑडिट होना था उन प्रसारकों के साथ शेयर करने में विफल रहता है, जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं, वहाँ वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्रसारकों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से, ऐसे टेलीविज़न चैनल वितरक की एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारक की लागत पर, करवाने की अनुमति होगी।

(ii) जहाँ उप-विनियमन (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्रसारकों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से, एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, करवाने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी प्रसारक द्वारा ऑडिट कराया जाता है, तो ऐसा ऑडिट किसी एक वर्ष में केवल एक बार ही कराया जाएगा और वह उस वर्ष के 30 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।"

(2) (ग) यदि उप-विनियमन (1) या उप-विनियमन (2)(क) या उप-विनियमन (2)(ख) के अंतर्गत किए गए किसी ऑडिट से यह प्रकट होता है कि–

(क) अगर सब्सक्राइबर की संख्या में कोई विसंगति है, तो ऐसी विसंगति का निपटारा प्रसारक और वितरक के बीच संपन्न इंटरकनेक्शन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है;

(ख) यदि वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रेसेबल सिस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो प्रसारक को यह अनुमति होगी कि वह वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देकर टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर सकता है।"

3. मूल विनियमों की अनुसूची III में,–

(क) आइटम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:: -

"(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उक्त विनियमन में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।";

(ख) आइटम (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित आइटम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(च) **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -**

1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में सभी आवश्यकताओं को इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इन्टिटी वाइज मिलान करना संभव हो सके।

2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ़ एनकोडर छोर पर वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो डालने की जरुरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।"

4. मूल विनियमों की अनुसूची X में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:: -

"(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियम में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।";

(ख) आइटम (च) के बाद, निम्नलिखित आइटम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(छ) **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले -**

1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में सभी आवश्यकताओं को इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./ डी.आर.एम. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और डी.आर.एम. के बीच इन्टिटी वाइज मिलान करना संभव हो सके।

2. *सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ़ एनकोडर छोर पर वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो डालने की जरुरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी.।मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।'*

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

35. मसौदे विनियम 2025 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न प्रकार के विचार प्राप्त हुए, जिनका सारांश निम्नानुसार है:

- प्राधिकरण द्वारा टुकड़ो में संशोधन प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण वर्ष 2024 के परामर्श पत्र से मेल नहीं खाता है, जिसमें इन तीनों पहलुओं,ऑडिट विनियम, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग तथा ऑडिट मैनुअल को परस्पर आश्रित एवं अंतर-संबंधित मुद्दों के रूप में देखा गया था। वर्तमान परामर्शी प्रक्रिया में ऑडिट विनियमों, ऑडिट मैनुअल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के विषयों को पृथक-पृथक कर दिया गया है जिससे हितधारकों के लिए प्रस्तावों के समग्र प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो पाता।
- वर्तमान मसौदा संशोधन को वापस ले लिया जाए तथा संपूर्ण कार्रवाई को आगामी प्रसारण विनियामक ढांचे की समग्र समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित मुद्दों का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया है तथा मसौदा संशोधन का व्याख्यात्मक ज्ञापन ऑडिट मैनुअल में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संशोधनों को किसी अनिर्दिष्ट भविष्य की तिथि तक स्थगित कर देता है।
- 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक के दौरान, भादूविप्रा द्वारा इस कार्रवाई को स्थगित कर इसे प्रसारण विनियामक ढांचे की समग्र समीक्षा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर उद्योग ने दोहरावपूर्ण एवं असंबद्ध हस्तक्षेपों से बचने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की थी।
- भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में भादूविप्रा की भूमिका को एक विनियामक (विधायी कार्य) तथा माननीय टीडीसैट की भूमिका को एक निर्णायक निकाय (न्यायिक कार्य) के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मामलों को गुण-दोष के आधार पर तय करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर, भादूविप्रा अपने विधायी अधिकार-क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यायिक भूमिका ग्रहण कर रहा है।
- मसौदा सेवा प्रदाताओं के माननीय टीडीसैट के समक्ष जाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में अतिक्रमण कर ज्यूरिस्डिक्शनल विसंगतियां उत्पन्न करता है।
- हितधारकों को मसौदा संशोधन पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए केवल 15 दिन (एक सप्ताह के अतिरिक्त विस्तार सहित) का समय प्रदान किया गया तथा जवाबी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

- मसौदा विनियम 2025 में ऑडिट प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मैकेनिज्म तथा डेटा प्रबंधन दायित्वों से संबंधित महत्वपूर्ण परिचालन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। अतः सभी हितधारकों को अपने सिस्टम, प्रक्रियाओं तथा अनुबंधीय ढांचे को तदनुसार एलाइन करने हेतु संशोधित विनियम की अधिसूचना की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि प्रदान की जानी चाहिए ।

विश्लेषण

36. इस खंड में, मसौदा विनियम 2025 पर प्राप्त सामान्य टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है, इसके पश्चात् विशिष्ट विनियमों से संबंधित टिप्पणियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

37. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझावों में से एक यह था कि मसौदा विनियम 2025 को वापस ले लिया जाए तथा संपूर्ण प्रक्रिया को प्रसारण क्षेत्र के विनियामक ढांचे की आगामी समग्र समीक्षा में सम्मिलित कर दिया जाए। इस सुझाव की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि ऑडिट से संबंधित विनियमों तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल दिनांक 8 नवंबर 2019 (इसके बाद "ऑडिट मैनुअल" कहा जाएगा) में संशोधन से संबंधित परामर्श अगस्त 2024 में एक स्व-निहित परामर्श पत्र के माध्यम से पहले ही संपन्न किया जा चुका है तथा हितधारकों से टिप्पणियाँ, प्रत्युत्तर टिप्पणियाँ तथा ओ.एच.डी. के माध्यम से विस्तृत प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए यह उपयुक्त माना गया है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए। उन विनियमों की समीक्षा एवं परिणामी संशोधनों, जिनके संबंध में परामर्श प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है, को ऐसे भविष्यगत विनियामक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्थगित करना, जिनके लिए अभी परामर्श पत्र भी जारी नहीं किया गया है, अनावश्यक विलंब को जन्म देगा। यह विलंब उन अत्यावश्यक संशोधनों को प्रभावित करेगा, जो हितधारकों के अनुरोधों तथा ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता पर आधारित हैं। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि ऑडिट से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधनों को और अधिक स्थगित किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इन्हें यथाशीघ्र जारी किया जाना उपयुक्त होगा।

38. ऑडिट विनियमों, ऑडिट मैनुअल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित तीनों परस्पर संबद्ध मुद्दों को कथित रूप से अलग-अलग किए जाने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से जुड़े विषयों के विश्लेषण न किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि परामर्श पत्र में हितधारकों की टिप्पणियों और विश्लेषण के लिए इन तीन मुद्दों पर विचार किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि एमआईबी की इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की अनुमति प्रदान करने वाले दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। एमआईबी द्वारा एचआईटीएस, एमएसओ तथा डीटीएच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग संबंधी दिशानिर्देश क्रमशः नवंबर 2020, दिसंबर 2021 और सितंबर 2022 में जारी किए गए थे, जो कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 तथा ऑडिट मैनुअल के जारी होने के बाद के हैं। अतः यह आवश्यक एवं उपयुक्त है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के उन प्रावधानों की पहचान की जाए तथा उनमें आवश्यक संशोधन किए जाएँ, जो सेवा प्रदाताओं के मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को प्रभावित कर सकते हैं, तथा उनसे संबंधित प्रावधानों को ऑडिट मैनुअल में भी समुचित रूप से समाहित किया जाए। ऑडिट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह ऑडिटरों द्वारा ऑडिट के संचालन हेतु एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ है और यह प्रचलित विनियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण या प्रतिस्थापन नहीं करता है। इसलिए, वर्तमान कार्रवाई का उद्देश्य केवल विनियमों में आवश्यक संशोधन करना तथा, तदनुसार, ऑडिट मैनुअल में अपेक्षित परिवर्तनों को सम्मिलित करना है। ऑडिट मैनुअल में आवश्यक संशोधनों के संबंध में परामर्श पत्र दिनांक 9 अगस्त 2024 के माध्यम से परामर्श पहले ही

किया जा चुका है। ऑडिट मैनुअल में किए जाने वाले संशोधनों से संबंधित निर्णय, ऑडिट विनियमों में किए गए संशोधनों पर आधारित होंगे। प्राधिकरण का यह विचार है कि सातवें संशोधन विनियमों के अधिसूचित होने के पश्चात्, हितधारकों की टिप्पणियों पर विधिवत विचार करते हुए, अपडेटेड विनियामक ढांचे के अनुरूप ऑडिट मैनुअल को एलाइन कर जारी किया जा सकता है।

39. भादूविप्रा में 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक प्रसारकों (अर्थात् हितधारकों के एक वर्ग) के अनुरोध पर आयोजित की गई थी, जिसमें उनके विचार सुने गए। यह बैठक किसी भी प्रकार से औपचारिक परामर्श प्रक्रिया का विकल्प नहीं थी। जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किया गया है, प्राधिकरण यह उपयुक्त मानता है कि वर्तमान परामर्श प्रक्रिया, जो लंबित विनियामक मुद्दों के समाधान हेतु आरंभ की गई थी और जिसकी मांग विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई थी, को समयबद्ध रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए, विशेषकर तब जब इस संबंध में एक सुव्यवस्थित एवं विस्तृत परामर्श प्रक्रिया पहले ही पूर्ण की जा चुकी है।

40. भादूविप्रा द्वारा अपने विधायी अधिदेश का कथित अतिक्रमण किए जाने तथा न्यायिक भूमिका ग्रहण किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कार्रवाई में प्राधिकरण का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, उसकी दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा ऑडिटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण का किसी भी स्तर पर सेवा प्रदाताओं के मध्य विवादों के निस्तारण में संलग्न होने का न तो कोई प्रयास है और न ही कोई अभिप्राय। भादूविप्रा एक सुव्यवस्थित ऑडिट तंत्र स्थापित किए जाने प्रयास कर रहा है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में ऑडिट का अनावश्यक दोहराव देखने को मिला है। वित्तीय खातों के संदर्भ में, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का वर्ष में एक बार ऑडिट किया जाता है, जिस पर ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं ऑडिटरों की जवाबदेही सुनिश्चित होने के कारण भरोसा किया जाता है। इसी प्रकार, ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ बना कर और ऑडिटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, अब यह परिकल्पित किया गया है कि डीएएस ऑडिट भी सामान्यतः एक बार ही किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से आवश्यक विनियामक प्रावधान किए गए हैं, ताकि दूसरा ऑडिट केवल एक नियमित कार्रवाई के रूप में न कराया जाए, बल्कि तभी कराया जाए जब पहले ऑडिट में किसी वास्तविक कमी या त्रुटि के साक्ष्य-आधारित कारण विद्यमान हों। यह व्यवस्था (जो भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल किए गए ऑडिटर होते हैं और जिन्हें भादूविप्रा के विनियमों के अनुरूप, भादूविप्रा के ऑडिट मैनुअल को मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हुए ऑडिट करना अपेक्षित है) मूल ऑडिट करने वाले ऑडिटरों के प्रदर्शन से संबंधित है। किसी भी चरण पर भादूविप्रा द्वारा दो सेवा प्रदाताओं के मध्य किसी विवाद का निस्तारण करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः भादूविप्रा द्वारा अपने विनियामक अधिदेश से परे जाने अथवा माननीय टीडीसैट की भूमिका में प्रवेश करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। इस प्रकार, सातवें संशोधन विनियम को विशेष रूप से समग्र ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावकारिता बढ़ाने, अनावश्यक पुनरावृत्ति को कम करने तथा ऑडिटरों की जवाबदेही सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

41. परामर्श प्रक्रिया में अपर्याप्त समय प्रदान किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' के ऑडिट से संबंधित प्रावधानों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र पर हितधारकों से 6 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ तथा, यदि कोई हों, तो 20 सितंबर 2024 तक प्रत्युत्तर-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियाँ एवं प्रत्युत्तर-टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर

सार्वजनिक की गईं। इसके पश्चात 5 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। इसके उपरांत, भादूविप्रा द्वारा 22 सितंबर 2025 को मसौदा विनियम जारी किया गया तथा हितधारकों से 6 अक्टूबर 2025 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई। मसौदा विनियम पर प्राप्त सभी टिप्पणियाँ भी भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गईं। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया गया है।

42. संशोधित संशोधन की अधिसूचना की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि प्रदान किए जाने संबंधी टिप्पणी के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि इन संशोधनों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जो सभी हितधारकों को सातवें संशोधन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त समय प्रदान करती है। इन संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए अनुरोध किए गए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अपेक्षित हो, अतः उक्त मांग को उचित नहीं माना जाता है।

<u>विनियमन 15 (1) –डीपीओ द्वारा अनिवार्य वार्षिक ऑडिट के संबंध में</u>

43. मसौदा विनियम 2025 के विनियमन 15 (1) में यह प्रस्ताव किया गयै है कि प्रत्येक डीपीओ अपने एड्रेसेबल सिस्टम का प्रत्येक वर्ष ऑडिट करवाएगा।

<u>मसौदा विनियम, 2025 के पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

44. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विचारों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है–

- यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता, विश्वास तथा विनियामक निगरानी की दृष्टि से आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें सही हों, अधिक शुल्क वसूली अथवा कम रिपोर्टिंग को रोका जा सके तथा तृतीय-पक्ष सत्यापन और पैनल में सम्मिलित ऑडिटरों की व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर सभी हितधारकों (प्रसारकों, वितरकों और उपभोक्ताओं सहित) के मध्य विश्वास सुदृढ़ हो । अनिवार्य रिपोर्टिंग की समय-सीमाएँ अनुपालन को बढ़ाती हैं और विवादों को कम करती हैं।
- वार्षिक ऑडिट ढांचे को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि हार्डवेयर या इंफ्रास्टक्चर में किसी परिवर्तन के अभाव में प्रत्येक वर्ष केवल सब्सक्रिप्शन-आधारित ऑडिट ही अनिवार्य किया जाए। एक बार किसी डीपीओ में अनुपालन ऑडिट विधिवत संपन्न हो जाने के पश्चात, और यदि अनुपालन ऑडिट के दौरान परखे गए हार्डवेयर एवं इंफ्रास्टक्चर घटकों जैसे हेडएंड, सीएएस, एसएमएस, डीआरएम प्रणालियाँ, में कोई परिवर्तन न हुआ हो, तो प्रत्येक वर्ष सेम फूल स्कोप तकनीकी ऑडिट को दोहराने से कोई अतिरिक्त विनियामक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।
- ऑडिट प्रत्येक पाँच से दस वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए।
- मसौदा विनियम 2025 में संशोधन कर प्रसारकों को ऑडिट कराने का अबाधित अधिकार दिया जाए और विनियमन 15(1) के अंतर्गत डीपीओ द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट को समाप्त किया जाए। इससे न केवल प्रसारकों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा, बल्कि ऑडिट शुल्क, विनियमन 15(1) से जुड़े दायित्वों तथा अनेक ऑडिटों से उत्पन्न कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक बोझ को

समान रूप से समाप्त कर सभी डीपीओ के लिए एक समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एवं व्यापार करने में सुगमता भी सुनिश्चित होगी।

- भादूविप्रा द्वारा यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट सभी अनुलग्नकों सहित प्रस्तुत की जाए और यदि अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इसे ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के रूप में माना जाए।
- विश्लेषण एवं कार्य-प्रयोग के लिए ऑडिट रिपोर्ट को सभी अनुलग्नकों सहित पठनीय पीडीएफ प्रारूप में साझा किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

विश्लेषण

45. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना अनिवार्य है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, किसी वितरक द्वारा इस दायित्व का पालन न किए जाने की स्थिति में वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष दो लाख रुपये निर्धारित है। तथापि, इस प्रकार के निवारक प्रावधान के अस्तित्व तथा भादूविप्रा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में वितरक निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर ऑडिट कराने में अब भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं।

46. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने से पूर्व, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) यह शिकायत करते रहे थे कि विभिन्न प्रसारकों द्वारा उनके सिस्टम के अनेक तकनीकी ऑडिट कराए जाने से कार्यों की पुनरावृत्ति होती है और कार्यभार में वृद्धि होती है। यदि किसी दिए गए कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक पे प्रसारक किसी एड्रेसेबल सिस्टम प्लेटफ़ॉर्म का ऑडिट करता है, तो उसी सिस्टम का एक ही पैरामीटर्स पर कई बार ऑडिट हो सकता है। इस प्रकार की प्रथा के परिणामस्वरूप अनावश्यक व्यय होता था तथा प्रसारकों और वितरकों दोनों के सीमित संसाधनों पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बोझ पड़ता था।

47. डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) द्वारा तैनात तकनीकी प्रणालियों में विश्वास एवं भरोसा सुनिश्चित करने के लिए डीपीओ की सिस्टम्स का ऑडिट किया जाना आवश्यक है। ऐसे ऑडिट यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि पूरे उद्योग में प्रयुक्त तकनीकी प्रणालियाँ निर्धारित विनियमों के अनुरूप मानकीकृत हों, तथा डीपीओ द्वारा प्रसारकों को प्रस्तुत की गई मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्टों के सत्यापन को सक्षम बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा प्रदाताओं के मध्य शुल्कों का निपटान इन्हीं रिपोर्टों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, एड्रेसेबल सिस्टम्स के ऑडिट की अनुमति दिया जाना संपूर्ण वैल्यू चेन में विश्वास निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तदनुसार, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत डीपीओ की प्रणालियों के व्यापक वार्षिक ऑडिट हेतु एक मैकेनिज्म स्थापित किया गया था।

48. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि यदि कोई डीपीओ अपनी सब्सक्रिप्शन नंबर के सत्यापन के उद्देश्य से अपने सिस्टम का ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट संबंधित प्रसारकों को उपलब्ध कराता है, तो विभिन्न प्रसारकों द्वारा अलग-अलग समयावधियों में डीपीओ के अनेक ऑडिट कराए जाने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह व्यवस्था प्रसारकों और डीपीओ दोनों पर कंप्लायंस से संबंधित बोझ को कम करेगी। सटीक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टिंग निष्पक्ष एवं पारदर्शी राजस्व साझाकरण व्यवस्थाओं की आधारशिला है और इससे वाद-

विवाद एवं मुकदमेबाजी में कमी आएगी। सब्सक्रिप्शन घोषणाओं का परस्पर सत्यापन करने हेतु किसी विश्वसनीय मैकेनिज्म के अभाव में, विसंगतियों अथवा कम रिपोर्टिंग से उत्पन्न विवाद विश्वास को कमजोर कर सकते हैं और संविदात्मक निपटानों को प्रभावित कर सकते हैं।

49. वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई एमएसआर में निहित सूचनाओं के सत्यापन के लिए यह आवश्यक है कि वितरक अपने संपूर्ण एड्रेसेबल सिस्टम का नियमित अंतराल पर ऑडिट कराए, न कि केवल सब्सक्रिप्शन आधारित ऑडिट तक सीमित रहे। ऑडिट ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हुए बदलावों को वेरिफाई करने का एकमात्र तरीका है और इसकी पुष्टि सिर्फ़ पूरे ऑडिट से ही की जा सकती है। वार्षिक ऑडिट को उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह वित्तीय लेखांकन चक्र के अनुरूप होता है तथा वार्षिक आधार पर सब्सक्रिप्शन पैटर्न में हुए परिवर्तनों के सत्यापन को सक्षम बनाता है। यह व्यवस्था न केवल प्रसारकों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा करेगी और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करेगी, बल्कि पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण प्रणाली में विश्वास भी सुदृढ़ करेगी। अतः टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट कराए जाने की अनिवार्यता को सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत बनाए रखा गया है।

50. इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि ऑडिट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई भी भिन्नता, यदि वह बिल की गई राशि के शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत से कम हो, तो उसके आधार पर पहले से जारी एवं भुगतान किए गए चालानों में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं होगा। इस प्रावधान को मसौदा विनियम 2025 में हटा दिया गया था। हालांकि, स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों की जांच करने के बाद यह सामने आया कि हितधारक आम तौर पर ऑडिट से संबंधित मुद्दों के समाधान में स्पष्टता चाहते हैं। तदनुसार, इस प्रावधान को सातवें संशोधन विनियम में बनाए रखा गया है। प्राधिकरण का मत है कि ऐसे नगण्य भिन्नताओं के लिए चालानों में संशोधन करना इन्एफिसिएन्ट और कॉस्ट-इन्एफेक्टिव होगा। इसलिए, जहां अंतर उपरोक्त सीमा से कम है, वहां पहले से जारी और भुगतान किए गए चालानों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

<u>विनियमन 15 (1) – वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट के संबंध में</u>

51. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्ताव किया गया है कि विनियमन 15(1) में प्रयुक्त शब्द "कैलेंडर वर्ष" को प्रतिस्थापित कर "वित्तीय वर्ष" किया जाए।

<u>विनियम 2025 के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

52. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न विचार प्राप्त हुए। "कैलेंडर वर्ष" के आधार पर ऑडिट कराए जाने के वर्तमान प्रावधान को "वित्तीय वर्ष" से प्रतिस्थापित किए जाने के पक्ष में हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है–

- यह परिवर्तन मानक लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप है तथा अनुपालन को सरल बनाता है।
- इससे स्थापित वित्तीय लेखांकन पद्धतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित होती है।
- प्रस्तावित परिवर्तन ऑडिट निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाता है, वित्तीय मिलान में सुधार करता है तथा वैधानिक रिपोर्टिंग साईकिल के साथ अलाइन करता है।

- यह परिवर्तन प्रशासनिक बोझ एवं श्रम को कम करता है तथा राजस्व, सब्सक्रिप्शन प्रवृत्तियों और कंज्यूमर प्राइसिंग में बदलाव को अधिक सुसंगत तरीके से निगरानी के लिए सक्षम बनाता है।

53. कैलेंडर वर्ष को जारी रखने के पक्ष में हितधारकों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए–

- वर्तमान कैलेंडर वर्ष आधारित ऑडिट साइकिल अधिकांश डीपीओ और प्रसारकों द्वारा अपनाई जा रही ऑपरेशनल समय-सीमाओं तथा रिपोर्टिंग प्रारूपों के अनुरूप है। निरंतरता, संसाधनों की दक्षता तथा परिचालन स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से ऑडिट अवधि के रूप में कैलेंडर वर्ष से संबंधित मौजूदा प्रावधान को बनाए रखा जा सकता है।
- कैलेंडर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष को अपनाने से डीटीएच ऑपरेटरों के लिए गंभीर एवं अनावश्यक परिचालन व्यवधान उत्पन्न होंगे। उनकी सब्सक्राइबर बिलिंग, पैकेजिंग तथा वाणिज्यिक रिपोर्टिंग मूल रूप से कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) साइकिल पर आधारित है, न कि वित्तीय वर्ष पर और ऑडिट अवधि में इस प्रकार का परिवर्तन उनके स्वामित्व वाले आईटी एवं डेटा प्रणालियों के महंगे तथा जटिल री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता उत्पन्न करता है तथा प्रशासनिक दबाव को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस ऑडिट को अब अन्य प्रमुख वित्तीय एवं कर-संबंधी दाखिलों के साथ समानांतर रूप से शीघ्रता में पूरा करना पड़ता है, इससे त्रुटियों एवं नॉन-कम्प्लायंस का जोखिम बढ़ जाता है और पारदर्शिता में अपेक्षित लाभ अत्यंत सीमित होता है।

विश्लेषण

54. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) ऑडिट ढांचे को स्थापित वित्तीय ऑडिट ढांचे के साथ समन्वित करना है। यह अवलोकन किया गया है कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले ऑडिट, प्रसारकों की कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं होते हैं, जो वित्तीय वर्ष के आधार पर संरचित होती हैं। इसके अतिरिक्त, डीटीएच सब्सक्राइबर की बिलिंग निरंतर आधार पर की जाती है, न कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तन केवल ऑडिट की जाने वाली अवधि से संबंधित है, जिसके लिए ऊपर बताए गए संबंधित प्रोप्राइटरी सिस्टम में किसी प्रकार के जटिल री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है।

55. वित्तीय वर्ष के आधार पर डीएएस ऑडिट को अनिवार्य करने से प्रसारण ईकोसिस्टम में परिचालन एवं वाणिज्यिक अलाइनमेंट को बढ़ावा मिलेगा। यह संशोधन अगले वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2026-27 से तथा उसके बाद किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में लागू होगा, जिससे सभी हितधारकों को संशोधित विनियामक ढांचे के अनुरूप अपने ऑडिट स्ड्यूल्स को पुनः समायोजित करने हेतु पर्याप्त समय प्राप्त होगा।

56. सेवा प्रदाताओं के बीच संविदात्मक समय-सारिणियों, वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों तथा अनुपालन आवश्यकताओं के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण मौजूदा कैलेंडर वर्ष आधारित ऑडिट प्रावधान को वित्तीय वर्ष आधारित ऑडिट प्रावधान से प्रतिस्थापित करना उपयुक्त समझता है। तदनुसार, पूर्व वित्तीय वर्ष से संबंधित डीएएस ऑडिट को वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के अनुरूप अलाइन किया जाना चाहिए।

विनियमन 15 (1) - डीपीओ द्वारा 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में

57. ऑडिट के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मसौदे विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, डीपीओ द्वारा उन प्रसारकों के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक साझा किया जाए, जिनके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं।

<u>मसौदा विनिमय 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

58. इस प्रस्ताव के संबंध में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है:

- अनिवार्य रिपोर्टिंग समयसीमा (30 सितंबर तक) अनुपालन को सुदृढ़ करती है और विवादों को कम करने में सहायक होती है।
- प्रस्तावित परिवर्तन से असहमत हितधारकों ने कहा कि मौजूदा 12 माह की समयसीमा को घटाकर केवल 6 माह करना उचित नहीं है। छह माह की अवधि व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त है तथा इससे ऑडिट की गुणवत्ता और व्यापकता प्रभावित हो सकती है।
- एक सुझाव यह दिया कि अनुपालन की सत्यनिष्ठा से समझौता किए बिना, सटीक, त्रुटिरहित और उच्च-गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा को बढ़ाकर अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक किया जाना चाहिए।
- चूँकि मसौदा संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, इसलिए उन्हें कैलेंडर वर्ष 2025 की अवधि के लिए 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक ऑडिट करने की एक बार की छूट दी जा सकती है, जिसके पश्चात वे मसौदा संशोधन के अनुसार अपने ऑडिट को वित्तीय वर्ष आधारित प्रणाली के साथ पूर्णतः अलाइन कर लेंगे।

विश्लेषण

59. मौज़ूदा विनियमों में टेलीविज़न चैनलों के वितरकों द्वारा प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में केवल यह प्रावधान था कि वार्षिक ऑडिट इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि क्रमिक कैलेंडर वर्षों में किए गए दो लगातार ऑडिट के बीच न्यूनतम छह माह और अधिकतम अठारह माह का अंतराल हो। किसी निश्चित तिथि के अभाव के कारण पूरे इंडस्ट्री में ऑडिट समयबद्ध और समान रूप से नहीं किए जा रहे थे तथा प्रायः इन्हें वर्ष के अंत तक टाल दिया जाता था, जिससे समय पर अनुपालन और स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था।

60. संपूर्ण इंडस्ट्री में ऑडिट के निर्धारण और ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए स्टैंडर्ड समय-सीमा स्थापित करने हेतु, संशोधित विनियम यह प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक डीपीओ, जिन प्रसारकों के साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट्स किए हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट के प्रासंगिक अंशों को, सभी अनुलग्नकों सहित, संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

61. ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑडिट को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार, यह निर्धारित किया जाता है कि पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए

वितरक द्वारा ऑडिट किया जाएगा, और वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर तक वितरक हर उस प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट देगा जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किया है।

62. यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जिन वितरकों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, उनके संबंध में प्रसारकों को ऑडिट प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छह माह की अवधि वित्तीय ऑडिट साईकिल के अनुरूप है और इसमें सम्मिलित कार्य के दायरे को ध्यान में रखते हुए ऑडिट की योजना बनाने तथा उसका निर्धारण करने के लिए एक उचित समय-सीमा मानी जाती है। एक निश्चित समय-सीमा के निर्धारण से वितरकों को अपने ऑडिट पूर्व नियोजन के साथ व्यवस्थित एवं निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होती है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया की गुणवत्ता, व्यापकता तथा अखंडता सुनिश्चित होती है।

<u>विनियमन 15 (1) का पहला परंतुक – भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर अथवा बेसिल द्वारा ऑडिट के संबंध में</u>

63. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अनुरूप, मसौदा विनियम 2025 में यह प्रावधान किया गया था कि भादूविप्रा, विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट के प्रयोजन हेतु ऑडिटरों को पैनल में शामिल कर सकता है तथा प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपना ऑडिट मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा पैनल में शामिल ऐसे किसी भी ऑडिटर से कराए।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

64. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों का सारांश नीचे दिया गया है–

- विशिष्ट रूप से अधिकृत ऑडिटर के रूप में बेसिल अथवा भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों का पुनरुल्लेख अनावश्यक है। इंडस्ट्री पहले से ही वार्षिक ऑडिट के लिए केवल अधिकृत संस्थाओं को नियुक्त करने की आवश्यकता का अनुपालन करती है, और विशिष्ट संस्थानों अथवा श्रेणियों को अनिवार्य किए जाने से कोई अतिरिक्त विनियामक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, बल्कि समान रूप से सक्षम एवं मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी ऑडिटरों को शामिल करने में लचीलापन सीमित हो जाता है।
- मसौदा विनियम 2025 में, बेसिल के संदर्भ तथा विनियमों में ऐसे सभी समान संदर्भों में संशोधन कर केवल "पैनल में शामिल ऑडिटर" (यानी, बेसिल का कोई विशेष ज़िक्र किए बिना) शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे समानता बनी रहे, किसी प्रकार के पक्षपात की धारणा उत्पन्न न हो, तथा बेसिल सहित सभी पैनल में शामिल ऑडिटरों को समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

विश्लेषण

65. यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख विनियमों में ऐसे स्पष्ट प्रावधान निहित हैं, जो प्राधिकरण द्वारा विधिवत पैनल में शामिल ऑडिटरों अथवा बेसिल द्वारा ऑडिट करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बेसिल, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) होने के नाते, वर्ष 2017 में वर्तमान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होने से पूर्व

भी वितरकों के सिस्टम्स के ऑडिट का कार्य करता रहा है तथा इस क्षेत्र में उसे पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता प्राप्त है।

66. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप, भादूविप्रा ने अनेक ऑडिटरों को पैनल में शामिल किया है। विनियमों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अपेक्षित वितरकों की तकनीकी प्रणालियों का ऑडिट केवल वित्तीय विशेषज्ञता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता भी आवश्यक है। अतः ऑडिट करने वाली इकाई में वित्तीय विशेषज्ञों के साथ-साथ ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जो प्रसारण एवं वितरण इंडस्ट्री से भली-भांति परिचित हों तथा नेटवर्क, हेड-एंड, सब्सक्राइबर विवरणों का एसएमएस एवं सीएएस में एकीकरण जैसे डीपीओ के तकनीकी सेट-अप को समझने में दक्ष हों, साथ ही उन्हें उपभोक्ता एवं सिस्टम लाईफ साईकिल का भी सम्यक ज्ञान हो।

67. इन संशोधनों के माध्यम से, प्राधिकरण ऑडिटरों की जवाबदेही को बढ़ाना चाहती है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी दक्षता से संबंधित आवश्यकताओं तथा कड़े जवाबदेही प्रावधानों को अगस्त 2025 में भादूविप्रा द्वारा ऑडिटरों के इम्पैनलमेंट हेतु जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज़ में सम्मिलित किया गया है। कोई भी योग्य संस्था डीएएस ऑडिटर के रूप में पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकती है। प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि यह इम्पैनलमेंट फ्रेमवर्क योग्य संस्थाओं को सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल वित्तीय एवं तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिटरों को ही नियुक्त किया जाए।

68. वर्तमान में, वितरकों और प्रसारकों के चयन के लिए बेसिल सहित पर्याप्त संख्या में ऑडिटर उपलब्ध हैं, जिससे चयन में फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, सातवें संशोधन विनियमों के तहत बेसिल को शामिल करने से अनुभवी, सक्षम और योग्य ऑडिटरों की संख्या में वृद्धि होती है। चूंकि वितरकों और प्रसारकों को पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटरों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, इसलिए बेसिल को शामिल करने से ऑडिटरों के बीच समान प्रतिस्पर्धा में कोई असंतुलन नहीं आता है।

<u>**विनियमन 15 (1) दूसरा परंतुक – डीपीओ द्वारा प्रसारकों को ऑडिट शेड्यूल की अग्रिम सूचना देने के संबंध में**</u>

69. मसौदा विनियम 2025 में, यह अनिवार्य किया गया था कि वितरक अपने डीएएस ऑडिट के शेड्यूल तथा ऑडिटर के नाम के संबंध में, जिन प्रसारकों के साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किए हैं, उन्हें कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना प्रदान करेगा।

<u>विनियम 2025 के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

70. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

- प्रसारकों को ऑडिट कार्यक्रम की सूचना तीस दिनों के स्थान पर सात दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ऑडिटर की नियुक्ति के पश्चात सामान्यतः ऑडिट सात दिनों के भीतर आरंभ हो जाता है; अतः यदि डीपीओ को तीस दिनों की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य किया जाता है, तो उसे ऑडिट प्रारंभ करने के लिए अनावश्यक रूप से तीस दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

- यह प्रावधान ऑपरेशनल तथा गोपनीयता संबंधी दोनों प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। विशेष रूप से डीटीएच ऑपरेटरों के लिए ऑडिट की समय-सीमाएँ डेटा की उपलब्धता तथा सिस्टम की तत्परता पर निर्भर करती हैं और स्वभावतः गतिशील होती हैं; ऐसे में तीस दिनों की निश्चित अग्रिम सूचना अवधि निर्धारित किए जाने से आवश्यक परिचालन लचीलापन समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑडिटर की पहचान तथा ऑडिट शेड्यूल का खुलासा ऐसे प्रसारकों को करना, जो वाणिज्यिक दृष्टि से समकक्ष पक्ष हैं, ऑडिट की गोपनीयता एवं स्वतंत्रता से संबंधित संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

विश्लेषण

71. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राधिकरण द्वारा 8 नवंबर 2019 को जारी मौजूदा ऑडिट मैनुअल में पहले से ही यह प्रावधान निहित है कि यदि ऑडिट, चाहे वह अनुपालन ऑडिट हो या सब्स्क्रिप्शन ऑडिट, डीपीओ द्वारा कराया जाता है, तो ऑडिट के शेड्यूल की जानकारी तथा ऑडिट एजेंसी का विवरण, ऑडिट शुरू होने से से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित प्रसारकों के साथ साझा किया जाना अनिवार्य होगा। अतः ऑडिट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, वितरकों को ऑडिट शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, ऑडिट एजेंसी के विवरण सहित, ऑडिट के शेड्यूल/संचालन से संबंधित जानकारी प्रसारकों को उपलब्ध कराना पहले से ही आवश्यक है। वर्तमान प्रावधान केवल सातवें संशोधन विनियमों के माध्यम से इस पहले से विद्यमान आवश्यकता को विनियामक ढांचे में सम्मिलित करता है, जिससे उक्त दायित्व को विनियमों के अंतर्गत औपचारिक रूप प्रदान किया जा रहा है। ऑडिट के संदर्भ में किसी प्रकार की गोपनीयता संबंधी चुनौती नहीं है, क्योंकि ऑडिट किया गया डेटा प्रसारकों के प्रत्यक्ष उपयोग हेतु होता है और वही उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।

<u>विनियम 15 (1) तीसरा परंतुक – ऑडिट में भाग लेने हेतु प्रसारक द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने के संबंध में</u>

72. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक ऑडिट में भाग लेने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, ताकि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए प्रसारक के इनपुट साझा किए जा सकें, और टेलीविज़न चैनलों के वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त, मसौदा विनियम 2025 में सम्मिलित स्पष्टीकरण के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु, यदि कोई हो, इनपुट साझा करने के सीमित उद्देश्य तक ही होगी, और इससे उसे किसी भी प्रकार से ऑडिट के संचालन को निर्देशित करने या उस पर प्रभाव डालने का कोई अधिकार नहीं देता है।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

73. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न विचार प्राप्त हुए। इस प्रावधान के पक्ष में व्यक्त किए गए हितधारकों की टिप्पणियाँ, उनमें से कुछ की कुछ शर्तों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- ऑडिट प्रक्रिया के दौरान प्रसारक की भागीदारी को शामिल करना (प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना) एक संतुलित कदम है, जो एक ओर ऑपरेशनल स्वतंत्रता बनाए रखता है और दूसरी ओर हितधारकों की सहभागिता का भी सम्मान करता है।

- सिंगल रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेशन के प्रावधान के संबंध में कई प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि ऑडिट मैनुअल के बिंदु 18(बी)(5) के अंतर्गत, प्रसारक-प्रेरित ऑडिट की स्थिति में, किसी प्रसारक को ऑडिट कार्यवाही का अवलोकन करने हेतु दो प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी गई है, जबकि मसौदा संशोधन के अंतर्गत प्रसारक को ऑडिट में भाग लेने तथा इनपुट साझा करने के लिए केवल एक प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी गई है। इस भिन्नता के पीछे का तर्क स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि भादूविप्रा ने प्रसारक-प्रेरित ऑडिट और डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के लिए अलग-अलग आवश्यकताएँ निर्धारित करने का विकल्प क्यों चुना है, विशेषकर तब, जब दोनों ही प्रक्रियाओं का उद्देश्य ऑडिट परिणामों में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। ऑडिट की टेक्निकल और कमर्शियल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारकों के कम से कम दो प्रतिनिधियों को ऑडिट पर चर्चा करने तथा उसका अवलोकन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- पारदर्शिता के हित में, ऑडिट की डेली स्टेटस अपडेट को रिकॉर्ड किया जा सकता है।

74. जो हितधारक इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं कि प्रसारक ऑडिट में भाग लेने हेतु किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, उन्होंने मोटे तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

- इस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारक की सहभागिता को केवल लिखित रूप में इनपुट प्रस्तुत करने तक सीमित किया जाना चाहिए। ऐसी भौतिक उपस्थिति अनावश्यक है, क्योंकि प्रसारक ऑडिट के प्रारंभ से पूर्व ई-मेल के माध्यम से अपने इनपुट प्रदान कर सकते हैं; जबकि अनेक प्रसारकों के प्रतिनिधियों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने से बड़े समूह (लगभग 15-20 व्यक्ति) डीपीओ परिसर में प्रवेश करेंगे, जिससे परिचालन में व्यवधान, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ तथा डेटा के लीक होने का जोखिम उत्पन्न होगा।
- ऑडिट का उद्देश्य भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों के माध्यम से संचालित एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी प्रक्रिया होना है, और प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को कमजोर करती है। यद्यपि प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि प्रसारक प्रतिनिधि ऑडिट प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तथापि व्यवहार में उनके द्वारा हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है, जो संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया को निश्चित रूप से बाधित कर सकती है।
- ऑडिट वितरकों के परिसरों में किए जाते हैं, जो उनके ऑपरेशन्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं तथा जिनमें अन्य ऐसी संवेदनशील सूचनाएँ होती हैं, जिन्हें ऑडिट प्रक्रिया के अंतर्गत साझा किया जाना आवश्यक नहीं है; किंतु प्रतिनिधियों की भौतिक उपस्थिति से वितरक की संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- वितरक के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रसारक का प्रतिनिधि उस जानकारी से अवगत हो सकता है, जो किसी अन्य प्रसारक के प्रतिनिधि के साथ साझा की जा रही हो, और इससे वितरक की संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
- प्रसारकों के प्रतिनिधियों को ऑडिटरों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें प्रतिनिधि ऑडिटर को प्रभावित करने, पक्षपात उत्पन्न करने या उस पर दबाव डालने का प्रयास करें, जिससे ऑडिट प्रक्रिया अप्रभावी हो सकती है।
- भादूविप्रा-अधिकृत स्वतंत्र ऑडिटर पहले से ही निष्पक्षता तथा अनुपालन के सत्यापन को सुनिश्चित करते हैं; ऐसे में प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल अनावश्यक बल्कि दखलकारी भी है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया में विलंब हो सकता है और उसकी इंटीग्रिटी से समझौता होगा।

विश्लेषण

75. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि ऑडिट के संचालन के दौरान प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति से पारदर्शिता बढ़ेगी और ऑडिट प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता सुदृढ़ होगी। ऐसी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि ऑडिट के दौरान प्रसारक की चिंताओं एवं मुद्दों पर विधिवत विचार किया जाए, जिससे ऑडिट के परिणामों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रसारक द्वारा फॉलो-अप ऑडिट कराए जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

76. प्रसारक प्रतिनिधियों की सहभागिता के संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं—जैसे कि ऑडिटरों के साथ संचार के कारण ऑडिट पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है, अथवा उनकी उपस्थिति से परिचालन व्यवधान, गोपनीयता से संबंधित जोखिम या संभावित डेटा लीक हो सकता है—के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमों के अंतर्गत प्रसारक प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से केवल ऑडिट के दौरान सत्यापन प्रयोजनों के लिए, यदि कोई हो, इनपुट प्रदान करने तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे प्रतिनिधियों को ऑडिट के संचालन को निर्देशित करने, उसमें हस्तक्षेप करने अथवा किसी भी प्रकार से उसे प्रभावित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इनपुट प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रसारक-विशिष्ट सूचनाओं तक पहुँच को सीमित करने की व्यवस्था तथा ऑडिट स्थल पर प्रतिनिधियों की सहभागिता के दायरे से संबंधित प्रक्रियात्मक तौर-तरीके, स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, ऑडिटर और टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाएंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान ऑडिट मैनुअल में पहले से ही यह प्रावधान विद्यमान है कि प्रसारकों द्वारा प्रारंभ किए गए ऑडिट के दौरान डीपीओ प्रसारक प्रतिनिधियों की भौतिक उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेंगे।

77. प्रति प्रसारक दो प्रतिनिधियों को अनुमति दिए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि ऑडिट के दौरान प्रसारक के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्याप्त है। ऑडिट मैनुअल में दो प्रतिनिधियों को अनुमति देने वाले प्रावधानों के साथ की गई तुलना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रावधान केवल प्रसारक-प्रेरित सीमित ऑडिट से संबंधित हैं। इसके विपरीत, विनियमन 15(1) के अंतर्गत किए जाने वाले ऑडिट व्यापक प्रकृति के होते हैं और इनमें सभी प्रसारक सम्मिलित होते हैं। प्रसारक, यदि वे ऐसा उपयुक्त समझें, तो ऑडिट स्थल पर एक कॉमन स्वतंत्र प्रतिनिधि को भेजने के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं।

<u>विनियमन 15 (1) चौथा परंतुक – छोटे डीपीओ के लिए ऑडिट को वैकल्पिक बनाने के संबंध में</u>

78. मसौदा विनियम 2025 में प्रस्तावित किया कि टेलीविजन चैनलों के उन वितरकों के लिए, जिनके एक्टिव सब्सक्राइबरों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तीस हजार से अधिक नहीं है, विनियमन 15 (1) के तहत ऑडिट करवाना ऑप्शनल होगा।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

79. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न विचार प्राप्त हुए। प्रावधान के समर्थन में किए गए विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- छोटे डीपीओ को अनिवार्य ऑडिट से व्यावहारिक छूट देना छोटे प्लेयर्स की ऑपरेशनल दिक्कतों को मानता है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट के ज़रिए चेक बनाए रखता है, क्षेत्रीय या निश सेवा प्रदाता को दबाए बिना आनुपातिक अनुपालन को बढ़ावा देता है, और विनियामक फ्रेमवर्क में समावेशिता को बढ़ावा देता है।
- भादूविप्रा को मार्केट की गतिशीलता और टेक्नोलॉजिकल विकास को देखते हुए सब्सक्राइबर थ्रेशहोल्ड की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।
- स्लैब या थ्रेशोल्ड-आधारित छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए; 20000 से कम कनेक्शनों वाले एमएसओ को विनियमन 15 (1) तथा विनियमन 15 (2) के तहत अनिवार्य ऑडिट से छूट दी जा सकती है और वैकल्पिक रूप से, ऐसे एमएसओ को अनुपालन मैकेनिज्म के रूप में सेल्फ-सर्टिफिकेशन रिपोर्ट या सरलीकृत ऑडिट स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

80. इस प्रावधान का विरोध करने वाले हितधारकों ने निम्नलिखित प्रकार से टिप्पणियाँ कीं:

- सभी डीपीओ के लिए, उनके आकार की परवाह किए बिना, अनिवार्य वार्षिक ऑडिट जारी रहना चाहिए, क्योंकि छूट का दुरुपयोग होने की आशंका है, जिसके अंतर्गत बड़े एमएसओ अपने थ्रेशहोल्ड से नीचे आने के लिए अपने परिचालन को विभाजित कर सकते हैं।
- तीस हजार सब्सक्राइबरों वाले छोटे डीपीओ भी ₹3-5 करोड़ की सीमा में वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं और एकल वार्षिक ऑडिट (लगभग ₹75,000 से ₹1 लाख) की लागत उनके समग्र परिचालन की तुलना में बहुत कम है।
- विनियमन 15 (1) को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अंडर-रिपोर्टिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उसकी रोकथाम करना था; ऐसे में इसे शिथिल करने से ये उद्देश्य कमजोर होंगे और विनियामक असमानता उत्पन्न होगी।
- आकार या फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर अलग-अलग डीपीओ के लिए अलग-अलग नियम नहीं होने चाहिए और विनियामक फ्रेमवर्क सभी डीपीओ पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि छोटी संस्थाओं के पक्ष में किसी भी प्रकार की छूट केवल असमानता को बढ़ावा देगी, नॉन-कम्प्लायंस को प्रोत्साहित करेगी तथा इंडस्ट्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- पर्याप्त सुरक्षा उपायों को शामिल किए बिना छोटे डीपीओ के लिए ऑडिट से छूट अस्वीकार्य है; तथापि, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग संस्थाओं के मामले में सब्सक्राइबर बेस को एक साथ जोड़ने और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए साप्ताहिक रॉ एसएमएस/सीएएस डेटा को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त पर ऐसी छूट दी जा सकती है, तथा प्रसारकों को अपने विवेक से ऐसे छूट-प्राप्त डीपीओ का ऑडिट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

विश्लेषण

81. प्राधिकरण ने नोट किया है कि काफी कम सब्सक्राइबर बेस वाले डीपीओ ने, विभिन्न परामर्शों/ मीटिंग में, मैनपावर और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट कराने में आने वाली कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है। परिचालन में खराब इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्कोप के कारण छोटे डीपीओ की इनपुट लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, सीमित टेक्निकल रिसोर्स और क्षमताओं के कारण, वार्षिक ऑडिट

के दौरान उन्हें कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) विक्रेताओं से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है।

82. ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के आधार पर ऑडिट आवश्यकताओं से छूट की मांग करते हुए कुछ छोटे डीपीओ से अतिरिक्त अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। कई एमएसओ ने कम सब्सक्राइबर बेस के कारण ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के मद्देनज़र, एमआईबी से ऑडिट की आवश्यकता से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

83. सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 3), दिनांक 8 जुलाई 2024 में, प्राधिकरण ने 30000 से कम सब्सक्राइबर बेस वाले डीपीओ को छोटे डीपीओ के रूप में मान्यता दी थी और तदनुसार ऐसी संस्थाओं के लिए कुछ अनुपालन आवश्यकताओं को ऑप्शनल बनाया था, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) को बनाए रखने, कंज्यूमर कॉर्नर और सब्सक्राइबर कॉर्नर के प्रावधानों के साथ एक डेडिकेटेड वेबसाइट होस्ट करने और एक मैनुअल ऑफ़ प्रैक्टिस प्रकाशित करने की बाध्यता शामिल थी।

84. यह मुद्दा कि इस प्रकार की छूट के परिणामस्वरूप अलग-अलग आकार के डीपीओ के बीच नॉन-यूनिफॉर्म विनियमन उत्पन्न हो सकता है या एमएसओ के विखंडन को बढ़ावा मिल सकता है, निराधार है। यह प्रावधान छोटे डीपीओ को ऑडिट आवश्यकताओं से पूर्णतः मुक्त नहीं करता है, बल्कि वार्षिक ऑडिट को ऑप्शनल बनाता है, साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रसारकों को सब्सक्राइबर नंबर का सत्यापन करने के उद्देश्य से ऑडिट आरंभ करने के लिए सशक्त बनाता है। तथापि, सभी डीपीओ के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनकी टेक्निकल सिस्टम हर समय भादूविप्रा के विनियमों के अनुरूप हों तथा एमएसआर में प्रसारकों को रिपोर्ट की गई सब्सक्राइबर नंबर सही और सटीक हों।

85. प्राधिकरण वैकल्पिक एंटरटेनमेंट प्लेटफार्मों की ओर पलायन के कारण घटती सब्सक्राइबर संख्या से अवगत है, जो सीमित वित्तीय क्षमता, उच्च ऑपरेशनल लागत और कम इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल के कारण छोटे ऑपरेटरों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती है। व्यापार करने में आसानी को और सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि तीस हजार से कम एक्टिव सब्सक्राइबरों वाले वितरकों के लिए वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता को ऑप्शनल किया जा सकता है।

86. यह तर्क कि इन डीपीओ की आय ऑडिट की लागत वहन करने के लिए पर्याप्त है, को इन तथ्यों के संदर्भ में देखे जाना की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एमआईबी से 15 सितंबर 2025 को प्राप्त सीडिंग डेटा के अनुसार, लगभग 90% केबल सब्सक्राइबरों को उन एमएसओ द्वारा सर्विस दी जाती है, जिनके तीस हजार से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इन एमएसओ के सिस्टम का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जा रहा है, जबकि शेष एमएसओ, जिनके पास तीस हजार तक सब्सक्राइबर हैं, को वैकल्पिक ऑडिट आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें प्रसारकों को उनके सिस्टम का ऑडिट कराने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

87. यह प्रावधान छोटे ऑपरेटरों पर अनुपालन के बोझ को कम करता है, जिनमें से अनेक ने संकेत दिया है कि ऑडिट से संबंधित व्यय उनके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। साथ ही, यह उन ऑपरेटरों के लिए स्वैच्छिक ऑडिट कराने की सुविधा को बनाए रखता है, जो ऐसा करना चाहें, तथा जहाँ आवश्यक समझा जाए वहाँ प्रसारकों

को ऐसे डीपीओ के ऑडिट वार्षिक रूप से कराने में सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन लागत को कम करने के व्यापक विनियामक अभिप्राय के अनुरूप है, जैसा कि सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 3) में परिलक्षित होता है, जिसमें परिभाषित सब्सक्राइबर सीमा से नीचे के डीपीओ के लिए कुछ दायित्वों को ऑप्शनल बनाया गया था।

88. प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से, पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त डीपीओ के सब्सक्राइबर बेस पर विचार किया जाएगा। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की गई है या जॉइंट वेंचर के मामले में, इन ऑडिट प्रावधानों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी पंजीकृत/अनुमति प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त डीपीओ के संयुक्त सब्सक्राइबर बेस को ध्यान में रखा जाएगा। तीस हजार सब्सक्राइबरों की सीमा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगी।

<u>**विनियमन 15 (1) पाँचवाँ परंतुक – ऑडिटर द्वारा ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में**</u>

89. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने वाला पैनल में शामिल ऑडिटर, या मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिटी से स्वतंत्र है तथा ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, और ऑडिटर ऐसी अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

90. प्रत्युत्तर में, प्राप्त एक अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया गया कि:

- ऑडिटरों को "ऐसी अन्य जानकारी या प्रमाणन, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है" प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करना, बिना किसी निर्धारित सीमा या पूर्व सूचना आवश्यकताओं के ओपन-एंडेड अनुपालन के दायित्वों को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑडिट सहभागिता के दायरे से बाहर अप्रत्याशित रिपोर्टिंग प्रारूप या अतिरिक्त सर्टिफिकेशन की मांग उत्पन्न हो सकती है, जिससे ऑडिटर और वितरक दोनों के लिए प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटरों के साथ मेसर्स बेसिल को भी शामिल करने की पुनरावृत्ति, अनावश्यक रूप से क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के चुनाव को सीमित करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, अतिरिक्त लागत वहन कराती है तथा किसी स्पष्ट विनियामक लाभ के बिना अनावश्यक समय-विलंब का कारण बन सकती है।

विश्लेषण

91. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि, वित्तीय ऑडिट को नियंत्रित करने वाली तय नियमों के अनुरूप, ऑडिटरों से यह अपेक्षित है कि वे ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें ऑडिटी से उनकी स्वतंत्रता की पुष्टि की जाए तथा लागू विनियामक प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की जाए। ऐसे प्रमाणन का प्रारूप

प्राधिकरण द्वारा पृथक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले अप्रत्याशित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त जानकारी या प्रमाणन को ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, डीपीओ और प्रसारक, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों अथवा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) में से अपनी पसंद का ऑडिटर नियुक्त करने की स्वतंत्रता हैं।

विनियमन 15 (1) छठवां परंतुक – अनऑडिटेड अवधि को शामिल करने के संबंध में

92. मसौदा विनियम 2025 में प्रस्तावित किया गया है कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है, उससे पहले की अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, को भी ऑडिट में शामिल किया जाएगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

93. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:

- इस परंतुक को शामिल किए जाने का समर्थन किया गया, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ऑपरेशनल अवधि ऑडिट निरीक्षण से बाहर न रहे। विनियमन में स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष साइकिल के बीच की अनऑडिटेड ट्रांज़िशन अवधि को बाद के ऑडिट में निर्बाध रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- पूर्ववर्ती अनऑडिटेड अवधियों को ऑडिट के दायरे में शामिल किए जाने से वितरकों पर काफी ऑपरेशनल और रिसोर्स का बोझ पड़ता है। हिस्टोरिकल सिस्टम डेटा पुराने प्लेटफॉर्म अथया आर्काइव्ड स्टोरेज पर उपलब्ध हो सकता है, जिससे उसे निकालना, मिलान करना और वेरिफाई करना अत्यधिक जटिल, समय-साध्य एवं संसाधन-गहन प्रक्रिया हो सकती है। विनियमों में पूर्व में रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट को अनिवार्य नहीं किया गया था; अतः इस प्रकार की आवश्यकता को वर्तमान में लागू करना विनियामक सिद्धांतों के प्रतिकूल पूर्वव्यापी प्रभाव उत्पन्न करेगा तथा इससे पूर्ववर्ती और वर्तमान वित्तीय वर्षों के मध्य डुप्लिकेट ऑडिट एवं इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

विश्लेषण

94. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, डीपीओ को कैलेंडर वर्ष 2025 तक अपने सिस्टम का ऑडिट करवाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक ऑडिट कवरेज प्राप्त हो और कोई भी परिचालन अवधि ऑडिट निरीक्षण से बाहर न रहे, विनियमन में उस वित्तीय वर्ष से पूर्व की किसी भी अनऑडिटेड अवधि को शामिल करने का प्रावधान करता है, जिसके लिए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत पहला ऑडिट किया जा रहा है। इससे ट्रांज़िशन अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतराल को समाप्त किया जाएगा और निरंतर अनुपालन के लिए एक स्वच्छ आधार बेसलाइन स्थापित होगी। विनियमन के अंतर्गत मौजूदा डेटा संग्रहण अवधि से संबंधित आवश्यकताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि उपर्युक्त अधिदेश के लिए डेटा की उपलब्धता बनी रहे तथा प्रावधानों के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी आशंका का निराकरण हो। इसके अतिरिक्त, विनियमन पहले से ही यह स्पष्ट

करता है कि इन विनियमों के लागू के बाद पहले ऑडिट के मामले में, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व की एक अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, को भी ऑडिट में शामिल किया जाएगा और वर्ष 2025 में पहले ही जिस किसी अतिव्यापी अवधि के लिए ऑडिट किया जा चुका है, उसे ऑडिट से बाहर रखा जाएगा।

प्रसारकों द्वारा विनियमन 15 (2) ऑडिट के संबंध में

95. मसौदा विनियम 2025 में 15 (2) (क), 15 (2) (ख) तथा 15 (2) (ग) से संबंधित प्रावधान हैं:

- "(2) (क) यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के तहत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति मिलती है..."
- "(2) (ख) यदि किसी प्रसारक को 30 सितंबर की नियत तिथि तक पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है..."; और
- "(2) (ग) यदि उप-विनियमन (1) या उप-विनियमन (2) (क) या उप-विनियमन (2) (ख) के तहत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि –

  (क) सब्सक्राइबर नंबरों में कोई विसंगति है,... .. ;

  (ख) वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है,..."।

मसौदा विनियम 15 (2) पर हितधारकों की सामान्य टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

96. हितधारकों से प्राप्त विचारों का सारांश निम्न प्रकार से है:

- ऑडिट फ्रेमवर्क डीपीओ के एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एकल, भादूविप्रा-अनिवार्य वार्षिक ऑडिट (इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (1) के अनुसार) पर आधारित होना चाहिए। प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट रूट (इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (2) के अनुसार) को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऑडिट के प्रयासों की पुनरावृत्ति करता है, लागत बढ़ाता है और भादूविप्रा की ऑडिट व्यवस्था की अखंडता को कमजोर करता है।
- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (2) के तहत समानांतर प्रावधान उन प्रसारकों को समान समानांतर शक्ति प्रदान करता है जो बिज़नेस वैल्यू चेन में समान भागीदार हैं।
- प्रसारक प्रायः भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भादूविप्रा द्वारा स्थापित ऑडिट ढांचे की विश्वसनीयता कम होती है।
- प्रसारकों को दूसरा ऑडिट आरंभ करने के लिए प्रमाणित साक्ष्य (जैसे कि सब्सक्राइबर विसंगति 2% से अधिक होना) प्रस्तुत करना चाहिए, तथा किसी भी ऐसे ऑडिट को आरंभ करने से पूर्व प्रसारक को मूल ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न होना चाहिए और समाधान की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे ऑडिट को प्रति प्रसारक प्रति डीपीओ प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार तक सीमित किया जाना चाहिए, डीपीओ को जबरदस्ती या ऑडिट ओवररीच से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण सिस्टम सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तथा ऐसे ऑडिट के परिणाम भादूविप्रा और संबंधित डीपीओ के साथ साझा

किए जाने चाहिए और एक पब्लिक ऑडिट लॉग में परिलक्षित किए जाने चाहिए। ये उपाय फालतू ऑडिट को कम करेंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए ऑडिट में अनुशासन सुनिश्चित करेंगे।

- प्रसारकों के लिए विसंगतियों को उठाने और स्पेशल ऑडिट की मांग करने का एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे एक मज़बूत सेफ़गार्ड है, क्योंकि यह वितरकों की जवाबदेही, साक्ष्य-आधारित कार्रवाई और भादूविप्रा की निगरानी को संतुलित करता है। भादूविप्रा इंडस्ट्री-वाइड लर्निंग और बेंचमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए बिना नाम वाले ऑडिट परिणामों और अनुपालन को प्रकाशित कर सकता है।
- विनियमन 15 (2) में प्रस्तावित संशोधन प्रसारक के ऑडिट के अधिकार को मौलिक रूप से बदल देता है और विनियमन 15 (2) के तहत ऑडिट करने के मौजूदा प्रत्यक्ष अधिकार को रद्द कर देता है और इसे भादूविप्रा द्वारा मध्यस्थता वाली एक मुश्किल, बहु-स्तरीय "चुनौती" प्रक्रिया में बदल देता है। संशोधन प्रभावी रूप से अब तक के एक सीधे-सादे कमर्शियल अधिकार को नियामक-नियंत्रित मैकेनिज्म में बदल देता है जिससे वितरक की ऑडिट करने और प्रसारक द्वारा दी गई सब्सक्राइबर रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आज़ादी सीमित हो जाती है।
- मसौदा विनियम 2025 का व्याख्यात्मक ज्ञापन इस बारे में कोई तर्क नहीं देता है कि भादूविप्रा-गेटकेप्ट प्रोसेस के साथ प्रत्यक्ष ऑडिट अधिकार को बदलना एक समाधान क्यों है और भादूविप्रा की प्रत्यक्ष भागीदारी से अनिवार्य रूप से बी2बी रेवेन्यू एश्योरेंस मैकेनिज्म में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक जटिलता आती है।
- नया प्रावधान ऑडिट-संबंधित विवादों के लिए सीधे माननीय टीडीसैट से संपर्क करने के प्रसारकों के अधिकारों को ओवरराईड करने का प्रयास करता है, और इसके बजाय, यह अनिवार्य करता है कि वे पहले डीपीओ के पास जाएं और उसके बाद भादूविप्रा के पास, जिसके पास अन्य बातों के साथ-साथ त्वरित और कुशल कार्रवाई के लिए न्यायिक शक्तियों और क्षमता का अभाव है।
- सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डिजिआना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2020 का बीपी नंबर 658) ("सोनी बनाम डिजिआना") में माननीय टीडीसैट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रसारक के विनियमन 15 (2) के तहत ऑडिट करने के अधिकार के लिए प्रसारक को ऑडिट करने के अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए किसी कन्टेस्ट या कानूनी विवाद की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए। यह संशोधन इस स्थापित सिद्धांत का खंडन करता है, जिसमें एक प्रसारक को अपने राजस्व को सत्यापित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक लंबे विवाद और अपील प्रक्रिया में मजबूर किया जाता है क्योंकि यह समस्याग्रस्त डीपीओ-जनित ऑडिट को बरकरार रखता है और ब्रॉडकास्टर के ऑडिट अधिकार को बहुत अधिक सीमित करता है, जिससे यह सशर्त और भादूविप्रा की मंजूरी के अधीन होता है।
- इसलिए विनियमन 15 (2) के तहत सर्कमस्क्राइब्ड चुनौती ऑडिट और मैकेनिज्म प्रक्रियात्मक रूप से अव्यवहार्य है और प्रसारकों को उनके राजस्व को सत्यापित करने और उनकी कंटेन्ट की सुरक्षा करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है और इसकी शुरूआत करने का कड़ा विरोध करता है और प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट को मान्यता देने और अनुमति देने का सुझाव देता है।

विश्लेषण

97. प्राधिकरण ने अनुपालन लागत को कम करने, समयबद्ध कार्यान्वयन करने तथा बार-बार होने वाले ऑडिट को केवल उचित आधारों तक सीमित करने के उद्देश्य से ऑडिट ढांचे को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। यह स्वीकार किया गया है कि दो ऑडिट-एक डीपीओ द्वारा और दूसरा प्रसारक द्वारा- कराए जाने से हितधारकों पर लागत का बोझ उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है। तदनुसार, उसी सिस्टम का दूसरा ऑडिट केवल वहीं किया जाना चाहिए, जहाँ इसके लिए न्यायसंगत आधार विद्यमान हों।

98. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ऑडिट प्रणाली को मजबूत, कुशल, निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाना है, साथ ही लागत को भी कम करना है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों या बेसिल में से डीपीओ द्वारा चयनित ऑडिटर, जो कि कठोर ग्रेडिंग और जवाबदेही मानदंडों के अधीन होते हैं, के द्वारा प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया एकल ऑडिट, ऑडिट प्रक्रिया की मजबूती को सुनिश्चित करता है।

99. यह ढांचा यह अनिवार्य करता है कि डीपीओ निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें, साथ ही प्रसारकों को यह लचीलापन प्रदान करता है कि वे ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर समयबद्ध तरीके से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। केवल वहीं, जहाँ इस प्रकार की चरणबद्ध प्रक्रिया ऑडिटर के कार्य के संबंध में प्रसारक की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है, यह ढांचा ऑडिट के संचालन में कथित अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों की जांच करने के लिए प्राधिकरण के हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। ऐसी जांच के पश्चात, यदि प्राधिकरण को ऑडिट में अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के संबंध में प्रसारक के तर्क में पर्याप्त आधार प्रतीत होता है, तो प्रसारक को डीपीओ के सिस्टम का आगे ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है।

100. इसके अतिरिक्त, चूँकि ऑडिट प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटरों के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि ऑडिटर निष्पक्ष, पारदर्शी तथा पेशेवर ढंग से ऑडिट करने के प्रति उत्तरदायी हों। इसे अगस्त 2025 में जारी ऑडिटरों के पैनल के लिए संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) में सम्मिलित कठोर शर्तों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। संशोधित ढांचे के अंतर्गत, भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटरों को उनके अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उन्हें प्राधिकरण के पैनल मानदंडों के अनुरूप होना आवश्यक है, तथा उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपनी स्वतंत्रता और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

101. ये संशोधन ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनावश्यक दोहराव को समाप्त करने तथा ऑडिट इकोसिस्टम की मजबूती को बढ़ाने के साथ-साथ हितधारकों की लागत को कम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। स्थापित उद्योग प्रथा के अनुरूप, जहाँ एकल वार्षिक वित्तीय ऑडिट को मानक माना जाता है, सातवें संशोधन विनियम ऑडिट दक्षता में सुधार करने, दोहराव को न्यूनतम करने और ऑडिटर की जवाबदेही को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं।

102. मौजूदा फ्रेमवर्क के विनियमन 15 (2) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्राधिकरण के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रसारक बिना वैध औचित्य अथवा प्रमाणित डेटा के, इस विनियमन के तहत ऑडिट करवाते हैं। और यह भी कि प्रसारक, पूरे वर्ष डीपीओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आपत्ति न उठाने के बावजूद, उन परिस्थितियों में वर्ष के अंत में ऑडिट आरंभ करने का प्रयास करते हैं जहाँ कमर्शियल शर्तें अनसुलझी रहती हैं, जिससे ऑडिट अनुरोधों का उपयोग डीपीओ पर दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जाता है।

103. यह भी रेखांकित किया गया कि ईकोसिस्टम में संतुलन लाने के लिए प्रसारकों को अनियंत्रित ऑडिट शक्तियां प्रदान करने के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य ऑडिट पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ऐसे ऑडिट के निर्णय अंतिम होते हैं, जिससे प्रसारकों द्वारा शुरू किए गए ऑडिट अनावश्यक हो जाते हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि एक बार प्राधिकरण की शर्तों के अनुरूप ऑडिट किए जाने के पश्चात, प्रसारक द्वारा आरंभ किया गया कोई भी अतिरिक्त

ऑडिट, विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, डीपीओ पर अनुचित वित्तीय और परिचालन बोझ डालता है। यह भी मत व्यक्त किया गया है कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट से डीपीओ-प्रेरित ऑडिट में पहले से सम्मिलित निष्कर्षों से परे कोई अतिरिक्त निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते और यह वस्तुतः ऑडिट प्रक्रिया के दोहराव के समान होता है। टिप्पणियों में प्रसारकों को विशेष ऑडिट की मांग के लिए विसंगतियाँ उठाने हेतु एक स्ट्रक्चर्ड मार्ग उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है।

104. प्राधिकरण का मत है कि एक ही सिस्टम का दूसरा ऑडिट तभी किया जाना चाहिए जब ऑडिट में कमियों/गड़बड़ियों के न्यायसंगत कारण हों, ताकि संसाधनों का बार-बार इस्तेमाल न हो, ऑडिट की विश्वसनीयता बनी रहे और समीक्षा प्रक्रिया की असाधारण प्रकृति सुरक्षित रहे। ऑडिट की अनुचित पुनरावृत्ति से संसाधनों की बर्बादी होती है, परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है और ऑडिट प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास कम होता है। इसलिए, बाद के ऑडिट पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि ऑडिट में अपर्याप्तताओं या विसंगतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे हैं अथवा ऑडिटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण असंतोषजनक हैं। यह दृष्टिकोण पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल ऑडिट प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

105. प्रसारकों द्वारा पुनः ऑडिट की मांग करने के लिए प्रस्तुत आधारों की पर्याप्तता की जांच को सक्षम करने हेतु एक मैकेनिज्म स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में, ऑडिट रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना विवेकपूर्ण माना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रसारक समयबद्ध तरीके से डीपीओ के माध्यम से मूल ऑडिटर से संपर्क कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहाँ मूल ऑडिटर प्रसारक द्वारा उठाए गए मुद्दों को संतोषजनक रूप से हल करने या उनका उत्तर देने में विफल रहता है, प्रसारक पुनः ऑडिट के लिए आधारों के साथ भादूविप्रा से संपर्क कर सकता है। यह तंत्र वास्तविक मामलों में प्रसारकों के पुनः ऑडिट कराने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है और न ही यह सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटारे में प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायनिर्णायक भूमिका के निर्वहन के इरादे को दर्शाता है; इसका उद्देश्य केवल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त, यह उन अनुचित पुनः-ऑडिट के उदाहरणों को भी समाप्त करता है, जिनका उपयोग कुछ मामलों में वाणिज्यिक लेन-देन के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किया गया है। प्रसारक(कों) द्वारा कराया गया कोई भी ऑडिट, डीपीओ की तकनीकी सिस्टम्स के ऑडिट के अतिरिक्त, केवल उनके स्वयं के सब्सक्रिप्शन नंबरों तक ही सीमित होना चाहिए।

106. प्राधिकरण द्वारा अपनी विधायी मैनडेट को पार करने और न्यायिक भूमिका निभाने के बारे में उठाए गए मुद्दे के संदर्भ में, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में बताया गया है, इस कार्रवाई में प्राधिकरण का उद्देशय ऑडिट प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ऑडिट प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने और ऑडिटर की जवाबदेही को सुदृढ़ करने पर ही ध्यान केंद्रित किए गए हैं, और प्राधिकरण किसी भी स्थिति में सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटारे का प्रयास या इरादा नहीं रखता है। भादूविप्रा एक सुव्यवस्थित ऑडिट तंत्र स्थापित कर रहा है, क्योंकि मौज़ूदा प्रणाली के परिणामस्वरूप ऑडिटों का डूप्लिकेशन हो रहा है। वित्तीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यावसायिक इकाई सामान्यतः एक वर्ष में केवल एक ही ऑडिट से गुजरती है, और इसी सिद्धांत को डीएएस ऑडिट के संदर्भ में भी अपनाया जा सकता है। तदनुसार, सातवें संशोधन विनियम विशेष रूप से समग्र ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावकारिता में सुधार करने, रिडंडेंसी को कम करने तथा ऑडिटर की जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

107. जबकि माननीय टीडीसैट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लि. बनाम डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (आदेश दिनांक 07.12.2020) के मामले में यह अवलोकन किया था कि विनियम 15(2) के अंतर्गत प्रसारक को अपने

ऑडिट अधिकार "ऑडिट करने के अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रसारक को अनुमति देने के लिए किसी भी प्रतियोगिता या कानूनी विवाद की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए", यह ध्यान देना ज़रूरी है कि यह मामला दो सर्विस प्रोवाइडरों के बीच कमर्शियल विवाद से संबंधित था। माननीय टीडीसैट यह नहीं माना कि मौजूदा विनिमय 15(1) के तहत डीपीओ के रूटीन ऑडिट की बाध्यता को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, आदेश में विनियम 15(1) के तहत अनिवार्य वार्षिक ऑडिट और विनियम 15(2) के तहत प्रसारक को प्रदत्त ऑडिट के अधिकार के बीच स्पष्ट भेद किया गया है, इस बात पर बल दिया गया है कि दोनों प्रावधान भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। माननीय टीडीसैट का उक्त निर्णय मौजूदा रेगुलेशन 15(2) की व्याख्या तक ही सीमित है, उस संदर्भ में जहाँ ब्रॉडकास्टर को ऑडिट कराने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, माननीय टीडीसैट के फैसले ने उक्त विनियम की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया और यह पूरी तरह से मौजूदा प्रावधान की व्याख्या तक ही सीमित था। तदनुसार, यह प्रावधान भादूविप्रा द्वारा संशोधन के लिए खुला है। परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, कंसल्टेशन पेपर, मसौदा विनियम और इस ईएम में उल्लिखित कारणों के आधार पर, विनियम 15(2) में संशोधन किया गया है।

विनियमन 15 (2) – किसी भी विसंगति के मामले में प्रसारक द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर लिखित रूप में रिपोर्ट करने के संबंध में

108. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि कोई प्रसारक विनियमन 15 (1) के तहत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में कोई विसंगति पाता है, तो वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, ऑडिट रिपोर्ट के विरुद्ध साक्ष्यों सहित विशिष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीविजन चैनल के वितरक को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तथा ऐसी टिप्पणियों और साक्ष्यों की एक प्रति संबंधित ऑडिटर को भी प्रदान कर सकता है।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

109. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

- इस विनियमन में यह बताने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा और प्रसारक द्वारा 30 दिनों की समाप्ति के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
- यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के अंतर्गत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और वह ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में सब्सक्राइबरों की संख्या से संबंधित कोई विसंगति पाता है, तो वह वितरक को लिखित रूप में इसकी ओर संकेत कर सकता है।
- मौजूदा फ्रेमवर्क पहले से ही स्वतंत्र रूप से पैनल में शामिल ऑडिटरों के माध्यम से पर्याप्त जांच और संतुलन प्रदान करता है, और ऑडिट परिणामों को बार-बार पुनः खोलने तथा पुनः सत्यापित करने से अंतिम रुप देने की प्रक्रिया से समझौता हो सकता है तथा वितरकों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। विसंगति की स्थिति में, प्रसारक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर साक्ष्यों द्वारा समर्थित विशिष्ट लिखित टिप्पणियाँ उठा सकता है, और वितरक समयबद्ध समापन सुनिश्चित करने के लिए एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर, जो 30 दिनों से अधिक न हो, ऑडिटर द्वारा समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
- 30 दिनों की समय-सीमा पूर्णतः अपर्याप्त है, क्योंकि प्रसारकों के सामान्यतः सैकड़ों डीपीओ के साथ अनुबंध होते हैं और डीपीओ प्रायः ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के आसपास ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट

भेजते हैं, जिसके कारण रिपोर्टों की समुचित समीक्षा और अनुलग्नकों का विश्लेषण इस संक्षिप्त 30-दिवसीय अवधि के भीतर व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है।

- व्यवहार में यह भी देखा गया है कि कई वितरक पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट या संबंधित सूचना साझा करने में देरी करते हैं और ऐसा बहुत ज़्यादा देरी और प्रसारक के बार-बार निवेदन करने के बाद ही करते हैं, हैं, जिससे डेटा को बनाए रखने के लिए वैधानिक अवधि समाप्त हो जाती है, जिसका अर्थ है कि उस विशेष अवधि के लिए डेटा का कोई सत्यापन नहीं हो सकता है और यदि 30 दिनों की अवधि इस तरह के विलंबित संचार से चलने लगती है, प्रसारकों को अस्पष्ट प्रवर्तन स्थितियों में रखा जाता है जहां सार्थक जुड़ाव शुरू होने से पहले ही समय सीमा तकनीकी रूप से समाप्त हो गई है। प्रसारकों को 30 दिनों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता वाले इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी टाल-मटोल की रणनीति को निष्प्रभावी किया जा सके।
- ऑडिटर अथवा डीपीओ के साथ टिप्पणियाँ साझा करने के लिए प्रसारकों को कम से कम 90 दिनों की अवधि प्रदान की जानी चाहिए।

विश्लेषण

110. प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कि संपूर्ण वैल्यू चेन की अखंडता के लिए ऑडिट का समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित ऑडिट, अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, सभी दृष्टियों से पूर्ण हो जाएँ। प्रतिक्रिया देने के लिए असीमित या अत्यधिक लंबी समय-सीमाओं की अनुमति देना, अथवा विसंगतियों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए दीर्घ अवधि प्रदान करना, ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की अनुपालन कार्रवाइयों में अनुचित विलंब उत्पन्न करेगा। विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए लंबी समय-सीमाएँ ऑडिट प्रक्रिया के निष्कर्ष को अनावश्यक रूप से बढा सकती हैं और इस प्रकार प्रणाली की दक्षता को कमजोर कर सकती हैं। तथापि, प्रसारकों के लिए समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय में एक सीमित वृद्धि आवश्यक प्रतीत होती है और इस पर विधिवत विचार किया गया है। तदनुसार, सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत 45 दिनों की समय-सीमा प्रदान की गई है, जो मसौदा विनियम 2025 में निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा का संशोधन है। इसे उचित माना गया, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक दक्षता और प्रसारकों को अपनी चिंताएँ दर्ज करने के लिए उचित अवसर देने के बीच संतुलन बनाता है।

111. पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में वितरकों द्वारा देरी के बारे में की गई टिप्पणियों, या बार-बार अनुरोध करने के बाद ही रिपोर्ट साझा किए जाने की घटनाओं के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि संशोधित ढांचे में इस मुद्दे को पहले ही हल किया जा चुका है। उद्योग-स्तर पर ऑडिट शेड्यूलिंग और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानकीकृत समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए, विनियमों में अब यह अनिवार्य है कि प्रत्येक डीपीओ प्रत्येक प्रसारक को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को या उससे पूर्व ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किया है। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट के संबंधित अंशों को सभी अनुलग्नकों सहित संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रावधान एकरूपता स्थापित करता है, समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है और ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाता है।

<u>विनियमन 15 (2) प्रथम परंतुक – प्रसारक की चिंताओं की प्राप्ति पर डीपीओ तथा ऑडिटर द्वारा उत्तर देने की समय-सीमाओं के संबंध में</u>

112 मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक से प्राप्त टिप्पणियों की प्राप्ति पर, वितरक सात दिनों के भीतर उन टिप्पणियों को संबंधित ऑडिटर को संदर्भित करेगा, ताकि ऑडिटर उन टिप्पणियों की जांच कर सके और उनका समाधान कर सके, तथा ऑडिटर प्रसारक की टिप्पणियों का समाधान करते हुए तीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट वितरक को प्रदान करेगा, जिसे वितरक अपनी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेषित करेगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

113. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- मसौदा विनियम 2025 के उपर्युक्त प्रावधान का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया गया कि इस पुनरावृत्ति के पश्चात प्रसारक को अपने स्तर पर किसी भी ऑडिट को आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भादूविप्रा साक्ष्यों के आधार पर री-ऑडिट के मामलों की जांच करनी चाहिए, जिससे एक स्पष्ट और पूर्वानुमेय ऑडिट समय-सारिणी सुनिश्चित की जा सके।
- यदि विनियामक के साथ परामर्श की आवश्यकता वाले न्यायोचित कारणों के चलते ऑडिट को पूरा करने में विलंब होता है, तो डीपीओ को तदनुसार भादूविप्रा को इसकी सूचना देनी चाहिए और भादूविप्रा द्वारा ऐसी सूचना को विधिवत स्वीकार किए जाने के पश्चात संशोधित समय-सीमा को प्रभावी ऑडिट पूर्णता अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि भादूविप्रा इस क्रम को औपचारिक रूप प्रदान करे और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए वास्तविक मामलों में समय-सीमा के विस्तार से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करे।
- इस विनियमन में संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई अतिरिक्त ऑडिट नहीं किया जाएगा और ऑडिटर केवल 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रसारक द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर प्रदान करेगा, क्योंकि अनेक प्रसारकों द्वारा उठाए गए बहुविध प्रश्नों के अनुरूप ऑडिट रिपोर्ट को पुनः खोलना और कई प्रसारकों द्वारा उठाए गये सवालों के हिसाब से उसमें संशोधन करना कठिन होगा।
- ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और एक बार जब कोई ऑडिटर ऑडिट को पूर्ण कर उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो न तो ऑडिटर और न ही वितरक के पास निष्कर्षों को संशोधित करने, पुनः व्याख्या करने अथवा उन्हें कमजोर करने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि बाद में किए गए सुधारों की अनुमति देने से ऑडिट की स्वतंत्रता से समझौता होता है और संपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास कम होता है।
- प्रस्तावित समय-सीमाएँ (वितरक के लिए सात दिन और ऑडिटर के लिए 30 दिन), अत्यधिक कठोर हैं और जटिल तकनीकी तथा लेन-देन संबंधी डेटा की जांच के लिए आवश्यक व्यावहारिक समय को ध्यान में नहीं रखती हैं। अनेक मामलों में प्रसारक द्वारा उठाई गई टिप्पणियों का समाधान तकनीकी डेटा के निष्कर्षण, उसके सत्यापन तथा सिस्टम की जांच से जुड़ा होता है, जिसके लिए विभिन्न टीमों के बीच समन्वय आवश्यक होता है, और ऐसी अव्यावहारिक समय-सीमाएँ अपूर्ण प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियात्मक खामियों का कारण बन सकती हैं।

विश्लेषण

114. प्राधिकरण का मत है कि स्पष्ट समय-सीमाएँ ऑडिट के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। हितधारकों की उस टिप्पणी के संबंध में कि ऑडिट रिपोर्ट में संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस विनियमन के अंतर्गत प्रावधानों का आशय प्रसारकों को ऑडिट में विद्यमान किसी भी अपर्याप्तता या विसंगति को इंगित करने का अवसर प्रदान करना है तथा ऑडिटर को तथ्यों के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण अथवा, जहाँ आवश्यक हो, सुधार प्रस्तुत करने का अवसर देना है। इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बाद में किसी अतिरिक्त ऑडिट की आवश्यकता को न्यूनतम करना है। इसके अतिरिक्त, ऑडिटर द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण अथवा सुधार प्रदान करने के लिए 30 दिनों की अवधि को पर्याप्त माना गया है।

115. वास्तविक मामलों में समय-सीमा के विस्तार के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकरण का विश्वास है कि ऑडिट का समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय-सीमाएँ उचित आवश्यकताओं पर विधिवत विचार करने के पश्चात निर्धारित की गई हैं। यह भी माना गया है कि समय-सीमा के विस्तार की अनुमति का दुरुपयोग ऑडिट प्रक्रिया को बायपास करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी।

<u>विनियमन 15 (2) दूसरा एवं तीसरा परंतुक – उस प्रावधान के संबंध में कि यदि ऑडिट के संदर्भ में प्रसारक की चिंताओं को समुचित रूप से हल नहीं किया जाता है, तो वह ऑडिट के लिए भादूविप्रा से संपर्क कर सकता है</u>

116. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि प्रसारक यह पाता है कि उसकी टिप्पणियों को पूर्णतः हल नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों सहित अपनी विशिष्ट टिप्पणियाँ प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकता है। प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की जाने वाली फीस और लागत पर, जिसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, मामले की पात्रता के आधार पर जांच करेगा और यदि आवश्यक पाया जाता है, तो प्रसारक द्वारा इंगित की गई विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रसारक की लागत पर एक विशेष ऑडिट करवाने की अनुमति दे सकता है।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

117. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- प्राधिकरण के समक्ष दूसरे स्तर की शिकायत केवल पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों तक ही सीमित होनी चाहिए, न कि सभी शेष असहमतियों तक, ताकि प्राधिकरण और हितधारकों दोनों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
- भादूविप्रा, एक विनियामक प्राधिकारी होने के नाते, ऑडिट रिपोर्ट में पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों से उत्पन्न विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त नहीं है, और प्रसारक तथा वितरक के बीच ऐसे विवाद माननीय टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न कोई भी विवाद कानून का प्रश्न होगा, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में प्रावधानित अनुसार माननीय टीडीसैट के समक्ष संदर्भित किया जाएगा और वहीं उसका निपटान किया जाएगा।
- विनियमन लागत के लिए प्रसारक की जवाबदेही को उचित रूप से सुनिश्चित करता है, तथापि प्राधिकरण के हस्तक्षेप की प्रक्रिया और उसके दायरे के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। ऐसे स्पष्ट मापदंड निर्धारित किए

जाने चाहिए, जो यह परिभाषित करें कि किन परिस्थितियों में प्राधिकरण विशेष ऑडिट की अनुमति दे सकता है, ताकि परिचालन को बाधित करने वाले बार-बार और गैर-ज़रूरी री-ऑडिट को रोका जा सके जो कामकाज में रुकावट डाल सकते हैं।

- जब प्रसारक भादूविप्रा को रिपोर्ट करता है, तो उसे अपनी चिंताओं के संबंध में वितरक को भी सूचित करना चाहिए, और विशेष ऑडिट की अनुमति दिए जाने से पूर्व वितरक को भी प्राधिकरण के समक्ष अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- प्रसारक के ऑडिट को "विशेष" मानने का अर्थ यह होगा कि प्रसारक को अपने स्वयं के राजस्व का सत्यापन करने की अनुमति देने से पूर्व संदेह प्रदर्शित करना या प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा दृष्टिकोण डेटा में हेरफेर के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है और सत्यापन प्रक्रिया को विनियामक विवेक पर निर्भर बना देता है।
- प्रसारक-प्रेरित या "विशेष" ऑडिट के लिए भादूविप्रा की स्वीकृति से संबंधित सभी संदर्भ हटाए जाएँ और उन प्रावधानों को भी हटाया जाए जो इंटरकनेक्शन व्यवस्था के सामान्य, अभिन्न और अपरिहार्य तत्व के रूप में ऑडिट करने के प्रसारक के अधिकार की पुष्टि करते हैं।

विश्लेषण

118. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, डीपीओ और प्रसारकों द्वारा किए गए दोहरे ऑडिट से लागत में वृद्धि होती है। उसी सिस्टम का दूसरा ऑडिट केवल उचित और न्यायोचित आधारों पर ही किया जाना चाहिए। भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटरों या बेसिल द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाना भी प्रणाली की सत्यनिष्ठा को कमजोर करता है। एकल वार्षिक ऑडिट की सामान्य ऑडिट प्रथाओं के अनुरूप, इन विनियमों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, ऑडिट के दोहराव को कम करना तथा विनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारकों को अपनी चिंताओं के समाधान का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करते हुए ऑडिटर की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। यह दृष्टिकोण दोहराव को समाप्त करेगा और समग्र दक्षता में सुधार करेगा।

119. वित्तीय खातों के संदर्भ में, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई एक वर्ष में केवल एक ही ऑडिट से गुजरती है और ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता तथा ऑडिटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उस पर भरोसा किया जाता है। इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब यह परिकल्पना की गई है कि डीएएस ऑडिट भी सामान्यतः एक बार ही किए जाएँ, जिसके लिए ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा और ऑडिटरों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विनियामक जाँच का प्रावधान किया गया है, ताकि दूसरा ऑडिट केवल रुटीन रूप से न हो, बल्कि मूल ऑडिट में विद्यमान खामियों के तथ्यों द्वारा समर्थित एक वास्तविक आवश्यकता पर आधारित हो। अतः यह जाँच मूल ऑडिटरों के प्रदर्शन से संबंधित है, अर्थात् भादूविप्रा के पैनल में शामिल उस ऑडिटर से, जिसे भादूविप्रा के विनियमों के अनुसार ऑडिट करना आवश्यक है और जो मार्गदर्शन के लिए भादूविप्रा के ऑडिट मैनुअल का पालन करता है।

120. इस सुझाव के संबंध में कि भादूविप्रा के समक्ष वृद्धि केवल पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों तक ही सीमित होनी चाहिए, ताकि प्राधिकरण तथा विनियमित संस्थाओं दोनों पर मामूली परिणाम वाली अवशिष्ट असहमतियों के कारण अनावश्यक बोझ न पड़े, प्राधिकरण इस मत से सहमत है कि इस प्रावधान का उद्देश्य केवल उन्हीं अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों का समाधान करना है, जो सब्सक्राइबर रिपोर्टिंग और राजस्व निपटान को भौतिक रूप से प्रभावित करती हैं। तदनुसार, यह ढांचा यह सुनिश्चित करने के उददेश्य से बनाया जा गया है कि पुनः

ऑडिट पर विचार केवल तभी किया जाए, जब महत्वपूर्ण अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

121. हितधारकों की इस टिप्पणी के संदर्भ में कि ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कानून का प्रश्न होगा और उसे माननीय टीडीसैट के समक्ष संदर्भित किया जाना चाहिए, यह विषय पूर्ववर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट किया जा चुका है। प्राधिकरण किसी भी स्थिति में सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद का न्यायनिर्णय करने का कोई इरादा नहीं रखता है, बल्कि री-ऑडिट की अनुमति देने से पूर्व ऑडिट रिपोर्ट में उद्धृत अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के आधारों की जाँच की परिकल्पना की गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस संदर्भ में विनियमन के अंतर्गत प्राधिकरण की भूमिका केवल विनियामक निरीक्षण और ऑडिट को सुविधाजनक बनाना है, जहाँ प्रथम दृष्टया अपर्याप्तताएँ अथवा विसंगतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। कानूनी अथवा संविदात्मक व्याख्या से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णय माननीय टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में ही निहित रहेगा। किसी भी स्तर पर दो सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद का निर्णय भादूविप्रा द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए भादूविप्रा द्वारा अपने विनियामक अधिदेश का अतिक्रमण करने या माननीय टीडीसैट की भूमिका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

122. प्राधिकरण के हस्तक्षेप की प्रक्रिया और दायरे पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि प्रसारक द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की अनुमति प्राधिकरण द्वारा केवल वहीं दी जाएगी, जहाँ अपर्याप्तताएँ /विसंगतियाँ भौतिक प्रकृति की हों, दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित हों और मूल ऑडिटर को सूचित किए जाने के पश्चात भी अनसुलझी बनी रहें। प्रसारक को अपने अनुरोध के साथ ऐसी अपर्याप्तताओं /विसंगतियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और भादूविप्रा ऑडिट की अनुमति प्रदान करने से पूर्व मामले की जांच करेगा कि इसके लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

123. हितधारकों की टिप्पणियों में यह भी सुझाव दिया गया है कि विशेष ऑडिट की अनुमति दिए जाने से पूर्व वितरकों को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विनियमन के अंतर्गत जिस मामले पर विचार किया जा रहा है, वह ऑडिट का निष्पक्ष और प्रभावी संचालन है, न कि प्रसारक और वितरक के बीच कमर्शियल लेन-देन। डीपीओ द्वारा नियुक्त ऑडिटर को वर्तमान संशोधन के अंतर्गत प्रसारक द्वारा उठाई गई अपर्याप्तताओं/ विसंगतियों को स्पष्ट करने का अवसर पहले ही प्रदान किया जा चुका है। इसका उद्देश्य प्रसारकों को डीपीओ-प्रेरित ऑडिट रिपोर्ट में विद्यमान अपर्याप्तताओं/विसंगतियों को उठाने के लिए एक संरचित मार्ग उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान प्रणाली की भांति ऑडिट के अनावश्यक दोहराव से बचा जा सके।

124. प्रसारक द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट को "स्पेशल" ऑडिट के रूप में माने जाने से संबंधित अवलोकन के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि "स्पेशल" शब्द का प्रयोग केवल डीपीओ द्वारा कराए गए मूल ऑडिट की तुलना में प्रसारक द्वारा कराए गए पुनरावृत्त ऑडिट को एक भिन्न शब्दावली प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तथापि, इस आशंका को दूर करने के लिए कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट पर डीपीओ-प्रेरित ऑडिट की तुलना में भिन्न प्रावधान लागू होते हैं, संशोधित संशोधन में "स्पेशल" शब्द को हटा दिया गया है। प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि प्रसारक मूल विनियमों के विनियमन 15 (2) के अंतर्गत, उचित आधारों पर, ऑडिट कराने का अपना अधिकार बनाए रखते हैं।

<u>विनियमन 15 (2) तीसरा परंतुक – प्रसारक द्वारा ऑडिट के लिए ऑडिटर के चयन के संबंध में</u>

125. मसौदा विनियम 2025 में विनियमन 15 (2) (क) के चौथे परंतुक में यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक द्वारा ऑडिट के मामले में, प्रसारक मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा पैनल में शामिल ऑडिटरों में से, तीन ऑडिटरों के नाम वितरक को प्रदान करेगा और वितरक पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऑडिट के लिए एक ऑडिटर का चयन करेगा, ऐसा न करने की स्थिति में प्रसारक ऑडिटर के चयन हेतु प्राधिकरण से संपर्क करेगा।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

126. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- डीपीओ को प्रसारक द्वारा प्रस्तावित तीन ऑडिटरों में से किसी एक का चयन करने अथवा, अन्य बातों के साथ-साथ, पंद्रह दिनों के भीतर कोई उत्तर न देकर उन सभी को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करना, ऑडिट की स्वतंत्रता को निष्प्रभावी करता है और साथ ही निष्पक्ष जांच के उद्देश्य को भी विफल करता है। इसके पश्चात् का वह प्रावधान, जो डीपीओ द्वारा चयन न किए जाने की स्थिति में भादूविप्रा को ऑडिटर नियुक्त करने की अनुमति देता है, अपारदर्शी है और ऑडिटर के चयन के लिए किसी भी निर्दिष्ट मानदंड से रहित है। प्रसारक-प्रेरित ऑडिट के लिए संपूर्ण फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है और ऐसे ऑडिट के लिए ऑडिटर के चयन का अधिकार उसी प्रकार प्रसारक के पास होना चाहिए, जैसा कि डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के मामलों में होता है। प्रसारक, पीड़ित पक्ष होने तथा ऑडिट की लागत वहन करने वाला होने के नाते, प्राधिकरण के पैनल में शामिल सूची से सक्षम ऑडिटर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।
- मसौदा संशोधन में बेसिल को विशिष्ट रूप से और बार-बार सम्मिलित करना अनुचित है और इससे पक्षपात वाले बर्ताव की धारणा उत्पन्न होती है।
- ऑडिटर के चयन की प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष को ऑडिटर की पसंद पर अनुचित प्रभाव प्राप्त न हो। प्रसारक को तीनों नाम प्रस्तावित करने की अनुमति दिए जाने से कथित स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, और एक संतुलित दृष्टिकोण ऑडिटर के नामांकन में संयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।
- यदि एक से अधिक प्रसारक प्राधिकरण से ऑडिट की मांग करते हैं और उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाती है, तो वितरक अनेक ऑडिटों से कैसे निपटेगा, क्योंकि विभिन्न ऑडिटरों के माध्यम से कई ऑडिटों का प्रबंधन वितरक के दैनिक कार्य संचालन को प्रभावित करेगा और यह एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में, यदि एक से अधिक प्रसारकों को ऑडिट की अनुमति दी जाती है, तो ऑडिट करने के लिए एक साझा ऑडिटर को नियुक्त किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

127. हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए, तथा इस सिद्धांत के अनुरूप कि वितरकों को अपने ऑडिटर के चयन का अधिकार निहित है और प्रसारकों के पास भी समान अधिकारी होना चाहिए, सातवें संशोधन विनियमों से संबंधित परंतुक को हटा दिया गया है। तीसरे परंतुक में तदनुसार संशोधन किए गए हैं, ताकि प्रसारकों को पैनल में शामिल ऑडिटरों तथा बेसिल में से अपनी पसंद के ऑडिटर नियुक्त करने की स्पष्ट अनुमति प्रदान की जा सके, जिससे ऑडिट के संचालन में लचीलापन और स्वायत्तता सुनिश्चित हो। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में बेसिल के नाम के उल्लेख से संबंधित विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

128. एकाधिक ऑडिट अनुरोधों तथा एक सामान्य ऑडिटर के चयन से संबंधित टिप्पणी के संदर्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूल विनियमों का विनियमन 15 (2) पहले से ही प्रसारक द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट का प्रावधान करता है, और वर्तमान संशोधन उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्राधिकरण द्वारा प्रसारकों के उचित आधारों पर पुनः ऑडिट की मांग करने के अधिकार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। तदनुसार, इस संबंध में किसी अतिरिक्त संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

विनियमन 15 (2A) – उस स्थिति के संबंध में जहाँ प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है और प्रसारक पाँच (5) महीनों के भीतर अपना ऑडिट कर सकता है

129. मसौदा विनियम 2025 के (विनियमन 15 (2) (ख)) में उन मामलों के लिए दो परिदृश्य प्रस्तावित किए गए थे, जहाँ प्रसारक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होती है-

(i) जहाँ किसी टेलीविजन चैनल का वितरक, विनियमन 15 (1) के अंतर्गत, उस वर्ष की 30 सितंबर की तिथि तक, जिसमें ऑडिट किया जाना था, उन प्रसारकों के साथ, जिनके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट साझा करने में विफल रहता है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, ऐसे टेलीविजन चैनलों के वितरक की एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, कराने की अनुमति होगी।

(ii) जहाँ विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, कराने की अनुमति होगी।

मसौदा विनियम 2025 में, यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा ऑडिट कराया जाता है, तो ऐसा ऑडिट उस वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा और उस वर्ष की 30 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

130. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रसारक प्रायः सैकड़ों वितरकों के साथ लेन-देन करते हैं और ऑडिट संसाधनों–वित्तीय तथा लॉजिस्टिक दोनों–को प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की इतनी संकुचित अवधि के भीतर संपूर्ण इकोसिस्टम में एकत्रित करना व्यवहारिक नहीं है। ऐसे मामलों में प्रसारकों द्वारा ऑडिट कराने के लिए संशोधन में किसी निश्चित समय-सीमा को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सब्सक्राइबर डेटा के समग्र और सटीक सत्यापन के लिए आवश्यक लचीलापन उपलब्ध हो सके।
- यह प्रावधान वितरक की अनुपालन-चूक के लिए उत्तरदायित्व और लागत को अनुचित रूप से प्रसारकों पर स्थानांतरित करता है, जबकि ऐसे ऑडिट वितरकों के विनियामक दायित्व हैं। विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट वितरकों के लिए अनुपालन की आवश्यकता है, न कि प्रसारकों के लिए। वितरक के चूक करने की

स्थिति में प्रसारकों पर ऑडिट लागत थोपना वस्तुतः गलत पक्ष को दंडित करता है तथा वितरकों को ऑडिट में देरी करने के लिए विकृत प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- छोटे सब्सक्राइबर आधार वाले उन वितरकों के लिए, जहाँ ऑडिट वैकल्पिक हैं, प्रस्तावित विनियमन के परिणामस्वरूप अनेक प्रसारकों द्वारा अनावश्यक और बार-बार ऑडिट कराए जा सकते हैं, जिससे अनुपातहीन अनुपालन लागत और दोहराव उत्पन्न होगा। वैकल्पिक ऑडिट छोटे वितरकों पर अनुपालन का बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए थे, और प्रसारकों को इस वैकल्पिकता को निष्प्रभावी करने की अनुमति देना उस विनियामक उद्देश्य के विपरीत है तथा छोटे परिचालकों पर वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है।

विश्लेषण

131. हाल के वर्षों में प्रसारकों द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट की संख्या, सभी प्रसारकों और डीपीओ के संदर्भ में व्यापक रूप से नहीं हुए हैं। हालांकि सामान्यतः ऐसे ऑडिट को पूर्ण करने के लिए चार महीनों की अवधि को पर्याप्त माना जाता है, प्राधिकरण ने परिचालन संबंधी बाधाओं के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है। तथापि, डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के लिए छह महीनों की अवधि को आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका होता है और डीपीओ की तैयारियाँ उपलब्ध रहती हैं। तदनुसार, प्रसारक-प्रेरित ऑडिट को पूर्ण करने की समय-सीमा को संशोधित कर 30 सितंबर (मसौदा विनियम में दिए गए चार महीनों) से पाँच महीने कर दिया गया है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया में समयबद्ध अनुशासन बनाए रखते हुए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान किया जा सके।

132. डीपीओ के डिफ़ॉल्ट के मामलों में ऑडिट की लागत प्रसारकों द्वारा वहन न किए जाने संबंधी हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, प्राधिकरण का मत है कि विनियामक ढांचे को अनुपालन दायित्वों और व्यावहारिक प्रवर्तनीयता के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि वितरक के गैर-अनुपालन के मामलों में भी प्रसारकों के पास सब्सक्राइबर डेटा का सत्यापन करने की क्षमता बनी रहे, जबकि उनके द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय लागत फालतू या अत्यधिक ऑडिट अनुरोधों को हतोत्साहित करती है। ऐसे डीपीओ द्वारा अनुपालन न किया जाना मूल विनियमों के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन तथा विनियामक कार्रवाई के अधीन होता रहेगा।

133. छोटे वितरकों से संबंधित चिंताओं को हल करने के लिए, प्राधिकरण ने यह प्रावधान किया है कि इच्छुक प्रसारक संयुक्त रूप से ऐसे वितरकों की एड्रेसेबल सिस्टम्स का ऑडिट करा सकते हैं, जिससे दोहराव न्यूनतम हो और लागत में कमी आए। यह सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि छोटे डीपीओ पर अनुपालन का बोझ कम करने का विनियामक उद्देश्य बना रहे, साथ ही प्रसारकों को आवश्यकता होने पर डेटा का सत्यापन करने की अनुमति भी उपलब्ध रहे।

<u>विनियमन 15 (2ख) – प्रसारक और डीपीओ के बीच इंटरकनेक्शन अनुबंध के अनुसार सब्सक्राइबर संख्याओं में विसंगति के निपटान के संबंध में; तथा अनुसूची III या अनुसूची X अथवा दोनों के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के संबंध में</u>

134. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि उप-विनियमन (1) अथवा (2) (क) अथवा (2) (ख) के अंतर्गत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि–

(क) सब्सक्राइबर संख्याओं में कोई विसंगति है, तो ऐसी विसंगति का निपटान प्रसारक और वितरक के बीच इंटरकनेक्शन अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकता है;

(ख) यदि वितरक द्वारा प्रयुक्त एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची III या अनुसूची X अथवा दोनों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वितरक को तीन सप्ताह की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के संकेतों को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति होगी।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

135. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- मसौदा विनियम 2025 में, विनियमन 15 (2) (ग) अपने वर्तमान स्वरूप में प्रतिबंधात्मक और अस्पष्ट दोनों है, इसकी शब्दावली यह संकेत देती है कि यह अनुसूची III और/या अनुसूची X के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ डीपीओ द्वारा विसंगतियों अथवा गैर-अनुपालन के मामलों में प्रसारकों को कुछ सीमित उपचार प्रदान करता है, तथापि इन उपचारों का दायरा और उनकी प्रयोज्यता स्पष्ट नहीं है, जिससे व्याख्यात्मक अनिश्चितता तथा असंगत कार्यान्वयन की संभावना उत्पन्न होती है। विनियमन 15 (2) (ग) को इस प्रकार से पुनर्लिखित किया जाना चाहिए कि यदि सब्सक्राइबर संख्याओं में विसंगति हो और/या वितरक द्वारा उपयोग की जा रही एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची III अथवा अनुसूची X अथवा दोनों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हो, तो प्रसारक पक्षकारों के बीच लागू कानूनों अथवा समझौते के अनुसार सुधारात्मक उपाय कर सके।
- भादूविप्रा को ऑडिट निष्कर्षों से उत्पन्न सिग्नल डिस्कनेक्शन पर रोक लगानी चाहिए और किसी भी गैर-अनुपालन से संबंधित मुद्दे को सेवा में व्यवधान के स्थान पर सुधारात्मक कार्रवाई अथवा भादूविप्रा द्वारा निर्देशित समाधान के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।
- अनिवार्य ऑडिट एक वैधानिक उपकरण है और सब्सक्राइबर विसंगतियों के संबंध में इसके निष्कर्षों से भादूविप्रा अथवा माननीय टीडीसैट द्वारा प्रवर्तित एक मानकीकृत समाधान उत्पन्न होना चाहिए, जिसे दीर्घकालिक वाणिज्यिक पुनः-वार्ता के लिए खुला न छोड़ा जाना चाहिए और अलग-अलग इंटरकनेक्शन अनुबंध धाराओं पर निर्भरता, डीटीएच प्लेटफार्म के विरुद्ध अंतहीन विवादों तथा वाणिज्यिक लाभ के लिए अवसर उत्पन्न करती है, जो एक स्पष्ट विनियामक ऑडिट के संपूर्ण उद्देश्य को कमजोर करती है।

विश्लेषण

136. मासिक सब्सक्राइबर रिपोर्ट की तुलना में ऑडिट के दौरान प्रकट सब्सक्राइबर संख्याओं में किसी भी प्रकार की भिन्नता के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसी विसंगतियों, यदि कोई हों, के निपटान हेतु रिफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफ़र्स (आरआईओ) तथा इंटरकनेक्शन अनुबंधों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाने चाहिए। यह दृष्टिकोण विनियामक ढांचे के अंतर्गत विस्तृत दंड संरचनाएँ निर्धारित करने के स्थान पर, पक्षकारों को शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने की अनुमति देकर दंड और समायोजन के समाधान को मार्केट मैकेनिज्म पर छोड़ता है। मौजूदा विनियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट के दौरान पाए गए सब्सक्राइबर संख्याओं में अंतर का निपटान इंटरकनेक्शन अनुबंध के अनुसार होगा।

137. इसके अतिरिक्त, मौजूदा इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अनुसार, जहाँ किसी ऑडिट से यह प्रकट होता है कि अनुसूची III अथवा अनुसूची X में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, वहाँ वितरक को तीन सप्ताह की लिखित सूचना प्रदान करने के पश्चात प्रसारकों को टेलीविजन चैनलों के संकेतों को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति है। सिस्टमैटिक नॉन-कम्प्लायंस के विरुद्ध अवरोध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सातवें संशोधन विनियमों में समान प्रावधानों को बनाए रखा गया है।

138. सिग्नल डिस्कनेक्शन को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी सुझावों के संदर्भ में, प्राधिकरण इस स्टेज पर सहमत नहीं है। तीन सप्ताह की नोटिस अवधि के अधीन सिग्नल डिस्कनेक्शन, जहाँ प्रणालीगत गैर-अनुपालन स्थापित हो जाता है, प्रसारण इकोसिस्टम की अखंडता की रक्षा के लिए एक आनुपातिक और आवश्यक उपाय बना हुआ है। इस उपाय को हटाने से सब्सक्राइबर डेटा में हेरफेर के विरूद्ध खिलाफ़ रोकथाम कमज़ोर होगी और शेड्यूल III और शेड्यूल X के तहत निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुपालन में बाधा उत्पन्न होगी ।

<u>शेड्यूलिंग</u>

139. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उक्त विनियमन में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

140. प्रत्युत्तर में, एक टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि विनियमन पहले से ही विनियमन 15 (1) के अंतर्गत वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य करता है, और यह कथन कि ऑडिट "उक्त विनियमन में निर्दिष्ट तरीके से शेड्यूल किया जाएगा", शेड्यूलिंग से संबंधित किसी भी नए कार्यात्मक विवरण या स्पष्टीकरण को प्रदान किए बिना केवल मौजूदा कानून की पुनरावृत्ति करता है।

विश्लेषण

141. यह देखते हुए कि शेड्यूलिंग का प्रावधान सातवें संशोधन विनियमों में विनियमन 15(1) के अंतर्गत पहले से ही शामिल है, मौजूदा प्रावधान के साथ अलाइन करने के उद्देश्य से अनुसूची III तथा अनुसूची X में संशोधन किया गया है, ताकि निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

<u>इंफ्रास्ट्रक्चर सेयरिंग के प्रावधान</u>

142. परामर्श पत्र में, परामर्श हेतु कुछ अन्य मुद्दे निम्न प्रकार से थे:

प्रश्न 11. एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-III के खंड ग-14 (सीएएस और एसएमएस) में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

"सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्ही तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस सवतंत्र रूप से समर्थ होगा।

जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक या अधिक वितरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्ही तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस सवतंत्र रूप से समर्थ होगा"

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं तो उचित कारण बताते हुए कोई वैकल्पिक संशोधन सुझाएं?

प्रश्न 12. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के उन मामलों के लिए, जहाँ सीएएस और एसएमएस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के साथ साझा नहीं किया जाता है,

i. क्या आप सहमत हैं कि ऐसे मामलों में, जहाँ तक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर ऑडिट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के उन्हीं तत्वों तक विस्तारित होना चाहिए, जिन्हें डीपीओ के बीच साझा किया जा रहा है?

ii. यदि प्रसारक ऐसा निर्णय लेता है, तो क्या प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित, सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 13. यदि सेवा प्रदाताओं के बीच सीएएस और एसएमएस साझा किए जाते हैं,

i. *यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट करने के लिए कौन से प्रावधान पेश किए जाने चाहिए कि वितरकों (इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले) द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही हों, तथा सीएएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण किसी प्रकार का हेरफेर नहीं हुआ हो?*

ii. क्या प्रसारक को सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक साथ ऑडिट (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे सभी डीपीओ के संबंध में मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही हों, तथा सीएएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण कोई हेरफेर न हुआ हो।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 14. क्या आप सहमत हैं कि डीपीओ के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंटरकनेक्शन विनियम की अनुसूची III तथा ऑडिट प्रक्रिया के दौरान मल्टीप्लेक्सर के लॉग के मूल्यांकन के लिए ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता है?, यदि हाँ, तो कृपया प्रस्तावित संशोधन का सुझाव दें, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई भी प्रसारक किसी अन्य प्रसारक के डेटा को नहीं देख सके और कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया उस स्थिति में भी अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 17. एमआईबी द्वारा एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तथा एमएसओ और एचआईटीएस

ऑपरेटर के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के लिए जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तथा एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटरों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण को सुगम बनाने के लिए इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के किसी अन्य मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने अथवा किसी अतिरिक्त विनियमन को लागू करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया हितधारक एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के मद्देनजर आवश्यक माने जाने वाले इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में अपेक्षित संशोधनों (किसी भी अतिरिक्त प्रावधान सहित) पर, उनके कारणों सहित, अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हितधारकों को अपनी टिप्पणियाँ तालिका 4 में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी, जिसमें स्पष्ट रूप से मौजूदा विनियमन संख्या अथवा नई विनियमन संख्या, सुझाया गया संशोधन तथा इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन के कारण अथवा पूर्ण औचित्य का उल्लेख किया गया हो।

तालिका 4: एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के मद्देनजर इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में आवश्यक संशोधनों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के मौजूदा विनियमन की विनियमन संख्या / इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में प्रस्तावित नई विनियमन संख्या (1)	मौजूदा विनियमन के प्रावधान (2)	हितधारक द्वारा सुझाए गए संशोधन/नए प्रावधान (3)	प्रस्तावित संशोधन के कारण/ पूर्ण औचित्य (4)
1.				
2.				

(नोट: यदि अतिरिक्त विनियमन प्रस्तावित किया गया है तो कॉलम (2) खाली छोड़ा जा सकता है)

प्रश्न 19. हितधारक वर्तमान परामर्श से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 11 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

143. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रस्तावित संशोधन से सहमति है। सुझाव दिया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:
    i. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए सीएएस इंस्टेंस को पृथक डेटाबेस के साथ लॉजिकल इंस्टेंस में विभाजित किया जाए। हार्डवेयर और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर (स्पेस और पावर) आवश्यकताओं को ही केवल साझा कर सकते है।
    ii. प्रत्येक सीएएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के साथ ही संवाद करे। ऐसे किसी सीएएस इंस्टेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे एक से अधिक एसएमएस द्वारा एड्रेस किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वन-टू-वन कॉरेस्पॉन्डेंस समाप्त हो जाता है।

- "लॉग" का अर्थ और परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि, "सीएएस समाधान/सिस्टम के भीतर बैकएंड घटकों में स्थित सीएएस के आंतरिक लॉग को छोड़कर, सीएएस और एसएमएस के बीच लेन-देन से संबंधित लॉग तथा सभी कमांड के आदान-प्रदान को भी लॉग" माना जाए। संशोधन करते समय लॉग के प्रकार को संशोधन में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए और तदनुसार संशोधित खंड ग-14 निम्न प्रकार से होना चाहिए:

  "सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्ही तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए ट्रांसएक्शनल लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस सवतंत्र रूप से समर्थ होगा। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक या अधिक वितरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्ही तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए ट्रांसएक्शनल लॉग्स को प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस सवतंत्र रूप से समर्थ होगा"

- प्रस्तावित संशोधन से सहमति व्यक्त करते हुए हितधारकों ने सुझाव दिया गया है कि सीएएस को सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड के अनुरूप, संबंधित वितरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटलिस्ट करने तथा टैग करने में सक्षम होना चाहिए, और कम से कम पिछले लगातार तीन सालों की अवधि के लिए जिसमें एसएमएस द्वारा जारी किए गए एक्टीवेशन तथा डीएक्टीवेशन कमांड शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तारीख और टाइम स्टैम्प के साथ लॉग उत्पन्न करने, रिकॉर्ड करने तथा बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के बीच केवल हेड-एंड/वीडियो सिग्नल/ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम ही साझा की जानी चाहिए, और प्रत्येक इकाई को अपना स्वतंत्र सीएएस तथा एसएमएस बनाए रखना चाहिए। भादूविप्रा को सीएएस और एसएमएस के साझाकरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा, सेवा विभेदीकरण तथा संबंधित डीपीओ के साथ सेवा/ग्राहक पहचान /सहसंबंध के मूलभूत सिद्धांत को भी कमजोर करता हैं, और ये प्रणालियाँ डीपीओ के लिए सब्सक्राइबर एक्सेस प्रबंधन, विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने तथा सामग्री सुरक्षा की रक्षा करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त, इससे संभावित सामग्री सुरक्षा और वितरण से संबंधित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें सब्सक्राइबर की कम घोषणा जैसे जोखिम शामिल हैं, जो प्रसारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

144. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत, मसौदा विनियम 2025 पर प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियाँ उन मुद्दों को भी सम्मिलित करती हैं, जिनमें सीएएस और एसएमएस का साझाकरण शामिल है, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं। सीएएस/एसएमएस साझाकरण से संबंधित तकनीकी पहलुओं तथा लॉग की परिभाषा के संबंध में प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए व्यापक प्रक्रियात्मक विवरणों को ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे विवरण सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। तकनीकी कार्यक्षमताओं से संबंधित अन्य शेष मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं है।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 12 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

145. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर्स का ऑडिट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के उन्हीं तत्वों तक विस्तारित होना चाहिए, जिन्हें डीपीओ के बीच साझा किया जा रहा है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के उन मामलों में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के साथ सीएएस और एसएमएस साझा नहीं किए जाते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता का ऑडिट पृथक-पृथक किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के बीच सीएएस और एसएमएस साझा नहीं किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए केवल साझा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के तत्वों का ही नहीं, बल्कि सभी तत्वों का ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण वास्तव में हो रहा है तथा किस सीमा तक हो रहा है। ऑडिट सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं और सीकर्स के लिए एक साथ प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो प्रसारक के लिए टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में शामिल प्रसारकों की संख्या और ऑडिट के समापन के लीड-टाइम को ध्यान में रखते हुए बाजार में समय के हित में है।
- एक ही ऑडिटर को सभी प्रकार की सेवाओं–डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि के लिए ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त प्रसारकों को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की पूर्व-शर्त के रूप में, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह नेटवर्क आर्किटेक्चर से संबंधित संवेदनशील जानकारी से जुड़ा हुआ मामला है।
- प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्था में सम्मिलित सभी डीपीओ के सभी तत्वों का, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित, पूर्ण ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि डीपीओ के बीच किस प्रकार और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा की जा रही है तथा कितने डीपीओ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा कर रहे हैं।

146. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न खंडो में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियाँ उन मुद्दों को भी समाहित करती हैं, जिनमें सीएएस और एसएमएस का साझाकरण शामिल है, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं। सीएएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडिट के दायरे से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए ऐसे व्यापक प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे। सेवाओं की सभी श्रेणियों के लिए केवल एक ही ऑडिटर को अनुमति दिए जाने जैसे अन्य शेष मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

147. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- जहाँ सेवा प्रदाताओं के बीच सीएएस और एसएमएस साझा किए जा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले डीपीओ की प्रणालियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए पृथक रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे किसी भी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले किसी भी व्यक्तिगत डीपीओ को डिस्कनेक्ट कर सकें, जिसमें विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, सब्स्क्रिप्शन शुल्क के भुगतान में चूक करना अथवा पायरेसी में संलिप्त होना शामिल है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त तथा एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर(र्स) का ऑडिट (दोनों-विनियम 15(1) और 15 (2)) के तहत एक साथ किया जाना चाहिए ताकि साझा सीएएस और एसएमएस प्रणालियों से एक साथ पूर्ण डेटा डंप निकाला जा सके और एसटीबी के पूरे यूनीवर्स (सभी पात्रता रिकॉर्ड के साथ) को साझा सीएएस और एसएमएस सिस्टम में परिभाषित विशिष्ट आईडेंटिफायर/डिफ्रेंशिएटर के आधार पर सेवा प्रदाताओं के बीच विभाजित किया जा सके।
- सीएएस/एसएमएस/डीआरएम साझा किए जाने के मामलों में, यह मत व्यक्त किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के संबंध में प्रसारक द्वारा किया जाने वाला ऑडिट, मौजूदा ऑडिट मैनुअल में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप अनिवार्य किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी हितधारकों के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषय है। यद्यपि प्रसारकों द्वारा एक साथ ऑडिट किए जाने की अनुमति दी जा सकती है, तथापि सीएएस/एसएमएस/डीआरएम साझा करने में सम्मिलित सभी डीपीओ से सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऑडिट को पूर्ण करने के लिए चार सप्ताह की एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अनुसूची-III के बिंदु ग(5) में एक नया प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए।

  "बशर्ते कि किसी भी सीएएस इंस्टेंस को केवल एक ही एसएमएस के साथ एकीकृत किया जा सकेगा।"
- ऑडिट करने के लिए वर्तमान में विद्यमान प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि डीपीओ द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य एवं सही हों, तथा सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा किए जाने के कारण किसी प्रकार का हेरफेर न हुआ हो। इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सेवा प्रदाताओं के मामलों में भी इसी प्रकार के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं और प्रसारक को सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक साथ ऑडिट, (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रसारक को सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ को एक साथ ऑडिट (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सभी डीपीओ/ एमएसओ/डीटीएच/एचआईटीएस को हर साल अनिवार्य वार्षिक ऑडिट से गुजरना आवश्यक है। इसलिए, प्रसारक की किसी भी विशिष्ट/प्रासंगिक आवश्यकताओं की जांच वार्षिक आडिट के दौरान स्वयं ही की जा सकती है।

148. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में सीएएस और एसएमएस के साझाकरण से संबंधित वे मुद्दे भी सम्मिलित हैं, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। सीएएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडिट के दायरे और समय-सीमा से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ऑडिट से संबंधित ऐसे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, को ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किया जाएगा।

परामर्श पत्र के प्रश्न 14 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

149. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, मौजूदा क्लॉज 4.5 लागू होता है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स आउटपुट (ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम) में साझा सीएएस प्लेटफॉर्म से कॉमन ईसीएम और ईएमएम शामिल होते हैं।
- यद्यपि मक्स इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संदर्भ में सूचना के रिसाव का कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं है, फिर भी किसी विशेष डीपीओ के संबंध में ऑडिट के दायरे को प्रभावी रूप से सीमित करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि एक ही मक्स साझा करने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम-वाईज विवरण प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में ऑडिट मैनुअल की धारा 4.5 में निम्न संशोधन किया जाना चाहिए:

  "मक्स कॉन्फ़िगरेशन चेक करें ताकि एसआईडी के साथ कॉन्फ़िगर किए गए ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम्स ("टीएस") की संख्या, हर एसआईडी का स्क्रैम्बलिंग स्टेटस और ईसीएम और ईएमएम कॉन्फ़िगरेशन (मक्स - टीएस स्ट्रीम-कॉन्फ़िगर किए गए ईसीएम और ईएमएम की संख्या), जैसा कि संबंधित डीपीओ के लिए किए गए इंफ्रा शेयरिंग डिक्लेरेशन के अनुसार है, को वैलिडेट किया जा सके, जैसे मक्स आईडी, टीएस आईडी, ऑडिट के तहत डीपीओ की पूरी सर्विस लाइनअप की सर्विस आईडी लिस्टिंग।"
- यदि मल्टीप्लेक्सर कॉमन है और सिग्नल का सिमुल-क्रिप्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑडिट के दौरान प्रसारक लॉग को देख सकता है। हालांकि, यदि डीपीओ दोनों फ़ीड्स को दो अलग-अलग मक्स के माध्यम से अलग-अलग संचालित कर रहा है, तो प्रसारक को केवल अपने ही हिस्से से संबंधित लॉग देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में प्रसारक को सेवा प्रदाता से किसी अन्य प्रसारक का डेटा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- मल्टीप्लेक्सर सेवाओं को एन्क्रिप्टेड अथवा अनएन्क्रिप्टेड मोड में वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तदनुसार, ऑडिटर्स को विशेष रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए फ्री एक्सेस प्रदान की जानी चाहिए और विनियमों में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऑडिट अवधि के दौरान चैनलों की एन्क्रिप्शन स्थिति सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट के समय मक्स लॉग समीक्षा/सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, डीपीओ को ऐसे लॉग को कम से कम पिछले तीन पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि के लिए गैर-संपादन योग्य संग्रहीत रिपोर्ट के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु इंटरकनेक्शन विनियमों की अनुसूची III तथा ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधन किए जाने का सुझाव दिया गया है:

  i. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर, दोनों को सभी एन्कोडर्स और सभी मक्स (MUX) की कंप्रेशन चेन को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क सर्विस मैनेजर के लॉग बनाए रखने चाहिए, तथा मक्स लॉग को ऑडियो-वीडियो पीआईडी मैपिंग, सर्विस आईडी, सर्विस नाम, तथा सेवाओं और एन्क्रिप्शन से संबंधित समस्त जानकारी के विवरण सहित बनाए रखना चाहिए। टेलीविज़न चैनलों का वितरक, प्रसारक के अनुरोध पर, अपने हेड-एंड से वितरित की जा रही सभी ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम (टीएस) की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएगा।

  ii. इसके अलावा, टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा वितरित सभी चैनलों का एन्क्रिप्शन केवल सीएएस के माध्यम से मक्स पर ही लागू किया जाना चाहिए, न कि हेड-एंड के किसी अन्य उपकरण पर।

कई डीपीओ, चैनलों को मक्स के माध्यम से अनएन्क्रिप्टेड मोड में पास करते हैं और क्यूएएम (मॉड्यूलेटर) पर पूरी स्ट्रीम को स्क्रैम्बल कर देते हैं, जो सब्सक्राइबर एसटीबी पर किसी चैनल को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप अंडर डिक्लेरेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसे चैनलों का सीएएस और एसएमएस सिस्टम में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता। तदनुसार, खंड घ14 में निम्नांकित संशोधन किया जाना चाहिए::

"*प्राईमरी डीपीओ/ इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता को सभी पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर पर अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सम्मिलित करना चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी पे चैनलों के लिए एसटीबी छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सम्मिलित करेगा, और इसे निम्न प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो ओवरलैप न हो या छिप न जाए। आदर्श रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो स्क्रीन के निचले बाएँ भाग में स्थापित किया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ अपना लोगो स्क्रीन के निचले दाएँ भाग में स्थापित करेगा।*"

150. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण सहित ऐसे विषय शामिल हैं, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मल्टीप्लेक्सर से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 17 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश।</u>

151. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित किसी भी प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए 'इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण' से संबंधित एक नया अध्याय जोड़े जाने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में, हितधारक की विस्तृत प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हितधारक ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है:
    - कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण अनुरोध प्रसारकों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके लिखित अनुमोदन के अधीन होगा, और तदनुसार डीपीओ किसी भी लंबित तकनीकी अथवा वाणिज्यिक मुद्दे के संबंध में प्रसारकों से स्वीकृति/एन.ओ.सी. प्राप्त करेंगे।
    - इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, प्राईमरी एमएसओ को एक्टीवेशन/डीएक्टीवेशन पोर्टल सक्षम करना चाहिए तथा प्रसारक को ऐसे पोर्टल तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह डिफ़ॉल्ट प्राईमरी या सेकेंड्री एमएसओ (जैसा भी लागू हो) को स्वतंत्र रूप से निष्क्रिय करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।
    - जहां सीएएस और एसएमएस साझा किए जाते हैं, वहां प्राईमरी डीपीओ प्रत्येक सेकेंड्री डीपीओ के सीएएस और एसएमएस डेटा को पृथक रूप से संग्रहीत करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्तिगत

रूप से सुलभ हो। जहां सेकेंड्री डीपीओ को केवल टीएस सिग्नल प्रदान किए जा रहे हों, वहां प्रत्येक सेकेंड्री डीपीओ का विवरण पृथक रूप से संग्रहीत एवं साझा किया जाना चाहिए।

  - इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण में संलग्न संस्थाओं के ऑडिट संयुक्त रूप से और एक साथ आयोजित किए जाने चाहिए।
  - इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की इच्छा रखने वाले सभी डीपीओ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे (इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए कोई भी अनुबंध करने से पूर्व) प्रसारक की तकनीकी टीम द्वारा अपने सिस्टम का प्री-ऑडिट करवाए।
  - यदि कोई सेकेंड्री डीपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के लिए एक प्राईमरी डीपीओ से किसी अन्य प्राईमरी डीपीओ में स्थानांतरित होता है, तो ऐसे डीपीओ को किसी अन्य प्राईमरी डीपीओ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने से पूर्व प्रसारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - प्राईमरी डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि सेकेंड्री डीपीओ को प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों के संकेतों की अच्छी गुणवत्ता तथा निर्बाध आपूर्ति प्राप्त हो।

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति सभी संभावित परिदृश्यों तथा सभी प्लेटफार्मों पर दी जानी चाहिए, जिनमें डीटीएच और आईपीटीवी शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

152. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के अनुसार इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन से संबंधित विषय भी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण, एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। डीपीओ द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के ऑडिट से संबंधित वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे। अन्य शेष विषयों, जैसे एक्टीवेशन/ डीएक्टीवेशन पोर्टल की आवश्यकता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा निर्बाध सेवाओं अथवा संकेतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर का एक डीपीओ से दूसरे डीपीओ में स्थानांतरण आदि के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका समाधान आपसी समझौतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 19 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

153. वर्तमान परामर्श से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने वाले प्रश्न 19 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचार निम्न प्रकार हैं:

   i. प्रसारक विनियमन 15 (2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और यह प्रावधान उनके लिए एमएसओ को आर्थिक अथवा कानूनी रूप से परेशान करने का एक साधन बन गया है।

   ii. विनियमन 15 (2) में उल्लिखित दोनों शर्तें, अर्थात् “ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं” तथा “प्रसारक की राय में”, ओपन एंडेड हैं। इन शब्दों के कारण प्रसारक, केवल डीपीओ को परेशान करने के उद्देश्य से, किसी भी विषय को उक्त विनियमन के अंतर्गत उठा सकते हैं।

   iii. हितधारकों ने विनियमन 15 (2) में निम्न प्रकार से संशोधन करने का सुझाव दिया:

      क. ऐसे मामलों में, जहां विनियमन 15 (1) (क) में संदर्भित ऑडिटर, डीपीओ द्वारा प्रसारक को प्रस्तुत सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के संबंध में, अथवा अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि न होने के संबंध में, जैसा भी मामला हो, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है, वहां वितरक

को कारणों की लिखित सूचना देने के पश्चात, प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के वितरक की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम तथा अन्य संबंधित प्रणालियों का ऑडिट करने की अनुमति होगी, जो एक कैलेंडर वर्ष में एक से अधिक बार नहीं होगा:

i. बशर्ते कि, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित क्वालिफिकेशन्स बताता है।

क. डीपीओ द्वारा प्रस्तुत तथा भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सत्यापित ग्राहकों की संख्या में 0.5% *से अधिक का अंतर पाया गया है।*

ख. ऑडिट के दौरान कोई अघोषित सीएएस/एसएमएस/हेड-एंड पाया गया।

ग. यदि ऑडिट के दौरान कोई अनएन्क्रिप्टेड सिग्नल पाया जाता है।

घ. प्रसारकों द्वारा दिए गए ग्राउंड एसटीबी नमूनों और सिस्टम में *वास्तविक उपलब्धता के बीच* 5% *से अधिक का अंतर पाया जाता है।*

iv. ऑडिटरों को डीपीओ द्वारा अपने क्लोज्ड नेटवर्क में प्रस्तुत किए जा रहे आईपीटीवी ऐप्स का ऑडिट करने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि ऐसे ऐप्स की विशेषताओं को मानकीकृत किया जाए, अथवा ऐसे ऐप्स के लिए एक व्हाइटलिस्टिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

v. आईपीटीवी प्लेटफ़ॉर्म, जो एसटीबी के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें भी सूचना सुरक्षा ऑडिटर के माध्यम से अपना ऑडिट कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें हेड-एंड/आईटी एप्लिकेशन परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण, कंट्रोल परीक्षण, तथा एप्लिकेशन के कॉन्फ़िगरेशन, वल्नरेबिलिटी एवं अन्य संबंधित परीक्षण शामिल हों।

vi. ऑडिटरों को ऑडिट रिपोर्ट उसी दिन डीपीओ और प्रसारकों दोनों को जारी करनी चाहिए।

vii. पैनल में शामिल प्रत्येक ऑडिट एजेंसी के पास ऐसे प्रशिक्षित कर्मी होने चाहिए, जो सीएएस/एसएमएस, डिजिटल हेड-एंड तथा संबंधित हेड-एंड प्रणालियों से भली-भांति परिचित हों। यह ध्यान दिलाया गया है कि पैनल में शामिल अधिकांश एजेंसियों के पास मुख्यतः वित्तीय ऑडिट का अनुभव है, न कि सीएटीवी/डीएएस/आईपीटीवी परिवेश के ऑडिट का।

viii. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संबंध में, हितधारकों का मत था-

क. एचआईटीएस तथा डीटीएच प्लेटफार्मों में सीएएस और एसएमएस सर्वरों के इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख. सिमुल-क्रिप्ट परिवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण) में सर्वर विफलता की स्थिति में किसी भी प्रकार की डेटा हानि को रोकने के लिए, डीपीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास सीएएस और एसएमएस के संबंध में एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम (बैक-अप/स्टैंड-बाय सर्वर) उपलब्ध हो, जो कम से कम तत्काल पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों की अवधि के लिए सीएएस और एसएमएस पर तथा उनके माध्यम से निष्पादित प्रत्येक कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और संरक्षित रखने में सक्षम हो।

ग. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रयास करने चाहिए कि सेवा उपलब्धता बनी रहे, (ऐसी सेवा जो दर्शकों द्वारा अनुभव की जा सकने वाली समस्याओं से मुक्त हो, जिनमें बिना किसी सीमा के, बिना ऑडियो के वीडियो, बिना वीडियो के ऑडियो, अथवा महत्वपूर्ण सिग्नल विकृति शामिल हैं) और जिसमें दैनिक ट्रांसमिशन शेड्यूल से कोई भी व्यवधान या विचलन न हो।

घ. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को एक प्रसारक रिमोट लाइव कंट्रोल पैनल (डैशबोर्ड) विकसित करना चाहिए, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, प्रसारक अपने संबंधित चैनलों के संकेतों को सेकेंड्री डीपीओ के लिए दूरस्थ रूप से एक्टीवेट, डीएक्टीवेट तथा पुनः एक्टीवेट कर सकें।

ड़. डैशबोर्ड को निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए–

- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा सेकेंड्री डीपीओ द्वारा वास्तविक समय में तैनात प्रत्येक सीएएस का विवरण, संबंधित सीएएस नंबर सहित।
- संबंधित प्रसारकों के लिए एन्क्रिप्शन की स्थिति, अर्थात क्या संबंधित चैनल वास्तविक समय में एन्क्रिप्टेड हैं या अनएन्क्रिप्टेड।
- अवसंरचना प्रदाता और सेकेंड्री डीपीओ के संदर्भ में प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध सभी संबंधित प्रसारकों की सेवाओं के नाम।

च. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़े गए या हटाए गए किसी भी सीएएस को डैशबोर्ड पर, ऐसे जोड़ने और/या हटाने की तिथि एवं समय की मोहर सहित, जैसा भी लागू हो, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर का यह दायित्व होगा कि वे प्रसारक को कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में सूचित करें।

छ. एचआईटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामले में, एचआईटीएस प्रदाता द्वारा एमएसओ के स्थानीय केबल ऑपरेटरों ("एलसीओ")/डीपीओ को जारी की गई केबल ऑपरेटर प्रिमाइसेज़ इक्विपमेंट (सीओपीई) इकाइयाँ उनके सिस्टम में स्पष्ट रूप से पहचानी गई/दृश्यमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एचआईटीएस के ऑडिट के दौरान, एचआईटीएस ऑपरेटर को पैनल में शामिल ऑडिटरों के साथ-साथ, प्रसारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, सीओपीई इकाइयों के इंस्टॉलेशन पते सहित विस्तृत जानकारी प्रसारक को भी उपलब्ध करानी चाहिए।

ज. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण करने वाले डीपीओ को यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे 24×7×365(6) दिनों के आधार पर हर दस (10) मिनट के अंतराल पर फिंगरप्रिंटिंग शेड्यूल करें, और इसे निम्न प्रकार से किया जाए कि कनेक्टेड एसटीबी की टीवी स्क्रीन पर फिंगरप्रिंटिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

ix. भादूविप्रा द्वारा उचित ऑडिट शुल्क मैट्रिक्स प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अत्यधिक मोलभाव के कारण कई बार ऑडिट कार्य और रिपोर्ट की गुणवत्ता से समझौता हो जाता है।

x. किसी ऑडिट फर्म द्वारा किए जा सकने वाले अधिकतम ऑडिटों की संख्या, विनियमन 15(1) और 15(2) के तहत निर्धारित की जानी चाहिए।

xi. विनियमन 15(1) और/या 15(2) के तहत ऑडिट कराए जाने के लिए, डीपीओ/प्रसारक को निर्धारित शुल्क मैट्रिक्स के अनुसार ऑडिट शुल्क जमा कर भादूविप्रा से अनुरोध करना चाहिए, और इसके पश्चात भादूविप्रा द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जानी चाहिए।

xii. कई बार डीपीओ के लिए क्लाउड समाधान या डेटा सेंटर में एसएमएस की होस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ऑडिट के दौरान ऐसे सर्वरों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब एसएमएस एडब्ल्यूएस मुंबई में होस्ट किया गया हो और ऑडिटर भौतिक सत्यापन की मांग करे, जो कि संभव नहीं है, तब एसएमएस को गैर-अनुपालन का फ्लैग दे दिया जाता है। अतः इस विषय को ऑडिट मैनुअल में स्पष्ट रूप से हल किया जाना आवश्यक है।

xiii. ऑडिटर के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह पूरे ऑडिट काल के दौरान, प्रत्येक माह के कम से कम एक सप्ताह को कवर करते हुए, 20% सैंपल सप्ताहों के लिए, डीपीओ के नेटवर्क पर उपलब्ध प्रसारकों के प्रत्येक पे चैनल के एमएसआर डेटा का सत्यापन करे।

xiv. वर्तमान में सत्यापन केवल सीएएस बनाम एसएमएस में कुल सक्रिय ग्राहकों के लिए समग्र स्तर पर किया जा रहा है। इसमें यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि पात्रताओं की संख्या (अर्थात प्रत्येक सक्रिय सीएएस कार्ड पर सक्रिय कुल चैनलों की संख्या) की तुलना एसएमएस में प्रत्येक सीएएस कार्ड पर उपलब्ध कुल पात्रताओं से की जाए।

xv. ऑडिट प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब डीपीओ, प्रत्येक माह प्रसारक को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक सब्सक्राइबर रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, सीएएस और एसएमएस वाईज सब्सक्राइबर संख्या प्रस्तुत करेगा।

विश्लेषण

154. प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों की समीक्षा की है। इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है:

- विनियमन 15(2) से संबंधित मुद्दों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन विषयों को पहले ही सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत हल किया जा चुका है, तथा इनके औचित्य इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न विश्लेषण अनुभागों में प्रस्तुत किए गए हैं।
- डीपीओ और प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियों के उत्तर में, सातवें संशोधन विनियम निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑडिट पूर्ण करने को अनिवार्य करते हैं तथा प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित किए जाने का प्रावधान करते हैं।
- आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के ऑडिट से संबंधित टिप्पणियों के उत्तर में, भादूविप्रा के इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत आईपीटीवी ऑपरेटरों सहित सभी डीपीओ को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना अनिवार्य किया गया है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची X में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) प्रणाली से संबंधित आवश्यकताएँ निर्दिष्ट हैं।
- प्रशिक्षित ऑडिट कर्मियों की कथित आवश्यकता को देखते हुए, सातवें संशोधन विनियमों का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा ऑडिटरों की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के ऑडिट हेतु ऑडिटरों को सूचीबद्ध करने के लिए जारी रुचि की अभिव्यक्ति में आवेदन ऑडिटरों के लिए न्यूनतम अनुभव एवं दक्षता संबंधी पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संबंध में निम्नांकित को नोट किया जा सकता है:
    - यह प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म, जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि, के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा जारी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है।
    - एमआईबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत एमएसओ के बीच, एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटर के बीच तथा डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएएस/एसएमएस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति दी गई है।
    - एमआईबी दिशानिर्देश एचआईटीएस और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएएस/एसएमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति नहीं देते हैं।
    - इन दिशानिर्देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ शामिल हैं, जिनमें डिजास्टर रिकवरी सिस्टम, प्रसारकों द्वारा सिंगन्लस का डिस्कनेक्शन, लॉग बनाए रखना, सीएएस/एसएमएस साझा करना तथा ऑडिट हेतु उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। डैशबोर्ड, सीओपीई टर्मिनल आदि से संबंधित सुझाव के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ये तकनीकी कार्यक्षमता के विषय हैं, जिन्हें मार्केट प्रैक्टिस के माध्यम से अधिक उपयुक्त रूप से संबोधित किया जा सकता है।
    - सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एमआईबी द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।
    - इसके अतिरिक्त, सभी सेवा प्रदाताओं को भादूविप्रा के सेवा गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (यथा संशोधित) सहित भादूविप्रा के सभी लागू विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।

- यूनीवर्सल ओवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के सुझाव के संबंध में, यह उपयोगकर्ता अनुभव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। किसी कॉम्प्रोमाइज्ड डीपीओ की पहचान आवश्यक होने पर, संबंधित डीपीओ के विशिष्ट सेगमेंट के लिए फिंगरप्रिंटिंग प्रारंभ की जा सकती है।
- ऑडिट शुल्क के विनियमन के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि भादूविप्रा द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ऑडिटरों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑडिट शुल्क प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं।
- पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने वाले सूचीबद्ध ऑडिटरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, ई.ओ.आई. के अंतर्गत किसी एक फर्म द्वारा किसी डीपीओ का तीन वर्षों से अधिक अवधि तक निरंतर ऑडिट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, न कि किसी फर्म द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है।
- ऑडिट से संबंधित वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में सम्मिलित किए गए हैं अथवा किए जाएंगे। तकनीकी कार्यक्षमताओं से संबंधित अन्य शेष विषयों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी/सूक्ष्म विवरणों को विनियमों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

मसौदा विनियम 2025

155. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि एसएमएस तथा सीएएस/डीआरएम में प्रत्येक वितरक के लिए क्रमशः अनुसूची III और अनुसूची X में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा एसएमएस/सीएएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंसेज बनाए जाने चाहिए तथा दो या दो से अधिक वितरकों के बीच डेटा को निम्न प्रकार से पृथक किया जाना चाहिए कि एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के बीच इकाई वार मिलान किया जाना संभव हो।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

156. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रावधानों को शामिल करने से सहमत होते हुए यह सुझाव दिया गया कि भादूविप्रा को सभी प्रासंगिक अनुसूचियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों का समन्वय करना चाहिए तथा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि साझा सिस्टम्स में सीएएस, एसएमएस तथा कंटेंट एक्विजिशन सिस्टम्स/सिग्नल्स भी शामिल हो सकते हैं। किसी भी भ्रम से बचने के लिए यह भी सुझाव दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों को अनुसूची IX तक विस्तारित किया जाए (क्योंकि वर्तमान में यह केवल अनुसूची III और अनुसूची X तक सीमित हैं)।
- यह प्रावधान अनुपालन करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों पर अत्यधिक, अनावश्यक और बिना क्षतिपूर्ति के पूंजीगत व्यय का बोझ डालता है और कई वितरकों के लिए महंगे "अलग-अलग इंस्टेंस" लागू करने के लिए बाध्य करना केवल एक कठोर विनियामक परिभाषा को संतुष्ट करता है, परिचालनात्मक अतिरेक उत्पन्न करता है और अंततः सेवा लागत में वृद्धि होगी जो सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगी।
- प्रावधानों से असहमत। मसौदा संशोधन अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए कोई मूलभूत विश्लेषण किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर साझा के लिए एक फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव करता है। सुझाव दिया गया कि इन

प्रावधानों को तब तक अंतिम रूप न दिया जाए, जब तक कि आवश्यक आधारभूत अध्ययन विनियामक सैंडबॉक्सिंग के माध्यम से न किए जाएँ और उन्हें परामर्श हेतु हितधारकों के साथ साझा न किया जाए। प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का प्रस्ताव करने वाले और/या इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को कवर करते हुए संयुक्त और एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- मसौदा विनियम यह स्पष्ट नहीं करते कि अनेक डीपीओ द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की स्थिति में एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के अलग-अलग इंस्टेंस तकनीकी रूप से कैसे लागू किए जाएँगे। अस्पष्टता और दुरुपयोग को रोकने के लिए भादूविप्रा को सिस्टम सैग्रीगेशन, डेटा एक्सेस तथा ऑडिटेबिलिटी को स्पष्ट करते हुए विस्तृत तकनीकी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया:

  i. साझा एसएमएस और डीआरएम सिस्ट्म्स प्रत्येक डीपीओ के लिए सभी निर्धारित आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। प्रत्येक डीपीओ के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाएँ और डेटा का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए ताकि एसएमएस और डीआरएम के बीच इकाई-वार मिलान संभव हो सके।

  ii. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर सहित सभी डीपीओ के लिए ऑडिट एक साथ आरंभ किया जाना चाहिए।

  iii. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले डीपीओ का सिस्ट्म्स (एसएमएस और सीएएस) इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में, जिसमें सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान में चूक या पायरेसी शामिल है, प्रसारकों को व्यक्तिगत डीपीओ के सिग्नल डिस्कनेक्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त एवं एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

  iv. सीएएस संबंधित वितरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटलिस्टिंग करने और टैग करने में सक्षम होगा और सीएएस में निष्पादित प्रत्येक आदेश के अनुरूप कम से कम तुरंत पहले के तीन लगातार वर्षों की अवधि के लिए तारीख और समय की मुहर के साथ लॉग बनाने, रिकॉर्ड करने और बनाए रखने में सक्षम होगा, जिसमें एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन और डीएक्टीवेशन आदेश शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

  v. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए सीएएस इंस्टेंस को अलग-अलग डेटाबेस के साथ लॉजिकल इंस्टेंस के रूप में पृथक किया जाना चाहिए। केवल हार्डवेयर तथा उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर (स्थान और पावर) साझा की जानी चाहिए।

  vi. प्रत्येक सीएएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के साथ कम्यूनिकेट करेगा। एक से अधिक एसएमएस द्वारा संबोधित किए जाने वाले सीएएस इंस्टेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वन-टू-वन पत्राचार समाप्त हो जाता है।

  vii. प्रसारक को डीपीओ को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देने से पूर्व तकनीकी ऑडिट कराने का अधिकार होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि डीपीओ का सिस्टम्स भादूविप्रा विनियमों के अनुरूप है।

- बकाया राशि या पायरेसी के कारण डिस्कनेक्शन का सामना कर रहे डीपीओ को इंफ्रा-शेयरिंग अरेंजमेंट के ज़रिए प्रसारक की कार्रवाई को बायपास करने से रोकना चाहिए और ऐसे डीपीओ को किसी दूसरे वितरक के ज़रिए प्रसारक सिग्नल एक्सेस करने की अनुमति देने से इन्फोर्समेंट एक्शन नाकाम हो जाएंगे और गैर-अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करने से पूर्व डीपीओ को संबंधित प्रसारक से पूर्व लिखित अनुमोदन या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए तथा साझाकरण को क्रियान्वित करने से पहले प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के सिस्टम्स का ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विश्लेषण

157. प्राधिकरण ने नोट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों/विधियों द्वारा शासित होता है, जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के दिशानिर्देश पहले से ही सीएएस/एसएमएस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति देते हैं। तदनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करते समय अथवा उसका संचालन करते समय एमआईबी द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

158. मौजूदा विनियमों में, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के मद (ग)(2) में यह प्रावधान किया गया है कि:

"एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स के जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।"

इसी प्रकार इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची III के मद (ग)(14) में यह प्रावधान है कि–
"सीएएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स के जनरेट, रिकार्ड और मैंटेन करने के लिए सीएएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।"

159. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची X में भी इसी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, जहाँ एसएमएस, सीएएस तथा डीआरएम को भी साझा किया जा सकता है, इन प्रावधानों में संशोधन आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसएमएस, सीएएस और डीआरएम सिस्टम्स प्रत्येक वितरक के लिए इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, साझा एसएमएस/सीएएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए तथा दो या अधिक वितरकों के बीच डेटा का निम्न प्रकार से पृथक्करण किया जाना चाहिए कि एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के बीच इकाई वार मिलान संभव हो सके।

160. दिनांक 9 अगस्त 2024 के परामर्श पत्र में उठाए गए ऑडिट मैनुअल से संबंधित अन्य मुद्दों के संदर्भ में, प्रश्न संख्या 7, 8, 15, 16 और 18 के माध्यम से प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों को नोट किया गया है और उनकी जांच की गई है। इन टिप्पणियों में ऑडिट मैनुअल में क्लॉज वाइज़ सुझाव तथा इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के कारण आवश्यक संशोधन शामिल हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधनों पर विचार करेगा।

161. उपर्युक्त के मद्देनज़र, सातवें संशोधन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तथापि, मार्केट डेवलपमेंट्स पर निगरानी रखी जाएगी और यदि आवश्यक प्रतीत हुआ, तो उचित समय पर हस्तक्षेप करने पर विचार किया जा सकता है।

<u>इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रावधान – वॉटरमार्किंग</u>

162. परामर्श पत्र में, परामर्श हेतु अन्य मुद्दे निम्न प्रकार से रखे गए थे:

प्रश्न 9. एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-III के खंड घ-14 (सीएएस और एसएमएस) में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

"सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल एन्कोडर एंड पर इनसर्ट किया जाएगा। बशर्ते कि, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) के प्रवर्तन के बाद तैनात किए गए एन्कोडर ही एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो का सपोर्ट करेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा।"

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया उपयुक्त औचित्य के साथ वैकल्पिक संशोधन का सुझाव दें?

प्रश्न 10. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, तो–

i) क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर वितरकों दोनों के लोगोज़ (पारदर्शिता स्तर, आकार आदि) के विनिर्देशों, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर, वितरक दोनों के लोगोज़ के लिए विस्तृत विनिर्देश (पारदर्शिता स्तर, आकार आदि) प्रदान करें।

ii) चूँकि टीवी स्क्रीन पर एक से अधिक डीपीओ के लोगोज़ की उपस्थिति से सब्सक्राइबर के स्तर पर वीडियो सिग्नल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे कौन से उपाय, जैसे कि डीपीओ के लोगो को ओवरलैप करना या कोई और समाधान, अपनाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीपीओ (इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर) का लोगो सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर साफ़ दिखाई दे, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता डीपीओ के नेटवर्क लोगो पर वॉटरमार्किंग करके पायरेसी का पता लगाने का मकसद भी पूरा हो? कृपया प्रस्तावित उपाय का विवरण दें।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 9 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

163. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता सभी पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर से नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा तथा साझा नेटवर्क में शामिल डीपीओ अपने-अपने स्तर पर एसटीबी छोर से अपना लोगो भी डालेगा। यह व्यवस्था आवश्यक मानी गई ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले ऑपरेटर्स को वॉटरमार्किंग के ज़रिए पायरेसी के लिए अलग-अलग पहचान संभव हो सके।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमार्किंग लोगो को या एन्कोडर छोर पर अथवा एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है।
- पायरेसी की किसी भी अनावश्यक घटना को रोकने के लिए वॉटरमार्किंग लोगो को असल में सिर्फ़ एनकोडर छोर पर डाला जाना चाहिए। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमार्किंग लोगो को या तो एन्कोडर छोर या एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है।
- वॉटरमार्किंग लोगो को एन्कोडर छोर अथवा एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है और इसका निर्णय प्रदाता तथा सीकर के बीच पारस्परिक सहमति से होना चाहिए।
- यदि इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया जाना है, तो लोगो केवल एसटीबी छोर ही लगाया जाना जाहिए अथवा यदि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और डीपीओ दोनों के लोगो को स्क्रीन पर अलग-अलग स्थानों पर इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि वे एक-दूसरे को ओवरलैप न करें।
- एन्कोडर स्तर पर वॉटरमार्किंग लोगो का सम्मिलन अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए और केवल एसटीबी स्तर पर लोगो का सम्मिलन ही इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की आवश्यकताओं तथा एंटी-पायरेसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।
- अधिकांश एमएसओ के पास पुराने एन्कोडर उपलब्ध हैं और अपग्रेड के लिए विक्रेता समर्थन उपलब्ध नहीं है। छोटे डीपीओ के लिए नए हार्डवेयर पर होने वाला व्यय वहन करना संभव नहीं है। इसलिए, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत और वास्तविक रूप से पायरेसी की संभावना न रखने वाले एमएसओ के लिए कुछ छूट प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्थाओं में, एन्कोडर छोर से लोगो डालने से लोगो ओवरलैप, दृश्य अव्यवस्था तथा उपभोक्ता अनुभव से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, अतः एन्कोडर छोर से वॉटरमार्किंग लोगो का सम्मिलन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। एंटी-पायरेसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि कोई वॉटरमार्किंग लोगो को बदलने या मास्क करने में सक्षम हो जाता है, तो डीपीओ-ट्रिगर फिंगरप्रिंट निम्न तरीके से उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है:
    1. प्रसारक, अपने द्वारा ट्रिगर किए गए फिंगरप्रिंट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान कर सकेगा।
    2. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान होने पर, प्रसारक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को उत्तरदायी ठहराएगा कि वह वास्तविक डीपीओ (इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर/ इंफ्रा प्रदाता) के एसटीबी आईडी की पहचान हेतु डीपीओ ट्रिगर्ड फिंगरप्रिंट सक्रिय करे।
    3. चूंकि वर्तमान में इंफ्रा प्रदाता के पास इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के एसटीबी पर फिंगरप्रिंट ट्रिगर करने की प्रत्यक्ष क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए दो संभावित समाधान सुझाए गए हैं—
        - सभी इंफ्रा सीकर्स के फिंगरप्रिंट एपीआई का उपयोग कर एक साझा यूटिलिटी विकसित की जाए, जिससे यह फिंगरप्रिंट तत्काल ट्रिगर्स करे; अथवा
        - सभी भागीदार डीपीओ की एक साझा एंटी-पायरेसी टीम स्थापित की जाए, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर फिंगरप्रिंट ट्रिगर करे।

- प्रस्तावित शर्तों को लागू करने से पूर्व उनका उचित परीक्षण और व्यावहारिक सत्यापन आवश्यक है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीएएस या एसएमएस के माध्यम से निष्पादित कमांड को किसी विशिष्ट डीपीओ से निश्चित रूप से कैसे जोड़ा जा सकता है। भादूविप्रा को किसी भी व्यापक परिवर्तन को लागू करने से पूर्व विनियामक सैंडबॉक्सिंग के माध्यम से परीक्षण करना चाहिए। हितधारक द्वारा निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया:

  "सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग केवल एन्कोडर छोर पर डाला जाएगा।

  बशर्ते कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) के प्रभाव में आने से ~~बाद~~ पूर्व लगाए गए ~~सिर्फ~~ ऐसे एन्कोडर, जो एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 को या उससे पूर्व हटा दिए जाएंगे और उन्हें ऐसे एन्कोडरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का समर्थन करते हों।

  इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा। स्क्रीन पर दो वॉटरमार्क स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, एक वॉटरमार्क एन्कोडर छोर से इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का, तथा दूसरा वॉटरमार्क एसटीबी छोर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाले डीपीओ का। बशर्ते कि एसटीबी वॉटरमार्क 50% पारदर्शी होना चाहिए।"

164. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाद के भाग में प्रस्तुत इन मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों में नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग से संबंधित विनियामक प्रावधानों के औचित्य को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा एन्कोडर छोर पर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर द्वारा एसटीबी/मिडलवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाना है।

<u>परामर्श पत्र के प्रश्न 10 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

165. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- एसटीबी छोर पर कार्यान्वयन में विकास और आवश्यक विनिर्देशों से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए, लोगो के स्पेसिफिकेशन को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकेशन तय करने का काम ऑपरेटरों पर छोड़ देना चाहिए।
- दो लोगो प्रदर्शित करने से न केवल जटिलताएं और दिक्कतें उत्पन्न होंगी, बल्कि यह उपभोक्ता के देखने के अनुभव को भी बाधित करेगा। इससे उपभोक्ता को तीन लोगो दिखाई देंगे (i) इंफ्रा सेवा प्रदाता का, (ii) इंफ्रा सेवा सीकर का और (iii) प्रसारक का। यह डीपीओ द्वारा चलाए जाने वाले अनिवार्य संदेशों या स्क्रॉल के अतिरिक्त होगा। पायरेसी नियंत्रण का उद्देश्य प्रसारक-स्तर तथा एसटीबी-स्तर पर फिंगरप्रिंट फ्लैश करके पूरा किया जा सकता है।

- प्रसारक के लोगो के साथ स्क्रीन पर दो डीपीओ के लोगो दिखाई देने से उपभोक्ता अनुभव खराब होगा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए, स्क्रीन पर दोनों डीपीओ के लोगो दिखाना मुश्किल होगा और यह सुझाव दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर डीपीओ के लोगो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- डीपीओ लोगो के लिए पारदर्शिता का वर्तमान स्तर लगभग 80% बनाए रखा जाना चाहिए।
- उपभोक्ता के छोर पर वीडियो सिग्नल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग के माध्यम से पायरेसी रोकने के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए, जैसे कि:
  - लोगो का आकार 1080पी से अधिक न हो;
  - लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे;
  - टीवी स्क्रीन पर किसी डीपीओ या प्रसारक के एक से अधिक लोगो प्रदर्शित नहीं होने चाहिए।
- चूंकि स्क्रीन पर दो वॉटरमार्क प्रदर्शित होंगे, इसलिए एसटीबी-छोर पर प्रदर्शित वॉटरमार्क को 50% पारदर्शिता पर रखा जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को देखने के अनुभव में बाधा न आए। प्राथमिक डीपीओ/इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता को एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग प्रदर्शित करना चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी पे चैनलों के लिए एसटीबी छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जिसे इस तरह से रखा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग प्रोवाइडर का नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग ओवरलैप या छिपा हुआ न हो। आदर्श रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का लोगो 2 सेमी×2 सेमी आकार का, 50% पारदर्शी होना चाहिए और स्क्रीन के निचले दाईं ओर रखा जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से सेवाएं लेने वाले प्रत्येक डीपीओ का लोगो 1.5 सेमी×1.5 सेमी आकार का, 50% पारदर्शी होकर स्क्रीन के निचले बाईं कोने पर डालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों लोगो सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दें। यह व्यवस्था फील्ड टीम को दोनों लोगो की स्पष्ट पहचान में सहायता करेगी और पायरेसी की स्थिति में सिग्नल के स्रोत का पता लगाने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्लेटफॉर्म के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि सभी एसटीबी पर प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर फ़िंगरप्रिंटिंग इनेबल की जाए।

166. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाद के भाग में प्रस्तुत मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों में अंतिम उपभोक्ता को सर्वोत्तम देखने का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से टीवी स्क्रीन पर लोगो के स्पेसिफिकेशन्स से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है।

167. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो का वॉटरमार्किंग केवल एन्कोडर छोर पर डालने की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता पर लागू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर एसटीबी/मिडलवेयर के माध्यम से नेटवर्क लोगो प्रदान करेगा। तथापि, उपभोक्ता के छोर पर अधिमानतः केवल दो ही लोगो दिखें अर्थात् केवल प्रसारक और लास्ट-माइल वितरक के लोगो।

<u>मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश</u>

168. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- ग्राहक अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव तथा डीपीओ पर भारी लागत के कारण एन्कोडर-स्तर पर लोगो इंसर्शन को अनिवार्य करना अनुशंसित नहीं है, यह दृष्टिकोण सेट-टॉप बॉक्स पर स्वचालित रूप से दूसरे सेवा प्रदाता का

लोगो प्रदर्शित करना एक जटिल और भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न करता है। उपभोक्ता को इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता का और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले का, दोनों के लोगो दिखाई देंगे और इससे जटिलताओं के अलावा, इससे दर्शक भी परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें तीन लोगो (एक ब्रॉडकास्टर का, और दो सेवा प्रदाता के, साथ में मैसेज और स्क्रॉल भी चलेंगे) दिखाई देंगे। केवल एसटीबी-स्तर पर लोगो प्रविष्टि ही इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की आवश्यकताओं तथा एंटी-पायरेसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

- सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सामान्यतः एन्कोडर छोर पर डाला जाए। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सिग्नल साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वितरित किए जाते हैं और डीपीओ अपना नेटवर्क लोगो सेट-टॉप बॉक्स (एसटीबी) या मिडलवेयर के माध्यम से प्रदर्शित करता है, वहाँ एन्कोडर छोर पर उस डीपीओ का वॉटरमार्किंग लोगो डालने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, बशर्ते कि (क) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता अपस्ट्रीम ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एन्कोडर छोर पर प्रसारक का पहचानकर्ता या वॉटरमार्क सम्मिलित करे अथवा बनाए रखे; और (ख) संबंधित डीपीओ यह सुनिश्चित करे कि उसका एसटीबी या मिडलवेयर तकनीकी रूप से प्रमाणित हो, उसमें नॉन-डिसेबल फोरेंसिक वॉटरमार्किंग या ओवरले की सुविधा हो, उपयुक्त लॉग बनाए रखे जाएँ, तथा वह उन सभी सुरक्षा, ऑडिट और तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करे, जिन्हें प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।
- "अधिमानतः" शब्द का समावेश तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के लोगो के अनिवार्य प्रदर्शन का अभाव, इस नए प्रावधान को कमजोर बनाता है, जो अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित सख्त तकनीकी अनुपालन के अनुरूप नहीं है। एंटी-पायरेसी उपायों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रसारक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और लास्ट-माइल डीपीओ, तीनों के लोगो उपभोक्ता की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से और बिना किसी ओवरलैपिंग के दिखाई दें। इस फ्रेमवर्क को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए, जब तक इसकी व्यावहारिक व्यवहार्यता और सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु एक समग्र, पारदर्शी विनियामक सैंडबॉक्सिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
- विनियमन में व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार प्रसारक लोगो के साथ डीटीएच नेटवर्क लोगो को अनिवार्य करने की स्पष्ट अनुमति दी जानी चाहिए। डीपीओ की ब्रांडिंग को गैर-पसंदीदा स्थान तक सीमित करना अथवा लोगो की दृश्यता को सीमित करना, डीपीओ के अपने नेटवर्क का विपणन और सुरक्षा करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा वास्तविक सेवा प्रदाता की उपभोक्ता पहचान को कमजोर करता है।

विश्लेषण

169. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के मद (घ) 14 के अनुसार:

> "सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल एन्कोडर एडं में इन्सर्ट किया जाएगा।
>
> > बशर्ते इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए एन्कोडर केवल एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।"

इसी प्रकार के प्रावधान इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-X में भी निहित हैं।

170 इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर से नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का डालना अनिवार्य किया गया था। उक्त प्रावधान का मुख्य उद्देश्य पायरेसी से निपटना था, जिसके अंतर्गत पायरेसी में प्रयुक्त सिग्नल के स्रोत की पहचान की जा सके। यह व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि कोई गलत इकाई केवल

एसटीबी स्तर पर डाले गए लोगो को निष्क्रिय करने या उसके साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हो सकती है। हालाँकि, डीपीओ के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, चूँकि एन्कोडर एक से अधिक डीपीओ द्वारा साझा किए जा सकते हैं, प्रत्येक डीपीओ के लिए एन्कोडर छोर से अलग-अलग वॉटरमार्किंग लोगो डालने से अंतिम स्क्रीन पर कई डीपीओ के लोगो दिखाई देंगे, जिससे टीवी स्क्रीन पर वीडियो सिग्नल को देखने के अनुभव की गुणवत्ता से समझौता होगा।

171. तदनुसार, प्राधिकरण का मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं को केवल एन्कोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर को एसटीबी अथवा मिडलवेयर के माध्यम से अपना नेटवर्क लोगो प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

172. ऐसे परिदृश्य में, यदि प्रसारक चाहे, तो उसे प्रसारक-प्रेरित फिंगरप्रिंट का उपयोग कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के स्रोत की पहचान हो जाने पर, प्रसारक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से वास्तविक डीपीओ की एसटीबी पहचान निर्धारित करने के लिए डीपीओ-प्रेरित फिंगरप्रिंट सक्रिय करने का अनुरोध कर सकता है। यह आर्किटेक्चर कई लोगो को वीडियो सिग्नल में रुकावट डालने से रोकता है और अलग-अलग एन्कोडर लगाने से जुड़े अतिरिक्त वित्तीय बोझ से भी बचाता है।

173. तथापि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, प्राधिकरण का यह मत है कि वीडियो संकेतों पर अनेक लोगो के प्रदर्शित होने से बचा जाना आवश्यक है। तदनुसार, ग्राहक के अंतिम स्क्रीन पर किसी भी समय अधिमानतः दो से अधिक लोगो प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, जिनमें एक प्रसारक का तथा दूसरा लास्ट माइल वितरक का हो। लोगो के स्पेसिफिकेशन्स का निर्धारण सेवा प्रदाताओं पर छोड़ा जाता है। प्राधिकरण का यह भी मत है कि सेवा प्रदाता सामान्यतः अंतिम उपभोक्ता को सर्वोत्तम दृश्य अनुभव प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

174. उपर्युक्त के मद्देनज़र, सातवें संशोधन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तथापि, मार्केट डेवलपमेंट्स पर निगरानी रखी जाएगी और यदि आवश्यक प्रतीत हुआ, तो उचित समय पर हस्तक्षेप करने पर विचार किया जा सकता है।

****

परिवर्णी शब्दों की सूची

परिवर्णी शब्द	**विवरण**
बेसिल	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
सीएएस	कंडीशनल एक्सेस सिस्टम
डीएएस	डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम
डीआरएम	डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट
डीपीओ	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर
डीटीएच	डायरेक्ट टू होम
ईसीएम	पात्रता नियंत्रण संदेश
ईएमएम	पात्रता प्रबंधन संदेश
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
एचआईटीएस	हेड-एंड इन द स्काई
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
जेवी	ज्वाइंट वेंचर
एमआईबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एमएसओ	मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर
एमएसआर	मासिक सब्स्क्रिप्शन रिपोर्ट
ओएचडी	ओपन हाउस डिस्कशन
आरआईओ	रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर
एसएमएस	सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम
एसटीबी	सेट टॉप बॉक्स
टीडीसैट	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
भादूविप्रा	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएस	ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम